अंक २ — शुक्रवार

संख्या १२ — १७ अप्रैल, १९५३

सत्यमेव जयते

# संसदीय वाद विवाद

1st

## लोक सभा

तीसरा सत्र

## शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

### भाग १—प्रश्न और उत्तर

विषय-सूची

प्रश्नों के मौखिक उत्तर [पृष्ठ भाग ३११३—३१५९]
प्रश्नों के लिखित उत्तर [पृष्ठ भाग ३१५९—३१७८]

( मूल्य ४ आने )

235 P.S.D.

## लोक सभा

शुक्रवार, १७ अप्रैल, १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे)

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

### विदेशी छात्रवृत्तियां

*१३७८. **डा० राम सुभग सिंह:** (क) क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार भाग "ग" राज्यों या अण्डेमान तथा निकोबार द्वीपों के विद्यार्थियों को कोई विदेशी छात्रवृत्तियां देती है ?

(ख) यदि हां, तो वित्तीय वर्ष १९५२-५३ में कितनी छात्रवृत्तियां दी गईं ?

(ग) वित्तीय वर्ष १९५३-५४ में कितनी छात्रवृत्तियां देने का विचार है ?

**प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय):** (क) जी हां ।

(ख) एक ।

(ग) एक ।

**डा० राम सुभग सिंह:** जो छात्रवृत्ति १९५३-५४ में दिये जाने का विचार है वह कितनी अवधि के लिये होगी और छात्रवृत्ति की मासिक राशि क्या होगी?





**श्री के० डी० मालवीय:** तीन वर्ष तक मासिक राशि ब्रिटेन में ३० पौंड प्रति मास और संयुक्त राज्य अमेरिका में १२५ डालर होती है ।

**डा० राम सुभग सिंह:** मैं जान सकता हूं कि क्या इन छात्रवृत्तियों को प्राप्त करने वालों के लिये कोई अधिकतम आयु सीमा निर्धारित की हुई है ?

**श्री के० डी० मालवीय:** हां, श्रीमान् । मेरे विचार में यह ३० वर्ष है ।

**डा० राम सुभग सिंह:** क्या अध्ययन का विषय सरकार निश्चित करती है अथवा किसी भी विषय का अध्ययन किया जा सकता है ?

**श्री के० डी० मालवीय:** अध्ययन का विषय किसी विषयों के समूह तक सीमित नहीं रखा जाता ।

**श्री एन० सोमना:** १९५२-५३ की छात्रवृत्ति किस राज्य को मिली है ?

**श्री के० डी० मालवीय:** दिल्ली को ।

**श्री राधा रमण:** दिल्ली निवासियों को कितनी छात्रवृत्तियां दी गई थीं ?

**श्री के० डी० मालवीय:** मैं ने बताया केवल एक ; यही कुल योग है ।

**अध्यक्ष महोदय:** इस से पूर्व कि हम अगले प्रश्न को लें प्रश्न संख्या १३७७ के सम्बन्ध में मैं यह बतला दूं कि माननीय

सदस्य श्री बी० के० दास ने श्री सामन्त को यह प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया है। यह प्रश्न अन्त में पूछा जायेगा।

**संघीय वित्तीय एकीकरण**

*१३७९. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) राज्यों के एकीकरण या विलय के पश्चात् से संघीय वित्तीय एकीकरण के परिणामस्वरूप या अन्यथा केवल भाग 'ख' तथा भाग 'ग' राज्यों और भाग 'क' राज्य के विलीन क्षेत्रों से केन्द्रीय राजस्व की निम्नलिखित मदों में कितनी वृद्धि हुई है :—

(१) आयकर, अधिकर इत्यादि ;

(२) उत्पाद शुल्क ;

(३) सीमा शुल्क ; तथा

(४) अन्य मदें ; और

(ख) इस प्रकार के क्षेत्रों को उन के विकास, प्रगति, अथवा अन्य किसी योजना या परियोजना के लिये केन्द्र द्वारा कितनी वार्षिक सहायता दी जाती है ?

**वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) :** (क) मुझे खेद है कि यह जानकारी देना सम्भव नहीं है क्योंकि राजस्व के लेखे, जिन्हें कि किसी राज्य या क्षेत्र का कहा जा सकता है अलग से नहीं रखे जाते।

(ख) सम्भवतः माननीय सदस्य भाग 'क' राज्यों को उन में विलीन हुये क्षेत्रों के सम्बन्ध में दी गई सहायता की ओर निर्देश कर रहे हैं। यदि ऐसी बात है, तो यह जानकारी देना सम्भव नहीं है क्योंकि इस प्रकार के क्षेत्रों के सम्बन्ध में अलग से सहायता नहीं दी जाती।

**श्री एम० एल० द्विवेदी :** मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने उन क्षेत्रों के विकास के लिये कोई विशेष पग उठाये है जो कि विलीन हो गये हैं, अथवा अब जो भाग 'ख' या भाग 'ग' राज्य हैं और जो पहिले भारतीय रियासतें थीं ?

**श्री एम० सी० शाह :** श्रीमान्, जैसा कि मैं ने बताया भाग 'क' राज्यों तथा भाग 'ख' राज्यों को अधिक अन्न उपजाओ, सामुदयिक परियोजनाओं, औद्योगिक गृह-व्वस्था तथा अन्य अनुविहित अनुदानों के रूप में सहायता दी जाती है और हम राजस्व के अन्तर को पूरा करने के अनुदान भी देते हैं। मैं ने जिन अनुदानों का उल्लेख किया है उन के अतिरिक्त और कोई विशेष सहायता इन क्षेत्रों के विकास के लिये नहीं दी जाती।

**श्री एम० एल० द्विवेदी** क्या यह सत्य है कि जब भाग 'ख' तथा भाग 'ग' राज्यों का एकीकरण हुआ था तो सरकार ने यह प्रत्याभूति दी थी कि आयकर तथा अधि-कर बाद में लगाया जायेगा। किन्तु ज्यों ही वे भाग 'क' राज्यों में विलीन हुये कर तुरन्त लिये जाने लगे। मैं जान सकता हूं कि क्या उन्हें कुछ समय के लिये इन करों से मुक्त करने, अथवा कुछ रियायत देने का ध्यान रखा गया है ?

**श्री एम० सी० शाह :** जहां तक भाग 'ख' राज्यों का सम्बन्ध है, जैसा कि मैं ने बतलाया, उन्हें राजस्व के अन्तर को पूरा करने के अनुदान दिये जाते हैं। भाग 'क' राज्यों के सम्बन्ध में कुछ अन्य अनुदान दिये जाते हैं। उन मामलों पर विचार करना उन राज्यों का उत्तरदायित्व है।

जहां तक भाग 'ख' राज्यों का सम्बन्ध है, वित्तीय एकीकरण के अनुसार उन्हें आयकर के सम्बन्ध में कुछ रियायतें दी गई थीं। सीमा शुल्क या अन्य अन्तरप्रान्तीय शुल्कों के सम्बन्ध में इन राज्यों और केन्द्र के मध्य कुछ करार हुये थे और उन के अनुसार इन्हें कुछ रियायत दी जाती हैं।

**श्री एम० एल० द्विवेदी:** मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस बात की ओर ध्यान दिये बिना कि उन क्षेत्रों को अन्य राज्यों को हस्तान्तरित कर दिया गया था इस सम्बन्ध में राज्य तथा सरकार के मध्य हुये क़रार का पालन किया गया था ?

**श्री एम० सी० शाह:** मैं अपने माननीय मित्र का तात्पर्य नहीं समझा ।

**श्री एम० एल० द्विवेदी:** भाग 'ख' तथा 'ग' राज्यों के साथ कुछ क़रार किये गये थे जिन में कि केन्द्रीय सरकार ने उन्हें कुछ प्रत्याभूतियां दी थीं । क्या वे प्रत्याभूतियां इन राज्यों को भाग 'क' राज्यों में मिलाने से पहिले पूरी कर दी गई थीं ?

**श्री एम० सी० शाह:** मेरे पास कोई सूचना नहीं है । मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी:** मैं जान सकता हूं कि क्या वित्तीय एकीकरण के पश्चात् बहुत से भाग 'ख' राज्यों की वित्तीय स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ा है और केन्द्र द्वारा दिया गया अनुदान बिल्कुल अपर्याप्त है ?

**श्री एम० सी० शाह:** मैं नहीं जानता कि यह प्रश्न कैसे उत्पन्न होता है ।

**पश्चिमी पाकिस्तान के शिविरों में अमुस्लिम**

*१३८०. **श्री बहादुर सिंह:** (क) क्या पुनर्वास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या पश्चिमी पाकिस्तान के शिविरों में अब भी कोई अमुस्लिम भारत लाये जाने के लिये ठहरे हुये हैं ?

(ख) यदि हां, तो उन की संख्या कितनी है और वे शिविर कौन कौन से हैं ?

**पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन):** (क) तथा (ख). जी हां, २५ फ़रवरी, १९५३ को लाहौर के डी० ए० वी० कालेज के शिविर में ५९ व्यक्ति थे ।

**श्री बहादुर सिंह:** मैं जान सकता हूं कि उन्हें भारत लाने में मुख्य कठिनाइयां क्या हैं ?

**श्री ए० पी० जैन:** कोई कठिनाई नहीं, वे सब आ रहे हैं ।

**श्री गिडवानी:** मैं जान सकता हूं कि क्या स्वामीनारायण शिविर में कोई हिन्दू और सिख हैं जिन्हें कि कराची से निकाल कर लाया गया है ?

**श्री ए० पी० जैन:** स्वामीनारायण शिविर को कुछ व्यक्ति चलाते थे । हमारा उच्चायुक्त भी इस में कुछ रुचि लेता था । अब वह शिविर तोड़ दिया गया है और केवल कुछ कमरे रखे हुये हैं । जो भारत आना चाहते हैं वे आकर वहां कुछ दिन ठहर सकते हैं ।

**विश्वविद्यालयों का मानदण्ड**

*१३८१. **श्री वी० पी० नायर:** (क) क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को यह विदित है कि विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तरों पर शिक्षा का मानदण्ड भिन्न भिन्न है ?

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो सरकार ने यदि इस विषय में कोई पग उठाये हैं, तो वे क्या हैं ?

**प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय):** (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) यह विषय विचाराधीन है ।

**श्री वी० पी० नायर:** मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को यह विदित है कि विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों के मानदण्डों में अन्तर के कारण विभिन्न विश्वविद्यालयों

के विद्यार्थियों को सेवा में जाने में बहुत कठिनाई होती है ?

**श्री के० डी० मालवीय:** मैं पहिले ही कह चुका हूं कि मानदण्डों में अन्तर है और सरकार इस विषय पर बहुत सक्रियता से विचार कर रही है ।

**श्री वी० पी० नायर:** मैं जान सकता हूं कि क्या इस बात को ध्यान में रखते हुये कि विभिन्न विश्वविद्यालयों के मानदण्डों में अन्तर है सरकार ने इस बात का ध्यान रखने के लिये कोई पग उठाये हैं कि उच्च मानदण्ड वाले विश्वविद्यालयों से आने वाले लोगों को सरकारी नौकरी में प्रविष्ट होने में कोई हानि न रहे ?

**श्री के० डी० मालवीय:** हम अभी यह नहीं बतला सकते कि उच्च मानदण्ड वाले विश्वविद्यालयों से आने वाले विद्यार्थियों के लिये हम क्या पग उठायेंगे । इस सारे विषय पर विचार किया जा रहा है और बहुत शीघ्र ही कुछ निश्चय किया जायेगा ।

**श्री वी० पी० नायर:** क्या यह सत्य नहीं है कि इस प्रकार के अन्तर के कारण अब तक कई विद्यार्थियों को नौकरी में प्रविष्ट होने से रोक दिया गया है ?

**श्री के० डी० मालवीय:** सम्भव है उन्हें उन के ज्ञान के मानदण्ड के नीचा होने के कारण रोक दिया गया हो ।

**श्री टी० एस० ए० चेट्टियार:** मैं जान सकता हूं कि क्या कल उपकुलपतियों तथा सरकार के प्रतिनिधियों के सम्मेलन में इस विषय पर विचार किया जायेगा या केवल भारत सरकार के प्रस्तावित विधेयक पर ही विचार किया जायेगा ?

**श्री के० डी० मालवीय:** इस प्रश्न पर भी विचार किया जायेगा ।

**श्री एस० वी० रामास्वामी:** मैं यह जान सकता हूं कि सरकार का उद्देश्य क्या है—मानदण्ड को नीचे गिराना या इसे ऊपर उठाना ?

**श्री पुन्नूस:** मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इस मानदण्ड को एक समान करने का विचार कर रही है या असमानता से उत्पन्न हानियों को दूर करने का विचार कर रही है ?

**श्री के० डी० मालवीय:** इन दोनों बातों पर विचार किया जायेगा ।

### उच्चतम न्यायालय में मामलों की देखभाल के लिये केन्द्रीय अभिकरण

*१३८२. **श्री वी० पी० नायर:** (क) क्या विधि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उच्चतम न्यायालय में विभिन्न राज्य सरकारों की ओर से मामलों को अच्छी प्रकार चलाने की व्यवस्था तथा देखभाल करने के लिये विधि मंत्रालय में कोई केन्द्रीय अभिकरण है ?

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो कौन कौन से राज्यों ने इस अभिकरण के अधीन रहना स्वीकार कर लिया है और कौन कौन से राज्य उक्त अभिकरण से अलग रह रहे हैं ?

(ग) क्या सरकार का एक ऐसा विवरण सदन पटल पर रखने का विचार है जिसमें कि विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा इस केन्द्रीय अभिकरण को १९५०-५१ तथा १९५२ में दिये गये अंशदानों का विस्तृत ब्यौरा तथा केन्द्रीय अभिकरण द्वारा इस अवधि में वकीलों तथा अभिकर्त्ताओं को किये गये भुगतान का विस्तृत ब्यौरा दिया हुआ हो ?

**विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास):** (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) आसाम, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल के राज्यों को छोड़ कर शेष सभी राज्य केन्द्रीय अभिकरण विभाग की योजना में सम्मिलित हो गये हैं। मध्य प्रदेश राज्य १ मार्च, १९५३ से इस योजना में भाग नहीं ले रहा है।

(ग) वांछित विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [ **देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ३३** ]

**श्री वी० पी० नायर:** श्रीमान्, क्या यह सत्य है कि केन्द्रीय सरकार ने अन्य राज्य सरकारों पर इस में सम्मिलित होने के लिये दबाव डाला है ?

**श्री बिस्वास:** कोई दबाव नहीं डाला गया है। उन से यह पूछा गया था कि क्या वे इस में सम्मिलित होंगे। उन में से अधिकांश सम्मिलित हो गये हैं। केवल यही तीन राज्य सम्मिलित नहीं हुये, एक राज्य अलग हो गया है।

**श्री वी० पी० नायर:** मैं जान सकता हूं कि जो राज्य इस योजना में एक बार सम्मिलित हो गये थे उन के इस से अलग होने का क्या कारण है ? मैं यह भी जान सकता हूं कि राज्यों को इस योजना से विशेष लाभ क्या है ?

**श्री बिस्वास:** विशेष लाभ यह है। लागत-व्यय केन्द्र तथा राज्य सरकारों में बंट जाता है। जहां तक राज्य सरकारों का सम्बन्ध है इस से खर्च कम हो जाता है। इन राज्यों के इस योजना में सम्मिलित न होने के ये कारण हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने १९५० में लिखा था कि वह उच्चतम न्यायालय के मामलों के लिये एक संयुक्त केन्द्रीय अभिकरण स्थापित करना न तो सुविधाजनक समझती है और न ही आवश्यक समझती है। पश्चिमी बंगाल की सरकार ने लिखा है कि जब तक उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कार्य का कोई स्पष्ट चित्र नहीं मिल जाता तब तक वे अपने अभिकर्त्ता के द्वारा ही कार्य करवाना अधिक पसन्द करेंगे—मैं समझता हूं कि यह 'स्पष्ट चित्र' प्राप्त करने के लिये तीन वर्ष उन के लिये पर्याप्त नहीं हैं। आसाम सरकार ने १९५० में लिखा था कि वह आरम्भ में इस योजना में भाग नहीं लेगी किन्तु बाद में यदि उसने ऐसा करना आवश्यक समझा तो भारत सरकार को सूचना देने का वचन दिया था। हमें उस से फिर कोई सूचना नहीं मिली। मध्य प्रदेश की सरकार कोई कारण नहीं बतलाती, उसने लिखा है कि वह १ मार्च, १९५३ से इस में भाग नहीं लेगी।

**श्री वी० पी० नायर:** मैं जान सकता हूं कि इस अभिकरण को कैसे चुना गया था और यह भी कि क्या सभी राज्य सरकारें अपने सभी मामले इसी अभिकरण द्वारा करवाती हैं ?

**श्री बिस्वास:** यह सम्बद्ध राज्यों पर निर्भर करता है। सत्य तो यह है कि यह अनिवार्य नहीं है। यदि वे चाहें, तो केन्द्रीय सरकार के अभिकर्त्ता की सेवायें प्राप्त कर सकती हैं। केवल इतनी ही बात है। और यदि वे यह सुझाव दें कि किसी विशेष वकील को नियुक्त किया जाये तो सदा उन का कहना माना जाता है और उस वकील को उन की ओर से नियुक्त कर लिया जाता है और वे उस का पारिश्रमिक दे देती हैं।

**श्री पी० टी० चाको:** मैं जान सकता हूं कि क्या राज्यों के मामलों की राज्यों के महाधिवक्ता पैरवी नहीं करते और यदि करते हैं, तो यदि राज्यों के मामलों की पैरवी उन के महाधिवक्ता करते हैं तो केन्द्रीय अभिकरण को पैसे देने से उन का खर्च कैसे घट जाता है ?

**श्री बिस्वास** : वकीलों को जो पारिश्रमिक देना पड़ता है उस के अतिरिक्त अभिकर्त्ताओं को भी खर्च देना पड़ता है। राज्य सरकारों के इस योजना में भाग लेने का यह अर्थ है कि वे अभिकर्त्ताओं को दिये जाने वाले व्यय को केन्द्र तथा अपने आप में बांट लेती हैं। जहां तक वकीलों का सम्बन्ध है तो जिन वकीलों को राज्य अलग वे नियुक्त करते हैं उन का पारिश्रमिक वही देते हैं। यदि वे महान्यायवादी या महाअभियोग-जीवि की सेवाओं से लाभ उठाना चाहें तो काम के अनुपात से पारिश्रमिक दोनों में बंट जाता है।

**श्री वी० पी० नायर** तथा **श्री एस० बी० रामास्वामी** उठे—

**अध्यक्ष महोदय**: मैं अगले प्रश्न को ले रहा हूं। मैं समझता हूं कि इस प्रश्न पर सदन में कई बार चर्चा हो चुकी है।

## राज्यों में दुहरा कर

*१३८५. **सेठ गोविन्द दास** : (क) वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को यह विदित है कि कुछ भूतपूर्व देशी राज्यों में अन्तर-राज्य पारनयन (शुल्क ट्रांजिट ड्यूटीज़) तथा आय-कर दोनों लगाये जा रहे हैं?

(ख) क्या सरकार ने इस दुहरे कर को हटाने के प्रश्न पर विचार किया है?

**वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह)** : (क) जी हां। कतिपय भाग 'ख' राज्यों में अन्तर राज्य पारनयन शुल्क लगाया जा रहा है। अब जम्मू तथा काश्मीर के अतिरिक्त शेष इन सब राज्यों पर भारतीय आय-कर अधिनियम लागू होता है।

(ख) संविधान के अनुच्छेद ३०६ के अधीन इन सब राज्यों से किये गये क़रार में सौराष्ट्र, राजस्थान तथा मध्य भारत में संविधान के लागू के होने से अधिक से अधिक पांच वर्ष के अन्दर और हैदराबाद में उसी तिथि से चार वर्ष के अन्दर अन्तर राज्य पारनयन शुल्क को हटा देने का उपबन्ध किया हुआ है।

आय-कर के सम्बन्ध में १-४-१९५० से पुरानी रियासती विधियों का प्रचलन बन्द हो गया है और केवल एकीकरण के काल से पूर्व के शेष कर के निर्धारण के लिये ही उन का प्रयोग होता है। इस प्रकार दुहरा कर नहीं लगाया जाता।

**श्री एम० एल० द्विवेदी** : मैं जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि जम्मू और काश्मीर राज्य, जो कि अब भारत का एक भाग है, अब भी भारत को आने वाली वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाता है जब कि इसके विपरीत भारत इस प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगाता?

**श्री एम० सी० शाह**: मैं बतला चुका हूं कि जम्मू तथा काश्मीर का संघ से कोई वित्तीय एकीकरण नहीं हुआ है। अतः यह प्रश्न नहीं उठता।

**प्रो० डी० सी० शर्मा**: मैं जान सकता हूं कि इन अन्तर-राज्य शुल्कों के सम्बन्ध में हिमाचल प्रदेश तथा पैप्सू की क्या स्थिति है?

**श्री एम० सी० शाह**: हिमाचल प्रदेश तो भाग 'ग' राज्य है। इसके संघीय वित्तीय एकीकरण का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। भारतीय आयकर अधिनियम तथा सीमा शुल्क अधिनियम हिमाचल प्रदेश पर लागू होते हैं।

**सेठ गोविन्द दास**: जम्मू और काश्मीर के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने कुछ स्पष्ट बात नहीं की। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो सामान यहां से जाता है उस पर कोई टैक्स जम्मू और काश्मीर सरकार लेती

है और जम्मू और काश्मीर से जो सामान यहां आता है उस पर भी क्या कोई टैक्स, है, उस की क्या स्थिति है ?

**शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद)** : मैं इसे साफ़ कर दूं । बात यह है कि अभी तक जम्मू और काश्मीर स्टेट के जहां तक फ़ाइनेंशियल इंटीग्रेशन का मामला तय नहीं हुआ है और जम्मू काश्मीर की आमदनी का एक बहुत बड़ा जरिया यह कस्टम ड्यूटी है । अगर इसे हटाया जाता है तो सवाल पैदा होता है कि एक करोड़ रुपये की आमदनी का कोई और ज़रिया पैदा किया जाये । यह बात नहीं है कि जम्मू और काश्मीर को इससे अलग कर दिया गया है । लेकिन इस मामले का फ़ैसला अभी तक नहीं हुआ है ।

**सेठ गोविन्द दास** : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या कोई बातचीत भारत सरकार और जम्मू काश्मीर के प्रतिनिधियों के बीच में चल रही है ताकि कोई निपटारा भविष्य में इस सम्बन्ध में हो सके ?

**मौलाना आज़ाद** : हां गुफ्तगू हो रही है ।

### त्रिपुरा की पहाड़ी आदिम जातियों की अवस्था

*१३८६. **श्री दशरथ देव**: क्या राज्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को त्रिपुरा की पहाड़ी आदिम-जातियों की सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था का ज्ञान है और यदि हां, तो इस को अधिक खराब होने से रोकने के लिये क्या पग उठाये गये हैं या उठाये जा रहें हैं ?

**गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू)** : सरकार त्रिपुरा की आदिम-जातियों की आर्थिक अवस्था तथा अन्य समस्याओं के प्रति सजग है । १९५१-५३ में उनके कल्याण के लिये ३ लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी । इस प्रकार के कल्याण की योजनाओं के लिये १९५३-५४ के आयव्ययक के प्राक्कलनों में ५ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है । त्रिपुरा के आदिमजातियों के लोगों को ऋण देने के लिये और १०,००० रुपये की भी व्यवस्था की गई है । सरकार इन्हें जूम की खेती की बुराइयां भी बतला रही है और उन्हें प्राकृतिक कृषि को अपनाने के लिये प्रोत्साहित कर रही है । गत वित्तीय वर्ष में इस प्रयोजन के लिये २०,००० रुपये मंजूर किये गये थे ।

**श्री दशरथ देव** : त्रिपुरा में जूमियों की कुल संख्या कितनी है ?

**डा० काटजू** : कौन ?

**श्री दशरथ देव** : जूमिया, अर्थात् किसान । वहां दो प्रकार के किसान हैं....

**डा० काटजू**: मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

**श्री दशरथ देव** : मैं जान सकता हूं कि क्या इन जूमिया किसानों को कोई कृषि-ऋण नहीं लेने दिया गया क्यों कि उन के पास खेती करने के लिये भूमि नहीं है ?

**डा० काटजू**: मुझे इस प्रश्न के लिये पूर्वसूचना मिलनी चाहिये क्योंकि जिस प्रश्न का उत्तर मांगा गया है उस का उत्तर मैं ने दे दिया है ।

**श्री नानादास**: इन आदिमजातियों के लोगों को भूमि देने के लिय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**डा० काटजू** : मुझे आश्चर्य है---सम्भवतः मेरे माननीय मित्र वहां गये होंगे । वहां भूमि बहुत है । प्रश्न तो केवल यह है कि उस में खेती कैसे की जाये ।

**श्री नम्बियार**: उन्हें भूमि दे दीजिये ।

**अध्यक्ष महोदय**: शान्ति, शान्ति । मंत्री जी से इस प्रकार न बोलिये ।

**श्री नम्बियार**: उन्हें भूमि दिये बिना वे खेती कैसे कर सकते हैं ?

**अध्यक्ष महोदय**: मैं अगले प्रश्न को ले रहा हूं ।

**त्रिपुरा में धारा १४४**

*१३८७. **श्री दशरथ देव**: क्या राज्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या त्रिपुरा के ज़िला मजिस्ट्रेट ने १२ नवम्बर, १९५२ को सदर तथा सोनामूर के क्षेत्र में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ के अधीन एक आदेश लागू कर दिया था ;

(ख) क्या अज़रतल्ला के एक नागरिक ने उसी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में उस आदेश को चुनौती दी थी और उस ने उस नागरिक की याचिका अस्वीकृत कर दी थी ;

(ग) क्या उसी नागरिक ने ज़िला मजिस्ट्रेट के उस आदेश के विरुद्ध अगरतल्ला के सत्र न्यायालय में पुनर्विचार के लिये प्रार्थना की थी ;

(घ) क्या सत्र न्यायाधीश न यह निर्णय दिया था कि आदेश को न्यायसंगत ठहराने का कोई विशेष कारण नहीं था और मजिस्ट्रेट ने निर्णय देने में जो विलम्ब किया था वह अनुचित था ; और

(ङ) यदि हां, तो इस की व्यवस्था करने के लिये कि ऐसी बातें भविष्य में फिर न हों सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू)**: (क) जी हां ।

(ख) जी हां, याचिका अस्वीकृत कर दी गई थी ।

(ग) जी हां ।

(घ) सत्र न्यायाधीश ने यह लिखा था कि "विद्वान ज़िला मजिस्ट्रेट के आदेश में कमी है क्योंकि इस में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ की उपधारा (१) के अनुसार इस मामले के विशेष कारण नहीं बतलाये गये हैं ।" ज़िला तथा सत्र न्यायाधीश ने धारा १४४ के अधीन लागू किये गये आदेश को रद्द करने से इन्कार करने के आदेश को पारित करने में ज़िला मजिस्ट्रेट के विलम्ब को "दुर्भाग्यपूर्ण" कहा था और उन्होंने यह भी लिखा था कि ज़िला मजिस्ट्रेट ने आदेश देने में जानबूझ कर विलम्ब नहीं किया था ।

(ङ) ज़िला तथा सत्र न्यायाधीश के निर्णय की एक प्रति पथप्रदर्शन के लिये ज़िला मजिस्ट्रेट को भेज दी गई है और आशा है कि भविष्य में इस प्रकार की कमी नहीं रहेगी ।

**श्री बीरेन दत्त**: मैं जान सकता हूं कि क्या इस समय यह प्रथा है कि जब मुख्यायुक्त या कांग्रेस के प्रधान किसी सभा में जाते हैं तो जिस क्षेत्र में वह सभा होती है वहां धारा १४४ लागू कर दी जाती है ?

**डा० काटजू**: श्रीमान्, मैं प्रश्न को अच्छी प्रकार समझा नहीं ।

**अध्यक्ष महोदय**: वह यह पूछ रहे हैं कि क्या इस समय यह प्रथा है—मैं इसे अपने शब्दों में कह रहा हूं—कि जहां कहीं कोई सभा होनी होती है वहां धारा १४४ लगा दी जाती है ।

**डा० काटजू**: मेरे विचार में यह प्रथा नहीं है ।

**श्री बीरेन दत्त**: मैं यह पूछ रहा हूं कि क्या यह प्रथा है कि जब मुख्यायुक्त तथा कांग्रेस के प्रधान किसी सभा की व्यवस्था करते हैं तो उस क्षेत्र में धारा १४४ लगा दी जाती है ?

**डा० काटजू**: मेरे विचार में ऐसी प्रथा नहीं है ।

**श्री नम्बियार**: मैं यह जान सकता हूं कि क्या एक बार ऐसा भी हुआ था कि जब साम्यवादी दल एक सम्मेलन करना चाहता था तो उसी स्थान में धारा १४४ लगा दी गई थी और यह बात माननीय मंत्री से कह दी गई थी और यह अभी तक हटाया नहीं गया है ।

**डा० काटजू**: श्रीमान्, क्या मैं भविष्य में पथ प्रदर्शन तथा सामान्य निर्णय के लिये यह निवेदन कर सकता हूं : यह प्रश्न किसी विशेष क्षेत्र के किसी विशेष विषय के सम्बन्ध में है । मैं सारे त्रिपुरा के सम्बन्ध में जानकारी अपने मस्तिष्क में कैसे रख सकता हूं ?

**अध्यक्ष महोदय**: सभापति की कठिनाई यह है कि जब तक प्रश्न पूछा नहीं जाता तब तक सभापति यह नहीं जान सकता कि इस की आज्ञा देनी चाहिये या नहीं । मैं नहीं समझता कि इसे पूछने की आज्ञा देनी चाहिये, मैं इस बात में माननीय मंत्री से सहमत हूं ।

**श्री नम्बियार** तथा **श्री पुन्नूस** उठे--

**अध्यक्ष महोदय**: आगे और कोई प्रश्न पूछने की गुंजाइश नहीं है ।

### आदिमजाति कल्याण निधि

*१३९१. **श्री बीरेन दत्त**: क्या राज्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) त्रिपुरा के लिये १९५२-५३ में आदिमजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत कुल कितनी राशि दी गई ;

(ख) इस का कौन सा भाग व्यय किया जा चुका है और किन मदों में ;

(ग) क्या इस निधि के विवरण के लिये कोई ग़ैर सरकारी निकाय बनाया गया है ;

(घ) क्या यह सत्य है कि गणतान्त्रिक नारी समिति ने इस आदिमजाति कल्याण निधि में से आदिमजातियों के लोगों के लिये छात्रावास, कुटीरोद्योग केन्द्र तथा पाठशालायें स्थापित करने के लिये कई बार अभ्यावेदन किये थे; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का इस विषय में क्या करने का विचार है ?

**गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू)**: (क) तथा (ख). आदिमजाति, कल्याण निधि नामक कोई निधि नहीं है किन्तु एक विवरण, जिसमें त्रिपुरा की अनुसूचित आदिमजातियों के कल्याण के लिये १९५२-५३ में आयव्ययक में किया हुआ उपबन्ध तथा उस में से किया गया व्यय दिया हुआ है सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ३४]**

(ग) जी नहीं ।

(घ) तथा (ङ) . पूछताछ की जा रही है ।

**श्री बीरेन दत्त**: त्रिपुरा में अनुसूचित आदिमजातियों के कल्याणार्थ किये गये उपबन्ध के सम्बन्ध में दिये गये विवरण के बारे में मैं यह जान सकता हूं कि क्या यह धन कुछ ऐसे व्यक्तियों को दिया गया है जिन पर कि अपहरण तथा हत्या जैसे फौजदारी के मामलों में अभियोग चल रहे हैं ?

**डा० काटजू**: मेरे विचार में ऐसी बात नहीं है ।

**श्री बीरेन दत्त**: क्या मंत्री जी इस विषय में पूछ-ताछ करेंगे ?

**डा० काटजू**: जी हां, अवश्य ।

### बुनियादी तथा समाज शिक्षा के लिये चलचित्र की सहायता

*१३९३. **श्री टी० एस० ए० चेट्टियार**: (क) क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की

कृपा करेंगे कि चालू वर्ष में बुनियादी तथा समाज शिक्षा की उन्नति के लिये चलचित्र की उपलब्धता का क्या कार्यक्रम है ?

(ख) इस प्रयोजन के लिये कितनी धन राशि अलग रखी गई है ?

(ग) क्या इन चलचित्रों को उपलब्ध होने पर शिक्षा संस्थाओं के उपयोग के लिये बेचने का विचार है ?

**प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) से (ग) . एक विवरण जिस में अपेक्षित जानकारी दी हुई है सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ३५]**

**श्री टी० एस० ए० चेट्टियार** : मैं जान सकता हूं कि क्या शिक्षा संस्थाओं को ये रियायती दरों पर दी जायेंगी ?

**श्री के० डी० मालवीय** : जी हां, श्रीमान् । मैं ऐसा ही समझता हूं ।

**श्री टी० एस० ए० चेट्टियार**: मैं जान सकता हूं कि क्या उनका इन चल चित्रों को स्वयं तैयार करने का विचार है या निजी संस्थाओं के सहयोग से ?

**श्री के० डी० मालवीय**: हमारी योजनाओं में निजी अभिकरणों को भी सम्मिलित किया जाता है ।

**श्री टी० एस० ए० चेट्टियार**: मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार का इन चलचित्रों को सारे भारत की संस्थाओं के सहयोग से बनाने का विचार है जिससे कि उनमें प्रादेशिक रंग आ सके और रुचि भी उत्पन्न हो सके ?

**श्री के० डी० मालवीय**: अभी हम इन योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं किन्तु माननीय सदस्य के सुझावों पर भी विचार किया जायेगा ।

**श्री एस० सी० सामन्त**: इस सम्बन्ध में केन्द्रीय शिक्षा संस्था कितनी सहायता दे रही है ?

**श्री के० डी० मालवीय**: विभिन्न चीज़ों के लिये सहायता दी जा रही है । उदाहरण के लिये शिक्षाप्रद चल चित्रों को खरीदने के लिये २५,००० रुपये की व्यवस्था की गई है और २५,००० रुपये इस प्रकार के चलचित्रों के उत्पादन की सहायता के लिये दिये गये हैं । प्रति वर्ष १८ शिक्षा सम्बन्धी चलचित्रों के उत्पादन का भी विचार किया गया है । इस प्रकार इस कार्यक्रम की विभिन्न चीज़ें ये हैं ।

**श्री एस० सी० सामन्त** : केन्द्रीय शिक्षा संस्था इस कार्य-क्रम को तैयार करने में कहां तक सहायता दे रही है ?

**श्री के० डी० मालवीय**: मैं पहले ही कह चुका हूं कि हमारे पास एक योजना है और इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न मदों के लिये सहायता देने का विचार किया जा रहा है ।

**श्री टी० एस० ए० चेट्टियार**: मैं जान सकता हूं कि क्या ये सब चलचित्र सरकार स्वयं बनाती है या वह निजी संस्थाओं को भी सहायता देती है ?

**श्री के० डी० मालवीय**: इस विषय में भारत सरकार स्वयं पहल कर रही है । कुछ मामलों में वह कुछ चलचित्र तैयार करने के लिये निजी सार्थों से भी बातचीत कर रही है ।

### विभाजन पूर्व क्षतिपूर्ति दावा समिति

*१३९४. **श्री बादशाह गुप्त**: क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि विभाजन पूर्व क्षतिपूर्ति दावा समिति ने अब तक क्या कार्य किया है ?

**रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)**: यह समिति महायुद्ध के दिनों में पूर्वी बंगाल में अधिगृहीत भूमियों तथा मकानों के सम्बन्ध में होने वाल विभाजन से पूर्व के दावों की पड़ताल तथा मूल्यांकन करने के लिये स्थापित की गई थी। अब तक समिति पूर्वी बंगाल के बारह ज़िलों के १,४७,०५,०८६ रुपये के ४५,५२५ दावों की पड़ताल तथा उन का मूल्यांकन कर चुकी है।

**श्री बादशाह गुप्त**: मैं जान सकता हूं कि क्या भारत को दावों के सम्बन्ध में कोई राशि दी गई है ?

**सरदार मजीठिया**: अभी तक कोई राशि नहीं दी गई है ?

**प्रस्तावित आन्ध्र राज्य में सेना तथा विमान बल के प्रशिक्षण केन्द्र**

*१३९६. **श्री नानादास**: (क) क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत में सेना तथा विमान बल के प्रशिक्षण केन्द्र किन सिद्धान्तों के अनुसार खोले जाते हैं और संधारित किये जाते हैं ?

(ख) प्रस्तावित आन्ध्र राज्य में कितने सैनिक प्रशिक्षण केन्द्र हैं ?

**रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)**: (क) सेना तथा विमान बल के प्रशिक्षण केन्द्रों का चुनाव निम्न लिखित सामान्य सिद्धान्तों के आधार पर किया जाता है:

(१) जिस क्षेत्र में वह स्थित हो उस में भर्ती करने तथा प्रशिक्षण के केन्द्र से उस की केन्द्रीय स्थिति;

(२) अच्छे निवास स्थान की उपलब्धता;

(३) सामरिक दृष्टि से सुरक्षा; और

(४) संचार की सुविधायें।

(ख) इस समय कोई नहीं है।

**श्री नानादास**: मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार का भविष्य में आन्ध्र में सैनिक प्रशिक्षण केन्द्र तथा शस्त्रास्त्र के कारखाने खोलने का विचार है ?

**श्री त्यागी**: नहीं, श्रीमान्।

**श्री नानादास**: मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को यह बात विदित है कि आन्ध्र सैनिकों में इस बात से असन्तोष है कि उन के घर के पास कोई सैनिक अड्डा नहीं है और यह आन्ध्र युवकों के सैनिक सेवा में सम्मिलित होने में भी बाधक है ?

**अध्यक्ष महोदय**: शान्ति, शान्ति। यह तर्कात्मक है।

**श्री त्यागी**: यह ग़लत है।

**भारतीय सहकारी संघ लिमिटेड**

*१३९७. **श्री एम० एल० अग्रवाल**: (क) क्या पुनर्वास मंत्री भारतीय सहकारी संघ लिमिटेड के संचालनालय के जिसे कि फ़रीदाबाद विकास बोर्ड ने २४ लाख रुपये का ऋण दिया था कर्मचारियों के नाम बतलाने की कृपा करेंगे ?

(ख) ऋण की शर्तें और उसका उद्देश्य क्या था और यह कब दिया गया था ?

(ग) कितने ऋण का हिसाब दे दिया गया है और कितना संघ से लेना शेष है?

(घ) जब से संघ ने अपना कार्य बन्द किया है तब से उस से हिसाब लेने और उस की ओर निकलने वाला धन प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन)**: (क) तथा (ख). एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ३६**]

(ग) तथा (घ). एक विशेष पदाधिकारी भारतीय सहकारी संघ लिमिटेड के ३० जून, १९५२ तक के रोकड़-पत्र तथा

२४ लाख रुपये के ऋण से सम्बन्धित बाद के हिसाब की पड़ताल कर रहा है। संघ ने फ़रीदाबाद में जब अपना कार्य बन्द किया था उस समय इस की जो उपलब्ध पूंजी थी उस के सम्बन्ध में इस के प्रतिवेदन की आगे और पड़ताल की जायेगी। संघ से यदि कोई धन निकलता होगा तो उसे वसूल करने के लिये कार्यवाही की जायेगी।

**श्री एम० एल० अग्रवाल**: जब १९४९-५०, १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में ऋण दिये गये थे तब शर्तें अन्तिम रूप से तय क्यों नहीं कर ली गई थीं और उन्हें शर्तों को किस प्रकार अन्तिम रूप से तय करने की आशा है ?

**श्री ए० पी० जैन** : मैं समझता हूं कि यह प्रश्न मेरे उत्तर से उत्पन्न नहीं होता।

**श्री एम० एल० अग्रवाल** : विवरण में यह कहा गया है कि विस्तृत शर्तों को अन्तिम रूप से तय नहीं किया गया है।

**श्री ए० पी० जैन** : विस्तृत शर्तों को अन्तिम रूप से तय नहीं किया गया है। मुख्य मुख्य बातों को अन्तिम रूप से तय कर लिया गया है।

**श्री एम० एल० अग्रवाल**: मैं जान सकता हूं कि क्या इस ऋण के अतिरिक्त प्रधान मंत्री के कोष में से भी इस निकाय को २४ लाख रुपये का एक और ऋण दिया गया था ?

**श्री ए० पी० जैन**: मेरे विचार में ऐसा कोई ऋण नहीं दिया गया था। खैर, मुझे इस के बारे में कुछ पता नहीं है।

**श्री एम० एल० अग्रवाल** : विशेष पदाधिकारी का प्रतिवेदन हम कब तक प्राप्त होने की आशा कर सकते हैं ?

**श्री ए० पी० जैन**: विशेष पदाधिकारी बड़े जोर शोर से कार्य कर रहा है। मैं यह नहीं कह सकता कि प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किया जायेगा।

**श्री पी० टी० चाको**: माननीय मंत्री ने पहिले एक बार यह कहा था कि इस संघ के वित्तीय लेन-देन में बड़ी भारी अनियमितायें थीं और बाद में दिल्ली के मुख्य मंत्री ने जो कि इस संघ के एक संचालक थे दिल्ली विधान सभा में इस बात का खण्डन कर दिया था। इस बात को ध्यान में रखते हुये मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने इस प्रश्न की पुनः परीक्षा की है और स्थिति क्या है ?

**श्री ए० पी० जैन** : मैं ने यह कहा था कि लेखा तथा लेखा-परीक्षा पदाधिकारियों ने कुछ बड़ी भारी अनियमिततायें बतलाई थीं। मैं अब भी अपने उस वक्तव्य पर दृढ़ हूं। यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं कुछेक अनियमितताओं को जो कि बतलाई गई हैं पढ़ कर सुना सकता हूं।

**श्रीमती ए० काले** : इस बोर्ड के सदस्यों के नाम क्या हैं ?

**श्री ए० पी० जैन** : यह एक लम्बी सूची है जो कि मैं ने सदन पटल पर रख दी है।

**डा० सुरेश चन्द्र** : क्या यह सत्य नहीं है कि लेखापरीक्षक ने कहा था कि लेखे में कोई गम्भीर अनियमिततायें नहीं थीं ?

**श्री ए० पी० जैन**: हम ने लेखा परीक्षक को प्रतिवेदन की एक प्रति देने को कहा था। लेखापरीक्षक ने हमें प्रतिवेदन की प्रति नहीं दी। तब हम ने पंजीकर्त्ता (रजिस्ट्रार) से प्रतिवेदन की एक प्रति ले ली जिसे कि यह प्रतिवेदन नियमित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। उस प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि उस ने कुछ अनियमिततायें बतलाई थीं जो कि बड़ी भारी अनियमिततायें थीं। हम ने उसे एक पत्र लिखा और संघ के उप-

प्रधान ने भी इस विषय में एक अभ्यावेदन किया । मैं ने उसे प्रशासक से मिलने तथा लेखापरीक्षक द्वारा प्रतिवेदन में बतलाई गई अनियमितताओं पर विचार करने के लिये आमंत्रित किया था ।

**पंडित डी० एन० तिवारी** : मैं जान सकता हूं कि कितना ऋण बट्टे खाते में डाल दिया गया है ?

**श्री ए० पी० जैन** : इस का अभी निश्चय किया जाना है ।

**अध्यक्ष महोदय** : अब हम अगले प्रश्न को लेते हैं ।

**शस्त्रास्त्र कारखानों, डिपुओं तथा सैनिक इंजीनियरिंग सेवा के प्रतिष्ठानों में बेकारी**

*१३९८. **श्री एम० एस० गुरुपाद स्वामी** : क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या शस्त्रास्त्र के कारखानों, डिपुओं तथा सैनिक इंजीनियरिंग सेवा के प्रतिष्ठानों के लगभग ५,००० कर्मचारी फ़ालतू घोषित कर दिये जाने के कारण बेकारी का शिकार बनने जा रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इन कर्मचारियों को और कोई काम देने की व्यवस्था की है; और

(ग) क्या कर्मचारियों के संघ की ओर से सरकार के विचार के लिये कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है ?

**रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) तथा (ख) . लगभग ३,५६२ कर्मचारी, जिन में सामयिक कर्मचारी भी सम्मिलित हैं, फ़ालतू हैं, किन्तु उन में से जितनों को भी अन्य कामों में लगाया जा सकता है, लगाया जा रहा है ।

(ग) डिपुओं के सम्बन्ध में कर्मचारियों की समिति द्वारा किये गये प्रस्तावों की विस्तार से परीक्षा की गई है, किन्तु खेद है कि उन में से किसी को स्वीकार नहीं किया जा सका ।

शस्त्रास्त्र के कारखानों के सम्बन्ध में एक यह सुझाव दिया गया है कि कारखानों के फ़ालतू उत्पादन सामर्थ्य का असैनिक वस्तुओं के उत्पादन के लिये प्रयोग किये जाने की सम्भावना पर विचार करने के लिये एक समिति नियुक्त की जाये । सरकार शस्त्रास्त्र के कारखानों के सारे ढांचे की परीक्षा करने के लिये एक समिति नियुक्त करने के अपने इरादे की सदन में पहिले ही घोषणा कर चुकी है । इस में यह भी सम्मिलित है कि कारखानों के सम्पूर्ण सामर्थ्य का किस प्रकार अधिक से अधिक अच्छी प्रकार प्रयोग किया जा सकता है ।

**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : मैं जान सकता हूं कि क्या इन कर्मचारियों को अन्तिम रूप से नौकरी से अलग करने से पहिले कोई नोटिस दिया गया था ?

**सरदार मजीठिया** : जी हां, मैं पहिले ही बतला चुका हूं कि वे फ़ालतू निकले हैं । इच्छापुर के धातु तथा इस्पात के कारखाने के ५३ कर्मचारियों को छोड़ कर और किसी को नोटिस नहीं दिया गया है ।

**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : मैं जान सकता हूं कि क्या फ़ालतू घोषित करने से पहिले कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से परामर्श कर लिया गया था ?

**सरदार मजीठिया**: हां, श्रीमान् ।

**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : मैं जान सकता हूं कि कर्मचारी संघ ने सम्बद्ध अधिकारियों के समक्ष क्या विशेष प्रस्ताव रखे थे ?

**सरदार मजीठिया**: प्रत्येक मामले की परीक्षा की गई थी और उस पर कर्मचारी

संघ के साथ अच्छी प्रकार चर्चा हुई थी। यह सब तीन पृष्ठों में लिखा हुआ है और मैं इन सब को पढ़ कर सुनाने के लिये सदन का समय लेना नहीं चाहता। यदि माननीय सदस्य किसी विशेष डिपो या कारखाने के सम्बन्ध में जानना चाहें तो मुझे उस की जानकारी देने में बड़ी प्रसन्नता होगी।

**श्री के० के० बसु:** क्या मैं इन ३५०० कर्मचारियों के अलग २ प्रान्तवार आंकड़े जान सकता हूं ?

**सरदार मजीठिया** : जैसा कि मैं ने बतलाया, शस्त्रास्त्र के कारखानों के मोटे रूप से लगभग २०००, डिपो के लगभग १३६२ और सैनिक इंजीनियरिंग सेवा के लगभग २०४ हैं।

**श्री के० के० बसु:** इस बात को ध्यान में रखते हुये कि शस्त्रास्त्र के कारखानों को असैनिक वस्तुओं के उत्पादन के लिये प्रयोग करने का प्रश्न विचाराधीन है क्या सरकार का इस विषय में अन्तिम निश्चय करने से पहिले ही इन २,००० कर्मचारियों को नौकरी से अलग कर देने का विचार है ?

**सरदार मजीठिया:** जैसा कि मैं पहिले ही बतला चुका हूं कि उन्हें और कोई काम दिलाने का भरसक प्रयत्न किया जा रहा है। यह आशा है कि जितनी संख्या बतलाई गई है सम्भवतः उस से कहीं कम व्यक्ति फ़ालतू निकलेंगे। क्योंकि अन्य डिपो भी हैं और हमारे पास एक योजना है जिस से कि हम किसी विशेष महाखण्ड में कमी और फ़ालतू कर्मचारियों की संख्या जान लेते हैं। इस बात का ध्यान रखने का हर सम्भव प्रयत्न किया जा रहा है कि फ़ालतू लोगों को निकाला न जाये जैसा कि विरोधी पक्ष के सदस्य समझते हैं। उन की अच्छी प्रकार परीक्षा की जा रही है तथा उन्हें अन्य काम दिलाने का हर सम्भव प्रयत्न किया जा रहा है।

**श्री नम्बियार:** मैं जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि जबलपुर में १०५ कर्मचारियों को निकाल दिया गया था और उन में से ११ ने भूख हड़ताल कर दी है और क्या उस की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया गया है ?

**अध्यक्ष महोदय:** शान्ति, शान्ति। मेरे विचार में यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

**श्री नम्बियार** : इस जबलपुर के कारखाने का युद्ध सम्बन्धी यातायात सम्भार से सम्बन्ध है।

**अध्यक्ष महोदय:** परन्तु, भूख हड़ताल का प्रश्न तो एक बिल्कुल ही अलग चीज़ है।

**श्री नम्बियार** : क्या यह सत्य है ....

**अध्यक्ष महोदय:** यह सत्य हो सकता है ; किन्तु इस का इस से कोई सम्बन्ध नहीं है।

**श्री नम्बियार** : वे पहिले भाग का उत्तर दे दें।

**अध्यक्ष महोदय:** माननीय सदस्य ने बहुत से भागों को मिला कर सारी चीज़ खो दी है। मैं अगले प्रश्न को ले रहा हूं।

**विश्वविद्यालय आयोग की सिफ़ारिशें**

*१३९९. **प्रो० डी० सी० शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) विश्वविद्यालय आयोग के प्रतिवेदन की सिफ़ारिशों को क्रियान्वित करने के लिये क्या पग उठाये गये हैं ; और

(ख) पंजाब विश्वविद्यालय को चण्डीगढ़ में अपने भवन बनाने के लिये कितना अनुदान दिया गया है ?

**पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन)**: (क) प्रो० राम शरण द्वारा ५ मार्च, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५४९ के उत्तर की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**प्रो० डी० सी० शर्मा**: मैं जान सकता हूं कि आयोग की परीक्षा सम्बन्धी सिफ़ारिश के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

**शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद)**: कई मर्तबा यह चीज़ हाउस में साफ़ कर दी गई है कि कमीशन ने जो सिफ़ारिशें की थीं वे तीन किस्म की थीं । कुछ सिफ़ारिशें ऐसी थीं जिन का डाइरेक्ट ताल्लुक़ सैन्ट्रल गवर्नमेंट से था, कुछ ऐसी थीं जिन का ताल्लुक़ यूनिवर्सिटियों से था, कुछ ऐसी थीं जिन का ताल्लुक़ स्टेट गवर्नमेन्टों से था । जिन सिफ़ारिशों का ताल्लुक़ सैन्ट्रल गवर्नमेंट से था, गवर्नमेंट ने कोशिश की कि इन पर अमल हो । चुनांचे कई बिल यहां पेश हुये और मंजूर हुये । जिन सिफ़ारिशों का ताल्लुक़ यूनिवर्सिटियों और स्टेट गवर्नमेंटों से है, इस बारे में अभी कोई इफ़ैक्टिव क़दम नहीं उठाया गया है । गवर्नमेंट यह ख्याल करती है कि जब तक इस काम के लिये कोई एजेन्सी नहीं बनाई जायेगी उस वक्त तक यह रिफ़ार्म नहीं होगा । माननीय सदस्य को यह मालूम है कि अभी कल ही एक कान्फ्रेंस इस मामले पर ग़ौर करने के लिये बुलाई गई है ।

**प्रो० डी० सी० शर्मा**: मैं जान सकता हूं कि राज्यों, विश्वविद्यालयों तथा केन्द्र सम्बन्धी विभिन्न प्रकार की सभी सिफ़ारिशों को एकत्रित करके क्रियान्वित करवाने के लिये सरकार कौन-सा अभिकरण बनाने का विचार कर रही है ?

**मौलाना आज़ाद**: हां, गवर्नमेंट के पेशेनज़र यही बात है । एक ऐसी एजेन्सी बनाई जाये जो यूनिवर्सिटी रिफ़ार्म के पूरे फ़ील्ड को सर्वे करे और जो ज़रूरी सिफ़ारिशें कमीशन ने की हैं उन्हें भी सामने रखे ।

**श्री एस० एन० दास** : क्या केन्द्रीय सरकार ने कभी इस बात का पता लगाने की कोशिश की कि यूनिवर्सिटी कमीशन की रिपोर्ट पर मुनासिब कार्रवाई करने के मार्ग में यूनिवर्सिटियों के सामने क्या कठिनाइयां हैं ?

**मौलाना आज़ाद** : अब यह कहना मुश्किल है कि उन के आगे क्या मुश्किलात हैं । यक़ीनन मुश्किलात होंगी । ख्याल यह है कि जब तक एक ऐसी एजेन्सी न बने जो उन तमाम बातों पर ग़ौर करे और उन मुश्किलात को देखे उस वक्त तक यह काम आगे नहीं बढ़ सकता ।

**श्री बैरो** : मैं जान सकता हूं कि क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सम्बन्धी सिफ़ारिश को क्रियान्वित किया जा रहा है ?

**मौलाना आज़ाद**: मामला गवर्नमेंट के ज़ेरेग़ौर है ।

**प्रो० डी० सी० शर्मा**: मैं जान सकता हूं कि क्या मंत्रालय का इस आयोग के प्रतिवेदन की परीक्षा के लिये कोई नया आयोग बनाने का इरादा है ?

**मौलाना आज़ाद**: नहीं, गवर्नमेंट इस की ज़रूरत नहीं समझती ।

### पंजाब राज्य को पुनर्वास ऋण

*१४००. **प्रो० डी० सी० शर्मा** : (क) क्या पुनर्वास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार ने १९५२ में पंजाब राज्य के लिये कोई पुनर्वास-ऋण मंजूर किया था ?

(ख) क्या इस प्रकार के ऋण के साथ कोई विशेष शर्त लगाई गई थी ?

**पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : (क) जी हां, कुल १,४१,९३,००० रुपये के ऋण मंजूर किये गये थे ।

(ख) ऋणों पर ४ १/४ प्रति शत वार्षिक ब्याज लिया जाता है । प्रथम तीन वर्षों में प्रति वर्ष ऋण लेने की तिथि को साधारण ब्याज लिया जायेगा । इस के पश्चात् उपरोक्त दर से ब्याज सहित ऋण की राशि सत्रह बराबर किस्तों में, जो कि प्रति वर्ष ऋण लेने की तिथि को चुकाई जायेंगी, वसूल कर ली जायेगी ।

पंजाब सरकार को चण्डीगढ़ की परियोजना के लिये दिये गये ऋण को छोड़ कर, अन्य वास्तविक हानि पंजाब तथा केन्द्रीय सरकार में ५० : ५० के अनुपात से बांट ली जायेगी ।

**प्रो० डी० सी० शर्मा** : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या पंजाब राज्य तथा केन्द्रीय पुनर्वास मंत्रालय के मध्य ब्याज की दर के सम्बन्ध में कोई विवाद था ?

**श्री ए० पी० जैन** : ब्याज की दर के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं उत्पन्न हो सकता, क्योंकि ब्याज की दर उसी दर से निर्धारित की जाती है जिस दर से कि भारत सरकार समय समय पर ऋण लेती है ।

**राष्ट्रीय निदर्शन परिमाप**

*१४०१. **श्री मोरारका** : क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि यद्यपि राष्ट्रीय निदर्शन परिमाप की राष्ट्रीय आय समिति के प्रयोग के लिये सामग्री एकत्रित करने के निमित्त तीन वर्ष पूर्व स्थापना की गई थी, किन्तु वह समिति इस की सामग्री से अब तक कोई लाभ नहीं उठा सकी ;

(ख) क्या राष्ट्रीय निदर्शन परिमाप द्वारा एकत्रित की गई सामग्री किसी वास्तविक माप पर आधारित नहीं है, अपितु केवल सम्मति के आधार पर आश्रित है; और

(ग) क्या फसल काट कर परिमाप का काम जो कि अब तक राजकीय कृषि अनुसन्धान परिषद् द्वारा किया जाता था अब राष्ट्रीय निदर्शन परिमाप को सौंप दिया गया है और यदि हां, तो क्यों ?

**वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा)** : (क) राष्ट्रीय निदर्शन परिमाप उत्पादन, खपत तथा भारत में आर्थिक तथा सामाजिक जीवन के अन्य पहलुओं के सम्बन्ध में सांख्यकीय सामग्री के परिमाण तथा उत्तमता में उन्नति करने के लिये और राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिये आवश्यक जानकारी को भी प्राप्त करने के लिये बनाया गया था । राष्ट्रीय आय समिति राष्ट्रीय निदर्शन परिमाप द्वारा एकत्रित कुछ सामग्री का प्रयोग कर रही है ।

(ख) नहीं, श्रीमान् । राष्ट्रीय निदर्शन परिमाप आर्थिक परिमाप करने में माप के वास्तविक ढंग को अपनाती है, और अन्य देशों में इस प्रकार के परिमाप के लिये अपनाई गई प्रक्रिया का ही अनसरण करती है ।

(ग) हां, श्रीमान्, । अधिक अच्छा और सुयोजित समन्वय स्थापित करने के लिये राष्ट्रीय निदर्शन परिमाप को केन्द्रीय अभिकरण के रूप में बनाने का निश्चय किया गया है जिसके अधीन कि राष्ट्रीय निदर्शन परिमाप की सभी योजनायें चलाई जा सकें । इस निश्चय के अनुसार फ़सल काट कर परिमाप का काम जो कि पहिले भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् द्वारा किया जाता

या राष्ट्रीय निदर्शन परिमाप को सौंप दिया गया है।

**श्री मोरारका** : मैं जान सकता हूं कि पटसन, कपास और चीनी के उत्पादन के सम्बन्ध में इस विभाग ने सामग्री प्रकाशित क्यों नहीं की है ?

**श्री ए० सी० गुहा** : अभी तक सभी सामग्री या प्रतिवेदन प्रकाशित नहीं हुये हैं। राष्ट्रीय आय समिति का प्रतिवेदन राष्ट्रीय निदर्शन परिमाप के प्रथम अस्थायी प्रतिवेदन के प्रकाशित होने से बहुत पहिले ही प्रकाशित हो चुका था। अतः राष्ट्रीय आय समिति राष्ट्रीय निदर्शन परिमाप द्वारा एकत्रित की गई सामग्री को प्रयोग नहीं कर सकी। तथापि, मैं यह कह सकता हूं कि राष्ट्रीय आय समिति ने राष्ट्रीय निदर्शन परिमाप की कुछ अप्रकाशित सामग्री प्रयोग की थी।

**श्री मोरारका** : माननीय मंत्री मेरा प्रश्न नहीं समझे।

**श्री ए० सी० गुहा** : जी हां, मैं समझ गया हूं। मैं यह कहता हूं.....

**अध्यक्ष महोदय** : उन्हें अपनी बात कह लेने दीजिये।

**श्री मोरारका** : मेरा प्रश्न यह है कि राष्ट्रीय निदर्शन परिमाप विभाग ने अभी तक कपास, पटसन और चीनी के सम्बन्ध में सांख्यकीय सामग्री प्रकाशित क्यों नहीं की। मेरा प्रश्न यह नहीं है कि राष्ट्रीय आय समिति ने उन का प्रयोग क्यों नहीं किया, किन्तु उन्हें प्रकाशित क्यों नहीं किया गया।

**श्री ए० सी० गुहा** : केवल पहला और अस्थायी प्रतिवेदन ही प्रकाशित हुआ है तथा अन्य प्रतिवेदन बाद में प्रकाशित किये जायेंगे और यह दूसरे प्रतिवेदन में आ सकते हैं। अन्तिम प्रतिवेदन अभी प्रकाशित नहीं हुआ है।

**श्री मोरारका** : मैं जान सकता हूं कि सरकार ने प्रो० गाडगिल द्वारा पूना संस्था में एकत्रित की गई सामग्री अभी तक प्रकाशित क्यों नहीं की है ?

**श्री ए० सी० गुहा** : यह प्रश्न पहिले भी एक बार उठाया गया था और माननीय वित्त मंत्री ने यह उत्तर दिया था कि प्रो० गाडगिल द्वारा एकत्रित सामग्री की पूना संस्था से प्रकाशित करने की अनुमति दे दी गई है। इस प्रकार वह सामग्री भी जनता को उपलब्ध हो सकेगी।

**श्री मोरारका** : मैं जानता हूं कि अनुमति दे दी गई है, किन्तु मैं यह जान सकता हूं कि सरकार ने उस सामग्री को उस प्रकार प्रकाशित करना उचित क्यों नहीं समझा जैसे कि उसने प्रो० महालनोबीस द्वारा एकत्रित की गई सामग्री को प्रकाशित किया है ?

**श्री ए० सी० गुहा** : इस में प्रो० महालनोवीस या प्रो० गाडगिल का कोई प्रश्न नहीं है। एक समिति कार्य कर रही है और राष्ट्रीय परिमाप समिति ने स्वीकृत सामग्री को प्रकाशित कर दिया है। यदि किसी टिप्पणी या सामग्री को समिति ने स्वीकार नहीं किया तो उसे कोई और अभिकरण प्रकाशित कर सकता है और उस के लिये अनुमति दे दी गई है।

**श्री के० सी० सोधिया** : इन विशेषज्ञों के संघटनों के कार्य को समझने के लिये कितने विशेषज्ञ हैं ?

**डा० सुरेश चन्द्र** : मैं जान सकता हूं कि क्या राज्य सरकारों में भी ये निदर्शन परिमाप विभाग हैं और यदि हैं, तो यहां केन्द्रीय राष्ट्रीय निदर्शन परिमाप को रखने की क्या आवश्यकता है ?

**श्री ए० सी० गुहा** : श्रीमान्, मैं पहले ही बतला चुका हूं कि सरकार का यह विचार है कि अखिल भारतीय निर्देशन परिमाप के लिये एक केन्द्रीय अभिकरण रखा जाये । मुझे ज्ञात नहीं कि किसी राज्य में कोई निदर्शन परिमाप विभाग है या नहीं, मैं समझता हूं कि नहीं है ।

**श्री एस० वी० रामास्वामी** : उन्होंने क्या ढंग अपनाया है ? क्या यह बाहर जा कर परिमाप करने का ढंग है ? क्या वह वस्तुतः बाहर जाते हैं अथवा केवल राजस्व के अभिलेखों को देख कर ही ये सामग्री तैयार करते हैं ?

**श्री ए० सी० गुहा** : यह परिमाप बाहर जाकर किया जाता है—और ठीक ठीक कहा जाये तो यह परिमाप उस स्थान पर जाकर किया जाता है ।

**आई० एन० एस० राणा और आई० एन० एस० दिल्ली को क्षति**

*१४०३. **सरदार ए० एस० सहगल** : (क) क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि भारतीय नौ सेना के कर्मचारीवृन्द के कालेज की हाल की भारत के पश्चिमी तट की सामुद्रिक समरयात्रा में 'आई० एन० एस० राणा' और 'आई० एन० एस० दिल्ली' को क्षति पहुंची थी ?

(ख) क्षति का क्या कारण था ?

(ग) नौ सैना को कितनी हानि हुई थी ?

(घ) जब 'आई० एन० एस० राणा' और 'आई० एन० एस० दिल्ली' में टक्कर हुई उस समय ये पोत कौन से अभ्यास कर रहे थे ?

**रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) तथा (ग). २६ मार्च १९५३ का जब भारतीय नौसेना के पोत भारत के पश्चिमी तट पर अभ्यास कर रहे थे तो भारतीय नौसेना के पोतों 'दिल्ली' और 'राणा' में ज़रा सी टक्कर हो गई थी जिससे कि उन की सतह पर नगण्य सी क्षति हुई थी ।

(ख) एक जांच बोर्ड द्वारा इस घटना की जांच की जा रही है और इस दुर्घटना के कारण के सम्बन्ध में उस के परिणामों की प्रतीक्षा है ।

(घ) ये पोत तारपीडो चलाने के नियमित अभ्यास कर रहे थे ।

**सरदार ए० एस० सहगल** : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि कर्मचारीवृन्द के कालेज की इस प्रकार की सामुद्रिक समर यात्रा के समय गत वर्षों में इस प्रकार की कितनी दुर्घटनायें हुई ?

**श्री त्यागी** : मेरे पास इस विषय में कोई सूचना नहीं है, किन्तु मैं माननीय सदस्य को यह बतला दूं कि यह दुर्घटना एक बहुत मामूली सी चीज़ थी ।

**श्री आल्तेकर** : इस क्षति से कितनी हानि हुई थी ?

**श्री त्यागी** : कोई जीवन हानि या सम्पत्ति की कोई विशेष हानि नहीं हुई थी । केवल पोत के ऊपर के ढांचे को थोड़ी सी क्षति पहुंची थी ।

**श्री जोशिम अलवा** : क्या पोतों की थोड़ी और बहुत मरम्मत हमारे अपने पोत के कारखानों में हो जाती है अथवा उन्हें लाद कर इंगलेंड भेज दिया जाता है ?

**श्री त्यागी** : इस दुर्घटना से हुई क्षति की मरम्मत यहां भारत में ही हो जायेगी ।

**श्री रघुरामय्या** : मैं जान सकता हूं कि इस जांच में सम्भवतः कितना समय

लगेगा और बोर्ड के कब तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की सम्भावना है ?

**श्री त्यागी:** क्या मैं माननीय सदस्य से यह प्रार्थना कर सकता हूं कि वे इस छोटी-सी दुर्घटना को बहुत अधिक महत्व न दें ?

**श्री रघुरामय्या:** एक बोर्ड बनाया...

**अध्यक्ष महोदय:** शान्ति, शान्ति । मेरे विचार में प्रत्येक दुर्घटना की जांच होनी चाहिये । यह प्रविधिक नियम है ।

**श्री त्यागी:** इस का उद्देश्य यह है कि किस पदाधिकारी की उपेक्षा के कारण यह दुर्घटना हुई । यह मुख्यतया अनुशासन की दृष्टि से किया गया है ।

**श्री रघुरामय्या:** श्रीमान्, मैं तो केवल इतना ही जानना चाहता था कि इस बोर्ड को जांच में कितना समय लगेगा और हम कब तक प्रतिवेदन प्राप्त कर सकेंगे । यह एक बहुत ही तर्कसंगत प्रश्न है ।

**श्री त्यागी:** यह प्रश्न तो बिल्कुल तर्क-संगत है, किन्तु मेरे पास इस समय इस विषय में कोई सूचना नहीं है ।

**श्री सारंगधर दास:** क्या मंत्री महोदय को प्रश्न का उत्तर देने की अपेक्षा उस का गुणगान करने का अधिकार है ?

**अध्यक्ष महोदय:** यह तो अपनी अपनी सम्मति है कि जो कुछ उन्होंने कहा है वह गुणगान है या नहीं ?

**चांदी साफ़ करने के कारख़ाने की परियोजना**

*१४०४. **श्री के० सी० सोधिया:** (क) क्या **वित्त** मंत्री उस सार्थ का नाम बतलाने की कृपा करेंगे जिस के साथ कि एक चांदी साफ़ करने के कारखाने की परियोजना के लिये ठेका किया जा रहा है ?

(ख) ठेके की शर्तें क्या हैं ?

(ग) इस प्रक्रिया से उधार पट्टे की चांदी चुकाने के लिये कुल कितनी चांदी साफ़ की जायगी ?

(घ) इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

**वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा):** (क) इस प्रकार के दो सार्थ हैं--(१) मैसर्स डेमाग इलैक्ट्रो मैटलर्जी, कार्लस्रूहे (जर्मनी) और (२) मैसर्स सेपल्शर ब्रदर्ज़ (इंडिया) बम्बई ।

(ख) मैसर्स डेमाग इलैक्ट्रो मैटलर्जी वाले जिन के साथ कि आवश्यक ठेका पहिले ही किया जा चुका है इस परियोजना के लिये आवश्यक ३,६५,९७५ पौण्ड (मूल्य के बदलने के अनुसार) के संयन्त्र तथा कलें--मूल्य चुकाने पर कुछ निश्चित किश्तों में देंगे । यह सार्थ दूसरे सार्थ, अर्थात्, मैसर्स सेपल्शर ब्रदर्ज़ द्वारा संयंत्र के लगाये जाने तथा चलाये जाने के लिये अधीक्षण के कार्य के लिये भी उत्तरदायी होगा । मैसर्स डेमाग ने यह प्रत्याभूति दी है कि जब तक उक्त संयंत्र तथा कलें ठीक प्रकार से कार्य नहीं करने लग जायेंगे और जब तक सरकार को उनके कार्य से सन्तोष नहीं हो जायेगा तथा जब तक साफ़ करने के कारख़ाने में निर्दिष्ट प्रकार की शुद्ध चांदी, चांदी की निर्दिष्ट न्यूनतम संचालन हानि के साथ वस्तुतः तैयार नहीं होने लगेगी तब तक वे इसके लिये उत्तरदायी होंगे । इस सार्थ के साथ हुये क़रार की एक प्रति मैं सदन पटल पर रख रहा हूं । **[पुस्तकालय में रख दी गई। देखिये संख्या एस-३२/५३]**

दूसरा सार्थ, अर्थात्, मैसर्स सेपल्शर ब्रदर्ज़ (इंडिया) केवल उक्त संयंत्र तथा कलों के लगाने, उनकी परीक्षा करने और चलाने तथा उन्हें भारत में संयंत्र उतरने के पत्तन से साफ़ करने के कारखाने के स्थान तक पहुंचाने के लिये उत्तरदायी होगा, उन के साथ इस सम्बन्ध में एक अलग क़रार किया जा रहा है । किन्तु इस सार्थ के साथ

किये जाने वाले क़रार की शर्तों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

(ग) साफ़ करने के लिये सिक्कों के रूप में चार धातु मिश्रित (क्वाटर्नरी) मिश्रण की कुल मात्रा लगभग ५० करोड़ औंस है जिस में से कि लगभग २५ करोड़ औंस शुद्ध चांदी निकलने का अनुमान लगाया गया है ।

(घ) प्रति वर्ष के अनुमानित २ करोड़ ३० लाख औंस शुद्ध चांदी के उत्पादन के आधार पर इस साफ़ करने के कारखाने को इन चार धातु मिश्रित सिक्कों से चांदी निकालने में लगभग ११ वर्ष लग जायेंगे ।

**श्री के० सी० सोधिया :** हमें अमेरिका की कुल कितनी चांदी देनी है ?

**श्री ए० सी० गुहा :** २२ करोड़ ६० लाख औंस ।

**श्री के० सी० सोधिया :** इस साफ़ करने के कारखाने पर चांदी निकालने के लिये सरकारी कोष से कुल कितना खर्च आयेगा ?

**श्री ए० सी० गुहा :** सम्पूर्ण कलों तथा संयंत्र के लगाने पर लगभग ९० लाख रुपये लागत आयेगी और मेरे विचार में साफ़ की हुई चांदी प्राप्त करने में शोधन और संचालन व्यय पर साफ़ की हुई चांदी के प्रति पौंड पर १.४६६ रुपये लागत आयेगी ।

**श्री जोशिम अलवा :** मैं जान सकता हूं कि क्या यह सेपल्शर ब्रदर्ज कोई भारतीय सार्थ है या विदेशी सार्थ है ? यदि यह कोई विदेशी सार्थ है, तो क्या इस में भारतीय पूंजी लगी हुई है ?

**श्री ए० सी० गुहा :** मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

**श्री एस० वी० रामस्वामी :** क्या सेपल्शर ब्रदर्ज कोई और काम भी करते हैं?

**श्री ए० सी० गुहा :** इसे केवल कलों को उन के स्थान पर पहुंचाने और उन्हें लगाने तथा इसी प्रकार का काम सौंपा गया है ।

**अनुसूचित जातियों इत्यादि को आवंटित धन का वितरण**

*१४०५. **श्री मुनिस्वामी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५३-५४ के आय-व्ययक में छात्रवृत्तियों के लिये आवंटित ४० लाख रुपये की राशि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिमजातियों तथा पिछड़े हुये समुदायों में किस अनुपात से बांटी जायेगी ?

**पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) :** अनसूचित जातियों, अनसूचित आदिमजातियों तथा अन्य पिछड़े हुये वर्गों में १९५३-५४ के लिये ४० लाख रुपये की राशि के आवंटन का निश्चय बोर्ड की सिफ़ारिश की परीक्षा के पश्चात् किया जायेगा । इस प्रयोजन के लिये शीघ्र ही छात्रवृत्ति बोर्ड की एक बैठक बुलाये जाने की सम्भावना है ।

**श्री मुनिस्वामी :** मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को यह विदित है कि राज्यों को मंजूर की गई छात्रवृत्तियां ठीक प्रकार से बांटी नहीं जातीं ?

**शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) :** नहीं, गवर्नमेंट ऐसा ख्याल नहीं करती ।

**श्री पी० एन० राजभोज :** गत छात्रवृत्ति वितरण में पिछड़े हुये वर्गों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों को किस अनुपात से छात्रवृत्तियां बांटी गई थीं ?

**श्री ए० पी० जैन :** अनुसूचित जातियां १४,५०,००० रुपये ।

अनुसूचित आदिम जातियां : ५,००,००० रुपये ।

अन्य पिछड़े हुये वर्ग : १०,५०,००० रुपये ।

**श्री मुनिस्वामी** : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार चालू वर्ष में इस राशि को बढ़ाने का विचार कर रही है ?

**श्री ए० पी० जैन** : जी हां ।

**श्री बी० एस० मूर्ति**: मैं जान सकता हूं कि क्या कोई ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि इस समय विद्यार्थियों को जो अनुदान दिये जा रहे हैं वे उन के ख़र्च को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं हैं ?

**श्री ए० पी० जैन**: जी नहीं ।

**श्री नानादास** : धन का आवंटन किस आधार पर किया जाता है ?

**श्री ए० पी० जैन**: यह निम्नलिखित बातों को ध्यान में रख कर बांटा जाता है :

१. तीनों वर्गों की जनसंख्या ;

२. प्रत्येक वर्ग का शिक्षा में पिछड़ापन ; और

३. प्रत्येक वर्ग के उम्मीदवारों से प्राप्त प्रार्थनापत्रों की संख्या ।

**भारतीय संगीतज्ञ**

*१४०६. **श्री मुनिस्वामी**: (क) क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारतीय संगीतज्ञों के सम्मान में हाल में राष्ट्रपति भवन में हुये समारोह पर भारत सरकार ने कुल कितना व्यय किया था ?

(ख) क्या सरकार का प्रति वर्ष इस प्रकार के समारोह करने का विचार है ?

**पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन)**: (क) भारत सरकार ने १९५२-५३ में इस वर्ष के संगीतज्ञों को पुरस्कार देने में ७,३३० रुपये ७ आने व्यय किये हैं ।

(ख) हां, श्रीमान् ।

**श्री मुनिस्वामी**: मैं जान सकता हूं कि इन संगीतज्ञों का चुनाव कैसे किया गया था ?

**शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद)**: अकादमी ने सेलेक्शन किया ।

**श्री मुनिस्वामी**: मैं जान सकता हूं कि क्या इस वर्ष जो संगीतज्ञ आये थे उन्हीं को अगले वर्ष बुलाया जायेगा ?

**मौलाना आज़ाद**: हर साल नये आदमियों को सनद दी जायेगी ।

**अध्यक्ष महोदय**: जो लोग पहले प्राइज़ पा चुके हैं, क्या इस साल उन को बुलायेंगे ?

**मौलाना आज़ाद**: बुलाना दूसरी बात है । जो एवार्ड्स दिये जाते हैं, ये हर वर्ष नये आदमियों को दिये जायेंगे ।

**श्री ए० पी० जैन**: कुछ इन में से भी होंगे और कुछ नये भी होंगे ।

**विश्वविद्यालयों को अनुदान**

*१४०७. **श्री झूलन सिन्हा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) बनारस तथा पटना विश्वविद्यालय के लिये १९५२-५३ में कितना अनुदान मंजूर किया गया है ; और

(ख) ये अनुदान किस प्रयोजन के लिये मंजूर किये गये थे ?

**पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन)**: (क) तथा (ख). एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ३७**]

**श्री झूलन सिन्हा** : मैं जान सकता हूं कि क्या पटना विश्वविद्यालय ने अपने साधारण तथा शिक्षा सम्बन्धी व्यय के लिये किसी अनुदान की प्रार्थना की है ? विवरण

में मैं ने देखा है कि पटना विश्वविद्यालय को कोई आवंटन नहीं किया गया।

**शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद)** : अभी मैं इसका जवाब नहीं दे सकता।

**श्री झूलन सिन्हा**: हिन्दू यूनिवर्सिटी को मेन्टेनेन्स एक्सपेंसेज़ की कमी को पूरा करने के लिये जो रक़म दी गई है वह काफ़ी है या नहीं ?

**मौलाना आज़ाद**: यह गवर्नमेंट कैसे कह सकती है, इस का फ़ैसला तो वे ही करेंगे।

**डा० सुरेश चन्द्र**: क्या मैं पूछ सकता हूं कि किस बिना पर ये ग्रान्ट्स युनिवर्सिटीज़ को दी जाती हैं ?

**मौलाना आज़ाद**: आम तौर पर साइंटिफ़िक और टेक्निकल एजुकेशन के लिये ग्रान्ट्स दी जाती हैं, इन चार युनिवर्सिटीज़ के अलावा जो कि सेन्ट्रल युनिवर्सिटी ज हैं।

**श्री एस० एन० दास** : चूंकि पटना युनिवर्सिटी दो युनिवर्सिटियों में बंट गई है, इसलिये उस को सन् ५३-५४ के लिये जो ग्रान्ट मिलने वाली है वह अलग अलग मिलेगी या एक साथ मिलेगी ?

**मौलाना आज़ाद**: गवर्नमेंट इस पर ग़ौर करेगी।

**सेठ गोविन्द दास**: क्या इस बात का ख्याल रखा जाता है कि.....

**अध्यक्ष महोदय**: अब हम अगले प्रश्न को लेते हैं।

## वित्त आयोग की सिफ़ारिशें

*१४०८. **श्री एन० बी० चौधरी**: क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि कुछ राज्यों में वित्त आयोग के आय के वितरण सम्बन्धी सुझावों के बारे में कोई अभ्यावेदन किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों ने ऐसा किया है ?

**वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा)** : (क) तथा (ख). भारत सरकार को वित्त आयोग की सिफारिशों के सम्बन्ध में राज्य सरकारों से कोई अभ्यावेदन नहीं प्राप्त हुये हैं।

**श्री एन० बी० चौधरी**: मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को यह विदित है कि पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री ने आवंटन के सिद्धान्त के सम्बन्ध में असन्तोष प्रकट किया है ?

**श्री ए० सी० गुहा**: आय-व्ययक सम्बन्धी भाषण में राज्यों के अधिकांश वित्त मंत्रियों ने कुछ न कुछ कहा है। जब धन का प्रश्न हो तो प्रत्येक राज्य को इस प्रकार का कुछ न कुछ असन्तोष होना बिल्कुल स्वाभाविक है। किन्तु हमें कोई अभ्यावेदन नहीं प्राप्त हुआ है।

**श्री पी० टी० चाको**: मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को त्रावनकोर-कोचीन के वित्त मंत्री के आय-व्ययक सम्बन्धी भाषण की कोई प्रति प्राप्त हुई है जिस में कि उन्होंने संविधान के अनुच्छेद २७५ के अधीन अनुदानों के सम्बन्ध में वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के विरुद्ध शिकायत की है और क्या सरकार ने सिफ़ारिशों के सम्बन्ध में कोई निश्चय करने से पूर्व इस प्रश्न पर विचार किया है ?

**अध्यक्ष महोदय**: मुझे भय है कि यह प्रश्न प्रत्येक राज्य के सम्बन्ध में पूछना पड़ेगा। बहुत-से राज्यों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

हमें अगला प्रश्न लेना चाहिये।

**श्री एन० बी० चौधरी** : श्रीमान्, एक प्रश्न और । मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार का निकट भविष्य में एक और वित्त आयोग बनाने का विचार है ?

**श्री ए० सी० गुहा** : यह तो संविधान में दिया हुआ है ।

**इंडियन इन्स्टीच्यूट आफ़ टेक्नोलोजी, खड़गपुर**

*१४०९. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) इंडियन इन्स्टीच्यूट आफ़ टेक्नोलोजी खड़गपुर के लिये भवन बनाने के काम में कहां तक प्रगति हुई है ;

(ख) क्या मूल योजना के अनुसार कार्य हो रहा है ; और

(ग) निर्माण कार्य के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

**पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : (क) कर्मचारियों के सभी क्वार्टर तथा २ छात्रावास पूरे हो गये हैं । इन्स्टीच्यूट के तीन पार्श्व लगभग पूरे होने वाले हैं । तीसरे छात्रावास तथा इन्स्टीच्यूट के शेष भाग के निर्माण का काम आरम्भ कर दिया गया है ।

(ख) काम इन्स्टीच्यूट की अधिष्ठात्री पर्षद् द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार चल रहा है ।

(ग) १९५५ तक ।

**श्री एन० बी० चौधरी** : मैं जान सकता हूं कि क्या इन्स्टीट्यूट के संचालक का निर्माण कार्य के अधीक्षण से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध है ?

**शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद)** : नहीं ।

**श्री एन० बी० चौधरी** : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को इस इंस्टीच्यूट की चारदीवारी के अन्दर से कोई वस्तु हटाने के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ?

**श्री ए० पी० जैन** : जी नहीं ।

**मौलाना आज़ाद** : नहीं ।

**श्री एन० बी० चौधरी** : क्या मैं इस निर्माण कार्य का कुल प्राक्कलन जान सकता हूं ?

**श्री ए० पी० जैन** : मैं इस समय कुल प्राक्कलन नहीं बतला सकता, किन्तु मैं अलग अलग आंकड़े बतला देता हूं जो कि निम्न प्रकार हैं :

| | रुपये |
|---|---|
| १ संचालक का बंगला | ६४,३५० |
| १२ 'ए' श्रेणी के बंगले | ३,७०,०५६ |
| २८ 'बी' श्रेणी के बंगले | ६,४३,९१८ |
| ६५ 'सी' प्रकार के क्वार्टर | ६,४८,८०२ |
| ४० 'सी-१' प्रकार के क्वार्टर | ६,२५,०७० |
| ९३ 'एच' प्रकार के क्वार्टर | ६,४०,९०६ |
| ४ खण्ड—अविवाहितों के क्वार्टर । | ९,०२,७८६ |

**श्री के० के० बसु** : क्या मैं एक छोटा सा अनुपूरक प्रश्न पूछ सकता हूं ?

**अध्यक्ष महोदय** : केवल एक मिनट और है । यदि यह प्रश्न पूछ लिया गया तो अगला प्रश्न नहीं पूछा जा सकेगा । अगला प्रश्न संख्या १४१० ।

**शिक्षा सम्बन्धी अनुदान**

*१४१०. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या विभिन्न राज्यों को शिक्षा के लिये दिये जाने वाले केन्द्रीय अनुदान प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं ?

**पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : जी नहीं ।

**श्री एस० सी० सामन्त :** क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि पिछले साल में जो ग्रान्ट दी जाती है, उस के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट भेजती है या नहीं ?

**शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) :** हां ।

**श्री एस० सी० सामन्त :** क्या मैं जान सकता हूं कि युनिवर्सिटी कमीशन और युनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन ने या दोनों ने पापुलेशन के बारे में कोई राय दी है ?

**मौलाना आज़ाद :** नहीं, जहां तक कमीशन का ताल्लुक़ है उसने कोई ऐसी सिफ़ारिश नहीं की है ।

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

### शिविरों में असहाय व्यक्ति

*१३७७. **श्री बी० के० दास :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) असहाय व्यक्तियों में से कितने, जो घरों में या शिविरों में रखे हुये हैं, उन्हीं घरों या शिविरों या बाहर, अपनी प्रशिक्षण समाप्त करने के बाद, अपना निर्वाह कर सकते हैं ?

(ख) उन को ऐसे उद्देश्य के लिये क्या सहायता दी जा चुकी है ?

(ग) उनको अब तक उधार या अनुदान देने में कितनी रक़म खर्च हो चुकी है ?

**पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) :** (क) २,६६७ ।

(ख) (१) कार्य प्रारम्भ के लिये उधार तथा अनुदान के रूप में आर्थिक सहायता ।

(२) कारोबार प्राप्त करने के लिये ।

(ग) ऋण १५,५२० रुपये
अनुदान ३,४३,९०५ रुपये ।

### भूमि प्राप्त कर्त्ताओं द्वारा पुनर्विचार के प्रार्थनापत्र

*१३८३. **श्री माधव रेड्डी :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार ने क्या पद्धति निश्चित की है, जिसके द्वारा पैप्सू और पंजाब में भमि प्राप्त कर्त्ताओं द्वारा पुनर्विचार के प्रार्थनापत्रों पर विचार किया जाये जिनको निर्वासित सम्पत्ति अधिनियम के शासन प्रबन्ध के नियम १४, उपनियम ६ में संशोधन के बाद, भूमि नियत की गई थी ?

**पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) :** निर्वासित सम्पत्ति (केन्द्रीय) नियम, १९५० के शासन प्रबन्ध के नियम ३१ के साथ पठित, १९५१ के निर्वासित सम्पत्ति अधिनियम ३१ के शासन प्रबन्ध के उपभाग ३६ में पुनर्विचार की अर्ज़ियों को फाइल करने के लिये पद्धति दी गई है। पुनर्विचार के लिये नियम, १६, उपनियम ६ के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है ।

### लोहे की कच्ची धातु के सम्बन्ध में अनुसन्धान

*१३८४. **श्री जांगड़े :** (क) क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय सरकार ने लोहे की कच्ची धातु के सम्बन्ध में, जो भिन्न भिन्न राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में पाया गया है, कोई अनुसन्धान किया है ?

(ख) पाया गया कच्चा लोहा किस प्रकार का था ?

**शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) :** (क) तथा (ख). अपेक्षित जानकारी रखने वाला विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ३८]**

**तम्बाकू की चीज़ों पर दुगुना कर**

*१३८८. **श्री राजगोपाल राव** : (क) क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को मद्रास राज्य के सोमपेट, टेकाली और श्री काकुलम के तम्बाकू बीजने वालों से चुरट और सिगार की तरह तम्बाकू की चीज़ों पर दुगने कर---केन्द्र द्वारा उत्पादन शुल्क और राज्य सरकार द्वारा विक्रय-शुल्क सम्बन्धी ज्ञापन मिला है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो क्या सरकार ने ज्ञापन में उठाये बिन्दुओं का विचार किया और उनके कष्टों की खोज की है ?

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार किया गया है ?

**वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा)** : (क) मद्रास राज्य के सोमपेट और श्री काकुलम के तम्बाकू व्यापारियों के संघ से प्रतिनिधित्व आये हैं, जिनकी शिकायत है कि तम्बाकू की चीज़ों पर अर्थात् चुरट तथा सिगार आदि पर, पहली अप्रैल, १९५३ से राज्य सरकार को विक्रय कर तथा केन्द्र को उत्पादन-शुल्क देना पड़ता है ।

(ख) तथा (ग). जी हां । संविधान की सातवीं अनुसूची के पद ५४ के आधीन राज्य सरकारों को अपने अधिकारों के अनुसार विक्रय कर लगाने का अधिकार है, और भारत सरकार इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती ।

**अनुसूचित जातियों के सहायकों के लिये आयु की छूट**

*१३८९. **श्री जांगड़े** :(क) क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि क्या सरकार विचार कर रही है या निर्णय कर चुकी है कि अनुसूचित जातियों के अस्थायी सहायकों को व्यवस्थित अस्थायी स्थापना में सहायक की जगह के लिये तीन साल की अपेक्षा १ वर्ष की अवधि की सेवा की छूट दे दी जाय ?

(ख) यदि ऐसा है, तो क्या सरकार अनुसूचित जातियों के सहायकों को सहायक सुपरिन्टेन्डेन्ट की जगह के लिये २२वीं अक्तूबर १९४८ तक ५ वर्ष की अवधि की सेवा की सीमा को शिथिल कर रही है ?

(ग) क्या सरकार ऐसा उपबन्ध बना रही है कि अनुसूचित जातियों के सहायकों को असिस्टेन्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट की तरक्की के लिये किसी तिथि को भी पांच वर्ष की सेवा पूरी करना चाहिये और उनके बारे में ऊपर निश्चित की हुई तिथि लागू नहीं होगी ?

**गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां, सम्बद्ध अनुदेश में कहा गया है कि जो व्यक्ति अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों से सम्बन्धित हैं और जिन्होंने एक जुलाई १९५२ तक सहायक के स्थान पर एक वर्ष तक कार्य कर लिया है वे सहायकों के नियमित अस्थायी स्थापन में सम्मिलित होने के उपयुक्त हैं । दूसरे व्यक्तियों के विषय में जो अवधि निर्धारित की गई है वह स्नातकों के लिये तीन वर्ष है तथा जो स्नातक नहीं हैं उनके लिये पांच वर्ष है ।

(ख) कदाचित यह निर्देश केन्द्रीय सचिवालय सेवा की प्राथमिक रचना की प्रथम श्रेणी से तृतीय श्रेणी में नियुक्ति की उपयुक्तता पर विचार करने की दशाओं से है । दूसरे व्यक्तियों के लिये, जिन्होंने सचिवालय अथवा उससे संलग्न कार्यालयों में द्वितीय श्रेणी के स्थान पर २२ अक्तूबर १९४८ तक पांच वर्षों तक नौकरी की है तथा अन्य दशाओं को संतुष्ट कर दिया है वे विचार के योग्य हैं । इस योजना के अनुसार प्राथमिक नियुक्तियों का चुनाव पूरा कर लिया गया

हैं और किसी भी श्रेणी के कर्मचारियों की शर्तों में शिथिलता करने का कोई प्रश्न नहीं है । फिर भी मैं कह दूं कि मंत्रालयों को यह अधिकार था कि जिन व्यक्तियों ने निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं किया है वे ऐसे योग्य व्यक्तियों के लिये विशेष रूप से सिफ़ारिशें कर सकते हैं और अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के सम्बन्ध में सिफ़ारिश किये गये सब मामले गृह मंत्रालय ने स्वीकार कर लिये और उन्हें संघ लोक सेवा आयोग को विचार के लिये सौंप दिये । उनमें से कुछ व्यक्ति वस्तुतः सेवा में नियुक्त किये गये हैं ।

(ग) संवृद्धि के सम्बन्ध में भविष्य में २२ अक्तूबर १९४८ की तिथि प्रासंगिक नहीं है जो कि दो में से किसी एक पद्धति के आधार पर की जायेंगी :

(i) अनुपयुक्त होने की स्थिति में अस्वीकृत किये जाने की दशा को छोड़ कर स्थायी सहायकों की ज्येष्ठता के आधार पर ; और

(ii) विभागीय परीक्षा के आधार पर जो कि किन्हीं विशिष्ट सेवा वर्गों तक सीमित हैं ।

विभागीय परीक्षा की योग्यता के लिये शर्तें निश्चित करते समय अनुसूचित जाति से सम्बन्धित कर्मचारियों के लिये कतिपय रियायतें रखी जाने का विचार है ।

**शिक्षा प्रसार के लिये सुविधायें**

*१३९०. **श्री के० सुब्रह्मण्यम्** : (क) क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार अवकाश के समय अपने कर्मचारियों में शिक्षा प्रसार के लिये क्या कुछ सुविधायें प्रदान कर रही है ?

(ख) यदि ऐसा है तो वे कौनसी सुविधायें अथवा प्रेरणायें हैं जो कर्मचारियों को इस दिशा में प्रोत्साहित करेंगी ?

**गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू)** : (क) तथा (ख). इस कार्य के लिये सरकारी कर्मचारियों ने विशेष सुविधायें नहीं मांगी हैं और न स्वीकृत ही की गई हैं । यदि सरकारी कर्मचारी अवकाश के समय पूर्व वर्णित सामाजिक कार्यों में स्वेच्छा पूर्वक भाग लेना चाहें तो उस पर कोई रोक नहीं है बशर्ते इससे राजकीय कर्त्तव्यों को पूर्ति में बाधा न पड़ती हो ।

**मलाबार में सुरक्षित स्मारक**

*१३९५. **श्री एन० पी० दामोदरन** : (क) क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मद्रास राज्य के मलाबार ज़िले में सुरक्षित स्मारकों की संख्या क्या है ?

(ख) क्या इन स्मारकों को देखने जाने वाले व्यक्ति की जानकारी के लिये महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और पुरातत्व सम्बन्धी सामग्री उपलब्ध है ?

(ग) क्या सरकार मलाबार के अन्य अधिक स्मारकों को स्मारक सुरक्षा अधिनियम, के अन्तर्गत लेने पर विचार कर रही है ?

**शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद)** : (क) सदन पटल पर प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है ।

(ख) अभी नहीं; श्रीमान् ।

(ग) जी, नहीं; श्रीमान् ।

विवरण

**मलाबार में सुरक्षित स्मारक**

| क्रम संख्या | स्थान | स्मारक का नाम |
|---|---|---|
| (१) | केन्नानोर | फ़ोर्ट सेण्ट एंजेलो |
| (२) | कोचीन | सेंट फ़्रांसिस चर्च |
| (३) | टोल्लिचोरी | टोल्लिचोरी फोर्ट |

| क्रम संख्या | स्थान | स्मारक का नाम |
|---|---|---|
| (४) | यकारा दोसम | पालघाट फोर्ट |
| (५) | किडनगनाड-अम-साम और दोसम | जैन मन्दिर |
| (६) | अञ्जेगो | अञ्जेगो फोर्ट |
| (७) | तांगासोरी | प्राचीन तांगासोरी दुर्ग के भग्नावशेष। |

**अगरतल्ला में सभा करने की अनुमति**

*१०९७. **श्री दशरथ देव**: क्या राज्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या साम्यवादी पार्टी ने दिनांक १४ नवम्बर १९५२ को अगरतल्ला में एक सम्मेलन का आयोजन करने के लिये अनुमति मांगी थी और ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त अनुमति अस्वीकृत कर दी गई थी ;

(ख) धारा १४४ प्रसारित किये जाने के पश्चात् (१२ नवम्बर, १९५२ के बाद) अगरतल्ला में कितनी सार्वजनिक सभायें हुई थीं और कितन मामलों में अनुमति मांगी गई थी और कितनी स्थितियों में यह प्रदान की गई ;

(ग) क्या दूसरों को अनुमति दी गई थी ; और

(घ) क्या यह सच है कि न्यायिक आयुक्त की अदालत में विगत चार माह पूर्व ही १४४ धारा के अन्तर्गत एक मामला प्रारम्भ किया गया था ?

**गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू)**: (क) जी हां ; दिनांक १४ नवम्बर, १९५२ को अगरतल्ला में साम्यवादी पार्टी के एक सम्मेलन के लिये अनुमति मांगी गई थी । शान्ति भंग होने की सम्भावना से ज़िला मजिस्ट्रेट ने अनुमति अस्वीकृत कर दी ।

(ख) और (ग) . १२ नवम्बर, १९५२ केपश्चात् अगरतल्ला में सभा की आयोजन के लिये चार अवसरों पर अनुमति मांगी गई थी । तीन स्थितियों में अनुमति दे दी गई किन्तु चौथे मामले उक्त (क) भाग में वर्णित कारण के फलस्वरूप वह अस्वीकृत कर दी गई ।

(घ) यह प्रतीत होता है कि चार महीने पूर्व न्यायिक आयुक्त की अदालत में दंड विधि संहिता की १४४वीं धारा के अन्तर्गत कोई दावा प्रारम्भ नहीं किया गया था ।

**तम्बाकू पर उत्पादन शुल्क**

*१०९८. **श्री दाभी**: क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) विभिन्न कार्यों में प्रयुक्त होने वाली तम्बाकू पर लगाये गये उत्पाद-शुल्क की दरें ;

(ख) सन् १९५१ और '५२ में बम्बई राज्य के प्रत्येक ज़िले से तम्बाकू पर लगाये गये उत्पाद-शुल्क की निधि;

(ग) तम्बाकू उत्पादनकर्त्ताओं के मामलों में उत्पाद-शुल्क से मुक्त की गई तम्बाकू की मात्रा ;

(घ) सन् १९५१ और १९५२ में बम्बई राज्य के प्रत्येक ज़िले में उत्पादित तम्बाकू की मात्रा ; और

(ङ) सन् १९५१ और सन् १९५२ में बम्बई राज्य के प्रत्येक ज़िले में तम्बाकू लाइसेंसों की संख्या क्या है ?

**वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा)**: (क) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, १९४४, की प्रथम सूची के ९वें विषय के अन्तर्गत तम्बाकू पर लगाये गये अंतः शुल्क की दरें सदन पटेल पर प्रस्तुत किये गये विवरण सं० १ में दी गई हैं। **[देखों परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ३९]**

(ख) से (ङ). बम्बई राज्य के प्रत्येक ज़िले में उत्पादित तम्बाकू तथा उस पर वसूल किये गये शुल्क के सम्बन्ध में आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं किन्तु तत्स्थानी ज़िलों के द्योतक केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क क्षेत्रों के अंक दिये गये हैं। तीन विवरण (विवरण २, ३ और ४) सदन पटल पर रख दिये गये हैं। **[देखो परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ३९]**

**राज्यों की सरकारों द्वारा विस्थापित व्यक्तियों को ऋण**

*१०९९. **सरदार हुक्म सिंह :**
**श्री अजीत सिंह :**

(क) क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उन विस्थापित व्यक्तियों की क्या संख्या है जिनसे प्रमाणित दावों की क्षतिपूर्ति से सम्बन्धित प्रथम भाग की अदायगी तक राज्य सरकारों द्वारा व्यापार, व्यवसाय और उद्योग के लिये दिये गये **ऋण** की वसूली स्थगित कर दी थी ?

(ख) उन्हें प्रथम अंशाश कब दिये जाने की सम्भावना है ?

**पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन):** (क) दिनांक २१ मार्च, १९५३ तक प्राप्त होने वाले ९८८७ प्रार्थनापत्रों में से १७२६ मामलों में प्रमाणित दावों के दसवें भाग तक न चुकाने वाले भागों की वसूली स्थगित कर दी गई थी।

(ख) क्षतिपूर्ति की योजना भारत सरकार के विचाराधीन है और इस पर शीघ्र ही निर्णय किया जायगा।

**विस्थापित व्यक्तियों (सरकारी कर्मचारियों) के दावे**

११००. **सरदार हुक्म सिंह :**
**श्री अजीत सिंह :**

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) विस्थापित सरकारी कर्मचारियों राज्यों और स्थानीय संस्थाओं के कर्मचारी-वर्ग द्वारा १३ दिसम्बर, १९५२ तक अपने निवृत्ति-वेतन, भविष्य निधि, अवकाश वेतन और प्रतिभूति उपनिधि के सम्बन्ध में प्रामाणिकता हेतु पाकिस्तान में भेजे गये दावों की संख्या ; और

(ख) उक्त तिथि तक पाकिस्तान द्वारा प्रमाणित किये गये दावों की संख्या ?

**पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन):** (क) १८,९४१।

(ख) ५,२६१।

**सैनिक का राशन**

**११०१. श्री लक्ष्मण सिंह चरक:** (क) क्या **रक्षा** मंत्री भारत में प्रतिदिन प्रत्येक सैनिक को दिये जाने वाले राशन की मात्रा और प्रत्येक वस्तु के सम्बन्ध में सविस्तृत जानकारी देने की कृपा करेंगे ?

(ख) जम्मू और काश्मीर क्षेत्र में प्रति दिन प्रत्येक सैनिक को कितनी मात्रा में राशन दिया जाता है ?

(ग) यदि जम्मू और काश्मीर क्षेत्र में राशन की मात्रा अधिक है तो उसके क्या कारण हैं ?

**रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया):** (क) और (ख). सदन पटल पर प्रतिवेदन रख दिया गया है। **[देखो परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ४०]**

(ग) जम्मू और काश्मीर क्षेत्र में दुष्कर परिस्थितियों के व्याप्त होने से सैनिकों के राशन में वृद्धि की गई है ।

**निर्वाचन याचिकायें**

११०२. **श्री बहादुर सिंह :**
**सरदार हुक्म सिंह ।**

क्या **विधि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि नामनिर्देशन पत्रों की अवैध अस्वीकृति के आधार पर अभी तक कितनी निर्वाचन याचिकायें प्रस्तुत की गई हैं ?

**विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास)** : नामनिर्देशन पत्रों की अवैध अस्वीकृति के आधार पर एक अप्रैल, १९५३ तक ११६ निर्वाचन याचिकायें प्रस्तुत की गई हैं ।

**जन प्रतिनिधान अधिनियम के अन्तर्गत अयोग्यतायें**

११०३. **श्री बहादुर सिंह :**
**सरदार हुक्म सिंह :**

(क) क्या **विधि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गत सामान्य निर्वाचनों में निर्वाचन व्यय का हिसाब न देने के लिये जन प्रतिनिधान अधिनियम की धारा १४३ के अन्तर्गत अयोग्य ठहराये जाने वाले व्यक्तियों की कुल कितनी संख्या है ?

(ख) उपरोक्त भाग में उल्लिखित कितने व्यक्तियों की अयोग्यता को जन-प्रतिनिधान अधिनियम, की धारा १४४ के अन्तर्गत हटा दिया गया है ?

**विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास)** : (क) ८,६३० ।

(ख) २,५१२ ।

**अण्डेमान द्वीपों के पदाधिकारी**

११०४. **श्री एम० एल० द्विवेदी :**
**श्री एस० सी० सामन्त :**

(क) क्या **गृहकार्य** मंत्री निम्न सूचना सम्बन्धी वक्तव्य संसद् में देने की कृपा करेंगे कि :

(१) अंडेमान द्वीप में घोषित तथा अघोषित पदाधिकारी कितने हैं, उनके वेतन तथा स्थापन पर कितनी धन राशि व्यय की जाती है, इसका विवरण, विभाग अथवा कार्यालय के अनुसार होना चाहिये ?

(२) अंडेमान द्वीप का समस्त राजस्व एवं आय—राज्य द्वारा संचालित उद्योगों से प्राप्त आय भी इसमें सम्मिलित करके—१९४७ से अब तक प्रति वर्ष कितनी कितनी रही है ?

(३) सन् १९४७ से लेकर अब तक प्रति वर्ष सरकार ने कितने अनुदान विभिन्न प्रकार से दिये हैं, तथा तब से अब तक केन्द्रीय सरकार ने अंडेमान द्वीप पर कितना व्यय किया है ?

(४) (१) खेती और नारियल के पेड़ों में कितना भूमिभाग घिरा हुआ है उसका सही क्षेत्र कितना है ? (२) जंगल विभाग के पास कितना क्षेत्र है ?

(ख) क्या इन द्वीपों में शासन करने वाली संस्था के कार्य की देखभाल करने के लिये सरकार ने कोई अभिकरण की नियुक्ति की है ?

**गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू)** : (क) (१) और (२). वांछित सूचना

सम्बन्धित विवरण नं० १ और २ है [**देखें परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ४१**]

(३) और (४). जानकारी प्राप्त की जा रही है मिलने पर संसद् पटल पर प्रस्तुत की जायगी ।

(ख) जी ।

**शिक्षा संस्थाओं को सहायतार्थ अनुदान**

**११०५. श्री जसानी:** क्या **शिक्षा** मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १९५१-५२ में शिक्षण संस्थाओं को कितना सहायता अनुदान दिया गया ?

(ख) उन संस्थाओं के क्या नाम हैं और किन किन कार्यों के लिये यह अनुदान दिया गया है ?

**शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आजाद):** (क) और (ख). वांछित सूचना सम्बन्धी विवरण संसद् पटल पर प्रस्तुत किया जा चुका है । [**देखें परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ४२**]

**पुरातत्व सम्बन्धी खुदाई**

**११०६. श्री एस० एन० दास:** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १९५२-५३ में भारत में कहां कहां पुरातत्व खुदाई का कार्य हो रहा है और वे स्थान कौन कौन से हैं ?

(ख) उन खुदाई के आधार पर कौन कौन सी प्रसिद्ध जानकारी प्राप्त हो सकी है ?

(ग) इनमें से प्रत्येक खुदाई पर कितनी धन राशि का व्यय हुआ है ?

(घ) विशेषज्ञों ने इन परीक्षण के आधार पर कौन कौन से मुख्य परिणाम निकाले हैं ?

**शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आजाद):** (क) से (घ). वांछित सूचना सम्बन्धी जानकारी संसद् पटल पर प्रस्तुत है । [**देखें परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ४३**]

**विदेशी दर्शक**

**११०७. श्री राधा रमण:** क्या **गृहकार्य** मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ३१ दिसम्बर, १९५२ को समाप्त होने वाले वर्ष में कुल कितने विदेशी दर्शक भारतवर्ष आये और उनमें से कितने रूसी तथा कितने अमरीकी दर्शक थे ?

(ख) इनमें से कितने भ्रमण के विचार से, कितने पढ़ाई के विचार से तथा कितने राजनैतिक कार्यों के कारण आये ?

**गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू):** (क) और (ख). सन् १९५२ में आने वाले विदेशी दर्शकों की संख्या सम्बन्ध विवरण जिनको प्रवेशपत्र दिया गया था और जिसमें रूसी तथा अमरीकी दर्शकों की संख्या अलग अलग दी गई है संसद् पटल पर प्रस्तुत है । विवरण में यह भी प्रकट है कि इसमें कितने भ्रमण के लिये कितने विद्यार्थी एवं कितने कूटनीतिज्ञ हैं । कितने दर्शक भारतवर्ष में वास्तव में आये इसकी संख्या अभी तक अप्राप्त है ।

---

## विवरण

विदेशी दर्शकों जिनको १९५२ में भारत आने के लिये प्रवेश पत्र दिया गया था और जिसमें रूसी तथा अमरीकी दर्शकों की संख्या अलग अलग है संसद् पटल पर प्रस्तुत है। विवरण में प्रकट है कि कितने भ्रमण के लिये, कितने विद्यार्थी एवं कितने राजनैतिक कार्यों से आये ।

| जाति | संख्या | भ्रमण करने वाले | विद्यार्थी | कूटनीतिज्ञ |
|---|---|---|---|---|
| सभी जातियां | १५,५७९ | २,३५९ | ४४३ | ५०१ |
| अमरीकी | ५,५७९ | १,६५० | ८० | ३१४ |
| रूसी | ८३ | — | — | १७ |

**विस्थापित व्यक्तियों को नगरी बस्तियों के लिये ऋण**

**११०८. श्री दशरथ देव :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ नगरी बस्ती बनाने के लिये विस्थापितों को ऋण देने का अनुदान स्वीकार किया है ?

(ख) यदि यह ठीक है तो वह नगरी बस्ती कौन कौन सी हैं जिन्हें स्वीकार किया गया है ?

(ग) अब तक इन बस्तियों के लिये कितना ऋण स्वीकृत किया जा चुका है ?

**पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) :** (क) जी।

(ख) एक सूची जिसमें इन नगरी बस्तियों के नाम लिखे हैं संसद् पटल पर प्रस्तुत है **[देखें परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ४४]**

(ग) विभिन्न प्रांतों की नई नगर बस्तियों के निवासियों को कितना धन ऋण स्वरूप दिया गया है इस सम्बन्ध में जानकारी इकट्ठी की जा रही है जो यथा समय संसद् पटल पर प्रस्तुत की जायगी।

**मनीपुर से गांजे का चौर्यानयन**

**११०९. श्री एल० जे० सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) कि १९४९-५०, १९५०-५१, १९५१-५२ में मनीपुर से कितने गांजे का चौर्यानयन किया गया है ?

(ख) उतने समय में कितनी मात्रा का पता चल गया है ?

(ग) चौर्यानयन के कितने मुक़द्दमे चले और कितने व्यक्तियों को चौर्यानयन के अपराध में दण्ड मिला ?

(घ) पकड़े गये गांजे का (यदि पकड़ा गया है तो) किस प्रकार निपटारा किया गया ?

(ङ) इस प्रकार गांजा बेचने पर कितना धन मिला ?

(च) गांजे का चौर्यानयन रोकने के लिये क्या क्या किया गया, तथा भविष्य में क्या क्या किया जायगा ?

**वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) :** (क) और (ख). यह बताना तो सम्भव नहीं है कि गांजे की कितनी मात्रा का चौर्यानयन किया गया। मनीपुर से चौर्यानयन होने वाले गांजे की निम्न मात्रा सन् १९४९-५०, १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में पकड़ी गई थी।

| | मन | सेर | तोला |
|---|---|---|---|
| १९४९-५० | ११ | ३७ | २४ |
| १९५०-५१ | १३ | २५ | २९ |
| १९५१-५२ | २२ | १९ | ४४ |

(ग) इस बीच चौर्यानयन के मुक़द्दमे जो न्यायालय द्वारा किये गये तथा चौर्यानयन करने वाले व्यक्तियों की संख्या जिनको दण्ड मिला वह इस प्रकार है :—

| | मुक़द्दमों की संख्या | चौर्यानयन करने पर दंडित व्यक्तियों की संख्या |
|---|---|---|
| १९४९-५० | १४२ | ११२ |
| १९५०-५१ | २३६ | १९० |
| १९५१-५२ | ३७३ | ३१० |

(घ) और (ङ). गांजे की समस्त मात्रा जो पकड़ी गई थी उसे ज़ब्त कर लिया गया और नष्ट कर दिया गया। अतएव ज़ब्त किये गये गांजे के बेचने से प्राप्त धन का तो प्रश्न ही नहीं उठता।

(च) मनीपुर से गांजे के चौर्यानयन के कारणों के विषय में पश्चिमी बंगाल सरकार ने आसाम तथा मनीपुर सरकार के

परामर्श द्वारा पूरी पूरी खोज कर ली है। और यह निश्चय किया गया है कि :

(१) जंगली गांजे को इकट्ठा कर के तथा उसे शुद्ध करके उन राज्यों को जिन्हें इसकी आवश्यकता है देने की खोज की जाय।

(२) निवारक उपायों को प्रोत्साहित किया जाय एवं पहाड़ी मुखियों को प्रोत्साहन दिया जाय कि वे इसे रोकने के लिये सभी आवश्यक सहायता दें।

(३) गांजे का चौर्यानयन करने वाले व्यक्तियों को अपराधी घोषित होने पर कठोर कारावास देने का भरसक प्रयत्न किया जाय।

(४) कुख्यात चौर्यानयन करने वाले व्यक्तियों के नाम की सूची बनाई जाय जिसे तीनों राज्यों में प्रसारित किया जाय। एक राज्य से दूसरे राज्य में यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति इधर उधर होता है तो उसकी सूचना उचित समय पर राज्यों को दे देनी चाहियें।

(५) आसाम सरकार द्वारा जीरीघाट, दिमापुर तथा गोहाटी के हवाई अड्डों पर निवारक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि होनी चाहिये तथा धर्मतुल जैसे स्थानों पर नयी निवारक चौकियां खोलनी चाहियें।

**मनीपुर के आदिमजातियों के किसानों को कृषि सम्बन्धी ऋण**

१११०. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५०-५१, १९५१-५२ तथा १९५२-५३ में मनीपुर के कबाइली तथा पहाड़ी किसानों को सरकार ने कृषि ऋण का अनुदान दिया था ?

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक वर्ष कितनी धन राशि ऋण स्वरूप दी गई, कितने व्यक्तियों को यह ऋण दिया गया, तथा इस ऋण की क्या शर्तें थीं ?

(ग) क्या कबाइली या पहाड़ी किसानों को ऋण देने के लिये विशेष अनुदान सम्बन्धी भारत सरकार की कोई स्थायी नीति है ?

**गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) :** (क) मनीपुर में किसी भी किसान को कोई कृषि ऋण नहीं दिया गया।

(ख) और (ग). इनका तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

**बिहार में समाज तथा बुनियादी शिक्षा के लिये अनुदान**

१११९. **श्री के० पी० सिन्हा :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५१-५२ और १९५२-५३ में बिहार प्रांत को कुल कितना अनुदान, अनुदान स्वरूप अथवा बुनियादी और समाज शिक्षा के लिये दिया गया ?

(ख) क्या अनुदान स्वरूप दिया गया धन प्रत्येक वर्ष खर्च किया गया था ?

(ग) यदि यह ठीक है तो वह धन कौन से कार्य विशेष के लिये खर्च किया गया ?

**शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) :** (क) से (ग). संसद् पटल पर विस्तृत विवरण प्रस्तुत है [**देखो परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ४५**]

**निवृत्ति वेतन सम्बन्धी**

**१११२. श्री एस० सी० सामन्त:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १९५२-५३ में निवृत्तिवेतन अपील अधिकरण के सम्मुख कितने मुक़द्दमे रखे गये ?

(ख) इनमें से कितने मुक़द्दमों का अन्तिम निर्णय हुआ ?

(ग) इन निर्णीत मुक़द्दमों में से कितने मुक़द्दमे पुनर्विचार के लिये केन्द्रीय पेन्शन अपील अधिकरण में आये ?

(घ) ये अधिकरण कब तक अपना कार्य समाप्त करेंगे ?

**रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया):** (क) ३१३ ।

(ख) २४५ ।

(ग) २८ ।

(घ) आजकल केवल एक ही पेन्शन अपील अधिकरण है जो जालंधर में कार्य कर रहा है । यह अधिकरण भारत सरकार द्वारा निर्णीत उन मामलों के विरुद्ध अपील तै करता है जिनका सम्बन्ध निम्न बातों से है :—

(१) अपगंता के कारण पेन्शन पाने के अधिकार के दावों को तथा युद्ध सेवा में मृत्यु प्राप्त व्यक्तियों के परिवार वालों को पेन्शन देना अस्वीकार कर दिये जाने, वाले दावों को सुनना जिन्होंने द्वितीय महायुद्ध (१९३९-४६) में सेवा की थी ।

(२) दुर्व्यवहार या अत्यधिक असावधानी एवं आपरेशन तथा इलाज करने से अनावश्यक मना करने पर पेन्शन को दंडित करने सम्बन्धी मामले के दावे सुनना ।

पेन्शन अपील अधिकरण के निर्णयों के विरुद्ध की गई अपीलें केन्द्रीय अपील अधिकरण के यहां विचाराधीन हैं जिनमें निवृत्ति की बात होती है ।

एक व्यक्ति जिसे नौकरी से अलग कर दिया गया है अथवा जिसकी मृत्यु हो जाती है, वह भी युद्ध सेवा का अधिकारी है और अतएव उसकी अपंगता या मृत्यु का प्रश्न जो पिछली सेवाओं के कारण है विवादास्पद रहेगा । पेन्शन अपील अधिकरण में सरकार के निर्णय के विरुद्ध अपीलें बराबर सरकार के पास जाती रहेंगी और अधिकरण के पास सुनवाई के लिये भेजी जाती रहेंगी । इस अवस्था में इस बात का पहिले ही अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि न्यायाधिकरण अपना कार्य कब तक समाप्त कर लेंगे ।

अंक ३ शुक्रवार
संख्या १४ १७ अप्रैल, १९५३

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

# संसदीय वाद विवाद

## लोक सभा

तीसरा सत्र

## शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:०:—

भाग २—प्रश्न और उत्तर पृथक से कार्यवाही

विषय-सूची

सदन का कार्यक्रम [पृष्ठ भाग ३४८१—३४८५]
राज्य परिषद् से सन्देश [पृष्ठ भाग ३४८५—३४८६]
संकल्प—
राष्ट्रीय सूरक्षा के संरक्षण नियम सम्बन्धी—
अस्वीकृत [पृष्ठ भाग ३४८६—३५२४]
अस्पृश्यता सम्बन्धी विधान—संशोधित रूप में
स्वीकृत [पृष्ठ भाग ३५२४—३५६८]

(मूल्य ६ आने)

384 P.S.D.

# लोक सभा

शुक्रवार, १७ अप्रैल, १९५३

---

[सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष पद पर आसीन थे]

## प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

---

९-१५ म. पू.

## सदन का कार्य

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे सदन को यह सूचना देनी है कि सदन के समक्ष विधान सम्बन्धी कार्य के कार्यक्रम पर विचार करने के लिये परामर्शदात्री समिति की बैठक १५ अप्रैल, १९५३ को हुई थी।

समिति को यह सूचना मिली कि सरकार ने इस बात पर विचार किया कि वर्तमान सत्र के समाप्त होने से पहले निम्नांकित १५ विधेयकों को पारित किया जाना चाहिये :

(१) वायु निगम विधेयक,

(२) भारतीय आयकर (संशोधन) विधेयक,...

(३) उद्योग (विकास तथा नियमन) संशोधन विधेयक,



(४) चाय विधेयक,

(५) संपदा शुल्क विधेयक,

(६) पैप्सू (अधिकार प्रत्यायोजन) विधेयक,

(७) विन्ध्य प्रदेश विधान-सभा (अनर्हता-निवारण) विधेयक,

(८) नियंत्रक महालेखा परीक्षक (सेवा की शर्तें) विधेयक,

(९) अनुसूचित क्षेत्र (निधियों का आत्मसात् करना) संशोधन विधेयक,

(१०) संसदीय पदाधिकारी--वेतन तथा भत्ते--विधेयक,

(११) चलचित्र (संशोधन) विधेयक,

(१२) भारतीय प्रकाशस्तम्भ (संशोधन) विधेयक,

(१३) निरसन तथा संशोधन विधेयक,

(१४) भारतीय व्यापार-नौपरिवहन (संशोधन) विधेयक, तथा

(१५) लोक प्रतिनिधान (संशोधन) विधेयक।

सरकार यही करने को कहती है। अब यह देखा जाय कि कार्य परामर्शदात्री समिति का क्या विचार है।

उक्त समिति ने निम्नांकित विधेयकों पर चर्चा करने के लिये इस प्रकार की काल-अनुक्रमणिका रखी है.

(१) वायु निगम विधेयक—पांच दिन।

[अध्यक्ष महोदय]

(२) भारतीय आयकर (संशोधन) विधेयक—तीन दिन।

(३) उद्योग (विकास तथा नियमन) संशोधन विधेयक—तीन दिन।

(४) चाय विधेयक—दो दिन।

(५) पैप्सू आयव्ययक—एक दिन।

(६) पैप्सू (अधिकार प्रत्यायोजन) विधेयक—एक दिन।

(७) संपदा शुल्क विधेयक पर की सामान्य चर्चा वर्तमान सत्र में ही ५ दिन में समाप्त की जानी चाहिये; समिति का यह भी विचार है कि इस पर जितने भी अन्य संशोधन होंगे, उन पर मंत्री जी अन्तः सत्र अवधि में विचार करते होंगे। वह औपचारिक रूप से सदस्यों को बुला कर इन पर चर्चा चला सकते हैं, और उस के बाद आगामी सत्र में विधेयक पर खंडतः विचार किया जा सकता है। इस से सदन का समय बच जायेगा।

अन्य विधेयकों के सम्बन्ध में अभी समिति ने कोई विशेष काल-विभाजन निश्चित नहीं किया है।

उक्त समिति ने यह भी बताया कि यदि ८ मई, १९५३ को सत्र समाप्त हो जाय तो सभी विधेयकों के प्रस्तुत करने के लिये काफी समय नहीं मिलेगा, अतः सत्र की अवधि बढ़ाई जाय, और १५ मई, १९५३ तक यह काम समाप्त किया जाय।

**श्री एस० बी० रामस्वामी** (सलेम): श्रीमान्, क्या इस प्रकार का कोई आदेश है कि ये सभी १५ विधेयक पारित किये जायेंगे।

**अध्यक्ष महोदय**: माननीय सदस्य भली भांति जानते हैं कि सदन के प्रसाद से ही कोई विधेयक स्वीकार अथवा अस्वीकार किया जा सकता है। इस का यह अर्थ है कि इन्हें पारित किया जाना चाहिये। मैं कोई भी विधान सम्बन्धी बात नहीं कह रहा बल्कि एक सीधी सी बात कर रहा हूं।

**श्री टी० एस० ए० चेट्टियार** (तिरुपुर): किस क्रम में इन विधेयक पर चर्चा होगी? क्या मैं यह मान लूं कि उसी क्रम में होगी जिस के अनुसार आप पहले बता चुके हैं।

**अध्यक्ष महोदय**: सदन की सुविधा तथा कार्य के अनुसार इनका क्रम बांधा जायेगा।

**श्री एस० बी० रामस्वामी**: पूर्ववर्तिता जानने पर ही हम उनका क्रम बांधेंगे।

**अध्यक्ष महोदय**: हम व्यवस्था करने पर ही आज सायं एक सूची परिचालित करेंगे। इस सारे का यह भाव है कि जो भी विधेयक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने वाले हैं, उन्हें पहले लिया जाना चाहिये, ताकि प्रवर समिति उन पर विचार करे—और सदन को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे—और इस सारे के बीच इतना समय बचे कि सदन खण्डशः उन विधेयकों को पारित कर सके।

**श्री के० सी० सोधिया** (सागर): मेरा विचार है कि अकेले वायु निगम विधेयक के १०० संशोधन होंगे, और यदि यह निस्स्वाम्य विधेयक नहीं बनने जा रहा हो, तो सदन को उन सभी संशोधनों पर विचार करना पड़ेगा। इसी प्रकार उद्योग विधेयक भी बहुत ही डरावना विधेयक है, अतः उस पर भी पूरी बारीकी से

विचार किया जाना चाहिये। कदाचित् इन दोनों विधेयकों पर पन्द्रह दिन लगेंगे।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय सदस्यों को इतना आश्वासन दूं कि हम किसी भी चर्चा को दबाना नहीं चाहते, किन्तु शर्त यह है कि उस में की गई बातें वैध, संगत तथा तुक की हों। चुनाचि प्रत्येक विधेयक के महत्व और परिमाण को देखकर ही इस सदन के सभी दलों की प्रतिनिधि-समिति—कार्य परामर्शदात्री समिति—ने यह कार्य-क्रम निश्चित किया है। अतः हमें यद्वा तद्वा इसे मानना होगा, क्योंकि हमें काम से काम होना चाहिये। कार्य परामर्शदात्री समिति ही इन सभी बातों पर विचार किया करती है।

**डा० राम सुभग सिंह** (साहाबाद दक्षिण) : श्रीमान्, वे तो विधेयकों को पढ़ कर नहीं सुनाते।

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे खेद है कि माननीय सदस्य ऐसा आरोप लगाते हैं जिससे समिति के सदस्यों की मानहानि होती है। अस्तु, कार्यक्रम इस प्रकार है।

**श्री एस० बी० रामस्वामी** : श्रीमान्, मेरा सुझाव है कि चाय तथा काफी विधेयक एक साथ लिये जायें?

**अध्यक्ष महोदय** : कुछ भी हो सकता है। हम इन्हें एक साथ लें या न लें यह तो हमारी अपनी सुविधा की बात है।

---

## राज्य परिषद् से प्राप्त संदेश

**सचिव**: श्रीमान्, मैं राज्य-परिषद् के सचिव से प्राप्त हुए निम्नांकित संदेश की रिपोर्ट देना चाहता हूं :

"राज्य-परिषद् नें प्रक्रिया-नियम तथा कार्यसंचालन के नियम १६२ के उपनियम (६) के उपबन्धों के अनुसार, मुझे यह निदेश दिया जाता है कि मैं इस के साथ ही वह विनियोग (क्रमसंख्या ३) विधेयक, १९५३ लौटा दूं जो ८ अप्रैल १९५३ की हुई बैठकों में लोक सभा द्वारा पारित किया गया था तथा राज्य-परिषद् को उसकी सिफारिशों के लिए पहुंचाया गया था, और यह बता दूं कि राज्य-परिषद उक्त विधेयक के सम्बन्ध में लोकसभा के पास किसी भी प्रकार की सिफारिश नहीं भेजना चाहती।"

---

## राष्ट्रीय सूरक्षा संरक्षण नियम सम्बन्धी संकल्प

**अध्यक्ष महोदय** : अब सदन, श्री के० आनन्द नम्बियार द्वारा १० अप्रैल, १९५३ को प्रस्तुत निम्नांकित संकल्प पर अग्रेतर विचार करेगा :

"इस सदन का मत है कि रेल-संस्था, डाक विभाग, रक्षा सेवा तथा अन्य केन्द्रीय सरकारी सेवाओं में लागू किए गए उस राष्ट्रीय सुरक्षा संरक्षण नियम १९४९ को, जिस के अनुसार अनुशासनीय नियमों की साधारण प्रक्रिया की पूर्ति किए बिना ही सरकारी नोकरों को काम से निकाला जाता है, तुरन्त रद्द किया जाय, और इस उक्त नियम के अन्तर्गत काम से बिल्कुल अलग या मुअत्तिल किए गए व्यक्तियों को पुनः काम में लगाया जाए।"

**प्रो० डी० सी० शर्मा** : श्रीमान्, सदन के समक्ष कई संकल्प हैं और मैं चाहता हूं कि उन सभी पर चर्चा होनी चाहिए और प्रत्येक के लिए समय निश्चित किया जाना चाहिये। एक ही संकल्प पर सारा समय लगाना बेकार है।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस स्थिति में इस बात की कोई आवश्यकता नहीं

[अध्यक्ष महोदय]

समझता कि किसी गैरसरकारी विधेयक या संकल्प पर चर्चा के लिए कितना समय दिया जाना चाहिए । किन्तु यदि माननीय सदस्यों की इच्छा है कि इन संकल्पों पर दिए जाने वाले भाषणों के लिए ही नही अपितु प्रत्येक संकल्प पर की जाने वाली चर्चा के लिए भी समय निश्चित किया जाय तो मैं सदन की राय के अनुसार ही चलूंगा ।

**श्री एच० एन० मुखर्जी** (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : मैं इस बीच आप के विचारार्थ यह सुझाव देना चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण संकल्प पर १२–१५ म० प० तक चर्चा जारी रखी जाय, और शेष एक घंटा अगले संकल्प को प्रस्तुत करने तथा उस पर चर्चा करने के लिए रखा जाय ।

**अध्यक्ष महोदय** : यदि सदन को यह बात स्वीकार है तो मुझे कोई भी आपत्ति नहीं । सुझाव यह है कि इस संकल्प पर की जाने वाली चर्चा १२–१५ तक हो.....

**माननीय सदस्य** : नहीं श्रीमान् ।

**अध्यक्ष महोदय** : . . . और उसके बाद अन्य संकल्प लिया जाय । इसके बदले में आपका क्या सुझाव है ?

**प्रो० डी० सी० शर्मा** : श्रीमान मेरा सुझाव है कि १०–१५ तक यह संकल्प जारी रखा जाय ।

**माननीय सदस्य** : नहीं, नहीं ।

**प्रो० डी० सी० शर्मा** : काल-विभाजन में इतना असत्य है, और हमारे इसे समाजवादी राज्य में सभी बातों के लिए समान समय दिया जाना चाहिए ।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं विचार जानना चाहता हूं, कोई चर्चा नहीं चाहता ।

**डा० एस० पी० मुखर्जी** (कलकत्ता दक्षिण-पूर्व): विचार तो व्यक्त किये जायेंगे । हम चाहते हैं कि बारह बजे तक संकल्प पर चर्चा चले ।

**सरदार ए० एस० सहगल** (बिलासपुर): समझौता कीजिए और ग्यारह बजे तक रखिए ।

**अध्यक्ष महोदय** : इस तरह काम नहीं चलाया जा सकता । मैं तो सदन के अधीन हूं, किन्तु समझौते के रूप में यह बताना चाहता हूं कि अब हम इस काम के लिए दो घंटे निश्चित करेंगे, यानी ११–३० तक इस पर चर्चा चलेगी ।

**श्री एच० एन० मुखर्जी** : श्रीमान्, इस मामले पर माननीय मंत्री एक विशद उत्तर देंगे और प्रस्तावक भी चर्चा के उत्तर में कुछ शब्द बतायेगा—जिस पर काफी समय लगेगा । यदि समय बढ़ाया जाता . . . .

**डा० एस० पी० मुखर्जी**: इन दो भाषणों को छोड़ कर यह चर्चा ११–३० तक चल सकेगी ।

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य इस बात को ध्यान में रखें कि अन्य संकल्प भी तो महत्वपूर्ण हैं ।

**गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू)**: मैं सभी संकल्पों को एक ही दृष्टि से देखता हूं । किन्तु मैं आपकी जानकारी के लिये कहना चाहता हूं कि इस संकल्प पर लगभग डेढ़ घंटे चर्चा हो चुकी है । मेरे विचार में सदन साधारण रूप से

मेरे साथ इस बात में सहमत होगा कि जो कुछ ४५ मिनट से बोला गया है वह स्वयं संकल्प से बिल्कुल असंगत था। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं तो कतई संगत रहूंगा और तब तक सदन का बहुत समय नहीं लूगा जब तक मुझ से कहलाने को मजबूर न किया जाय। मेरे मित्र को उछलने की आदत है।

**श्री एच० एन० मुखर्जी** : क्या माननीय मंत्री का यह वक्तव्य जो बिल्कुल असंगत है, नियमित माना गया है ?

**अध्यक्ष महोदय** : यदि कोई सदस्य किसी अन्य सदस्य की बात को असंगत अनुभव करता हो तो वह केवल विचार प्रकट करें, किसी प्रकार का आरोप नहीं लगाये।

प्रस्तुत संकल्प, ११—३० म० पू० पर समाप्त हो जायेगा। और इस अवधि से दोनों पक्ष संतुष्ट होंगे।

**डा० काटजू** : मैंकेवल इसलिए इतना कुछ कहना चाहता था क्योंकि मेरे मान्य मित्र ने बताया कि संकल्प के महत्व को देखकर कदाचित मंत्री जी कोई विशद भाषण देंगे जिस में बहुत समय लगेगा। मैं १० मिनट से अधिक समय नहीं लेना चाहता।

**अध्यक्ष महोदय** : इससे सब स्थिति सुलझ जाती है।

**सेठ गोविन्द दास** (मंडला-जबलपूर दक्षिण) : मैं एक सुझाव देना चाहता था।

**अध्यक्ष महोदय** : अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। इस से तो टाइम कम होता है। यह रिजोल्यूशन ११-३० पर खत्म हो जावेगा।

११-३० बजे इस पर मत-विभाजन होगा। अब हम चर्चा आरम्भ कर रहे हैं।

**डा० काटजू** : तब तो इस में मेरा समय भी शामिल है ?

**अध्यक्ष महोदय** : जी हां।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

**श्री एच० एन० मुखर्जी** : मैं श्री नम्बियार द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करता हूं। प्रस्तुत संकल्प के सम्बन्ध में मुझे तीन बातें बतानी हैं। पहली यह बात है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परित्राण नियम मूल अधिकारों के प्रतिकूल हैं, क्योंकि इन (मूल अधिकारों) के अनुसार भारत संघ के प्रत्येक नागरिक को संगति की स्वतंत्रता मिली है।

दूसरी बात यह है कि सरकारी कर्मचारियों के आचरण नियमों के रूप में सरकार के पर्याप्त परित्राण हैं, जिन से कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी प्रकार का कोई विध्वंसात्मक कार्य नहीं कर सकता।

तीसरी बात मैं इन नियमों के लागू किए जाने के ढंग के बारे में कहना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने कार्मिक संघ की साधारण गतिविधियों पर आपत्तियां की हैं। इन नियमों के लागू किए जाने के ढंग से नियमों का वास्तविक उद्देश्य सिद्ध नहीं हो पाता। अतः मेरा यह सुझाव है कि सरकार को ऐसे नियम जो बहुत ही अनावश्यक हैं, तथा स्वतंत्रता में बाधा डालते हैं, हटा देने चाहिये। मुझे मन्त्री जी के उपेक्षात्मक भावों से पता चलता है कि वह इन बातों में कोई भी दिलचस्पी नहीं रखते, और मुझे उन से कोई आशा भी नहीं है। कुछ भी हो इस नियम के

[श्री एच० एन० मखर्जी]

मूल हितों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, और मानव के मूल अधिकार छीने जाते हैं। मैं जानता हूं कि इसे असंगत मान कर छोड़ दिया जाएगा, किन्तु फिर भी सरकार से मेरी यह प्रार्थना है कि इस पहलू पर ज़रूर विचार किया जाए। सरकार के पास आचरण नियम पड़े हैं, और वह किसी भी समय उन से सहायता ले सकती है। अतः मेरे विचार में इस प्रकार से नियम बिल्कुल अनावश्यक हैं।

पिछली बार मेरे मित्र श्री वेंकटारमन् ने बताया था कि श्रमिक-वर्गों में दो प्रकार की गतिविधियां चलती हैं। श्रमिक संघ की वास्तविक गतिविधि तथा उनका झूठा आन्दोलन हो सकता है कि उन्होंने उन को झूठे आन्दोलनकारी माना हो जो संकल्प में दी गई बातों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं इस बात को बढ़ाना नहीं चाहता, क्योंकि इस में हमारे देश के कर्मिकों की अपनी इच्छा है कि वे किस प्रकार के श्रमिक संघों में शामिल होंगे। आप लोगों को हमेशा बेवकूफ नहीं बना सकते। कर्मिक संघ बना कर वे इस बात को समझ चुके हैं कि आप पूंजीपतियों और श्रमिकों के बीच एक समझौता करा रहे हैं, और आप उस पद्धति को जीवित रखना चाहते हैं जिस में शोसक और शोषितों के बीच संघर्ष चल रहा है—और उनके लिए श्रमिक संघ एक ऐसा साधन है जिस से शोषण समाप्त किया जा सकता है। अतः यह उनकी अपनी समझ की बात है कि कौन से व्यक्ति श्रमिक संघ आन्दोलन के कर्णधार बन सकते हैं।

पहले भी हमें दिवंगत खुर्शीद लाल जैसे लोगों से इस बात का आश्वासन मिला था कि पुलिस की रिपोर्टों के आधार पर ये नियम लागू नहीं होंगे। और १९५२ में भी डाक-तार विभाग के महाविदेशक ने डाक-तार विभाग कर्मचारी संघ के एक प्रतिनिधान पर यह बतलाया था कि उन पदाधिकारियों के पुनः सेवा-नियोजन में कोई भी आपत्ति नहीं होगी जिन्हें ९ मार्च, १९४९ के आस पास की हड़ताल के सिलसिले में नौकरी से अलग किया गया था।

सन् १९५२ में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि ९ मार्च १९४९ के सिलसिले में जिन लोगों ने हड़ताल की थी और उन्हें नौकरी से अलग कर दिया गया था, अब उन्हें फिर से नौकरी देने में सरकार को कोई एतराज़ नहीं है। मेरा तो यह कहना है कि सरकार द्वारा इस प्रकार का रवैया समय समय पर दिखाना अच्छा नहीं है और न जनता ही इसे अच्छी दृष्टि से देखती है। कर्मचारियों पर कम्यूनिस्ट पार्टी का सदस्य होने का आरोप लगाया जाता है। उनके मामलों में सही जानकारी भी नहीं की जाती। उनकी पुरानी नौकरियों का कोई विचार नहीं किया जाता। ऐसा देखा गया है कि २२, १८, और १५ वर्ष की नौकरी वाले कर्मचारियों को नौकरी से इस लिए अलग कर दिया गया कि उनका सम्बन्ध कम्यूनिस्ट पार्टी से था अथवा वे पार्टी के अग्रिम एवं उत्साही सदस्य थे। कलकत्ता में इस प्रकार के अनेकों उदाहरण हैं। कलकत्ता में डाक तथा तार घर के एक कर्मचारी जिसने १९३८ में नौकरी शुरु की थी उसे इस कारण नौकरी से अलग कर दिया गया कि उसने एक ऐसी पुस्तिका छपवाई एवं बांटी थी जिस में डाक तथा तार कर्मचारियों से एकता दिवस मनाने की प्रार्थना की गई थी। और वह अभी तक बेकार है। एक व्यक्ति जिसने

सन् १९४५ में नौकरी प्रारम्भ की उसे सन् १९४९ में केवल २४ घण्टे की सूचना देकर अलग कर दिया गया। २४ घण्टे की सूचना देना नियम विरुद्ध है। किन्तु उसे अलग करना था और वह अलग कर दिया गया। टेलीफून विभाग में भी इस प्रकार के बहुत से उदाहरण हैं। बहुत से ओपरेटरों को झूठे और ग़ैर उत्तरदायित्व आरोप लगा कर निकाल दिया गया है। उनको कोई न कोई बहाना लगाकर अलग कर दिया जाता है। यदि कुछ नहीं मिलता तो कहा जाता है कि तुमने क्रांतिकारी कार्यवाही में भाग लिया है। एक व्यक्ति पर तो यह आरोप लगाया गया था कि वह १९५१ में मई दिवस मनाने की तैयारी कर रहा था। यह मई दिवस संसार में सभी मज़दूर संघों द्वारा मनाया जाता है। किन्तु यदि एक व्यक्ति मई दिवस मनाई जाने वाली सभाओं की तैयारी करता है तो वह सरकार के बनाये गये नियमों के अन्तर्गत आ जाता है। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार एक आपत्तिजनक नीति अपना रही है। आपत्तिजनक इस कारण से है कि इस नीति के अनुसार भारतीयों की उन स्वतन्त्रताओं का हनन होता है जिन के कि वे अधिकारी हैं।

इंगलैंड में सरकारी कर्मचारियों को राजनीति में भाग लेने के सम्बन्ध में कुछ सीमित प्रतिबन्ध हैं। किन्तु कुछ वर्ष हुए तब 'मास्टरमैन समिति' ने इन प्रतिबन्धों को कम कर दिया है। किन्तु भारतवर्ष में इस प्रकार की स्वतन्त्रता एक दम मिलने की आशा हम नहीं कर सकते। किन्तु फिर भी सरकार की इस वर्तमान नीति का हमें विरोध करना होगा क्योंकि इस प्रकार जनता की स्वतन्त्रता का हनन किया जाता है। यदि सरकार इस बात के लिए तैयार है तो हम उसके साथ बैठकर बातचीत कर सकते हैं और इस प्रकार के सैकड़ों उदाहरण रख सकते हैं। जहां कि यह पूर्णतया स्पष्ठ हो जायगा कि इन व्यक्तियों के विरुद्ध झूठे और बोगस आरोप लगाये गये हैं। इन आरोपों का सम्बन्ध केवल मज़दूर संघों से ही है। हम न गृह मंत्रालय के भेजे हुए ऐसे परिपत्र भी देखे हैं जिन में कहा गया है कि इन मज़दूर संघ में बाहर वाले व्यक्तियों को नहीं लिया गया। पूर्वी रेलवे गजट के २ जनवरी १९५३ के अंक में कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों को अपनी शिकायतें लेकर संसद सदस्यों के पास नहीं जाना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों को संसद सदस्यों तक शिकायतें लेकर पहुंचने पर उन्हें दण्ड दिया गया है। एक बार ऐसा हुआ था कि पश्चिमी बंगाल के आयकर विभाग के कर्मचारियों ने उस राज्य के कांग्रेसी तथा गैर कांग्रेसी सदस्यों को आमंत्रित किया था। यह है वह ढंग जिसके अनुसार सरकार कार्य कर रही है। इन मज़दूर संघों को पूर्णरूप से आधीन रखने का प्रयत्न सरकार कर रही है। कोई भी यदि मज़दूर संघ की सच्ची भावना से काम करता तथा, मज़दूर वर्ग का विकास करता एवं सामाजिक स्थिति में प्राथमिक परिवर्तन करता, कोई भी प्रजातंत्र की भावना से मज़दूर संघ का सच्चा सेवक होकर 'काम करना, एवं आज की सामाजिक स्थिति से इस मज़दूर वर्ग को बचाने का प्रयत्न करता है तो वह सरकार के दमन का शिकार बनता है। और यही कारण है कि राष्ट्रीय सुरक्षा नियमों का चलन इतना भयानक है। अतएव मैं कहता हूं कि ये संविधान द्वारा दिये गये प्रत्येक नागरिक के अधिकारों के विरुद्ध है। आपत्तिजनक कार्यवाहियों

[श्री एच० एन० मुखर्जी]

के मामलों में सरकार, सरकारी नौकरों के आचरण सम्बन्धी नियमों को लागू कर सकती है। और इसलिए मैं कहता हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा नियमों का वास्तविक प्रचलन सिवाय इसके कि वह एक बुरी नीति का साधन मात्र है इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मैं सरकार को इस बात की इन नियमों का अधिक मामलों में बुरा प्रयोग नहीं हुआ है चुनौती देता हूं और कहता हूं कि इनका बुरा प्रयोग किया गया है। सरकार के इस आश्वासन के प्रति कि सहानुभूति पूर्ण व्यवहार किया जायगा, कभी भी ऐसा बर्ताव नहीं किया गया। इसके विरुद्ध भी मैं सरकार को चुनौती देता हूं। मैं सरकार को ऐसी स्थिति में नहीं ले जाना चाहता जहां कि चहुंओर से उसका विरोध हो। इस स्थिति पर हम सब मिलकर बैठें तो हम सरकार के समक्ष सभी उदाहरणों एवं तथ्यों के आधार पर यह बतायेंगे कि इन मामलों में जो अब तक कार्यवाहियां की गई हैं वे फिर आगे न की जाय। फिर भी यदि सरकार अपनी नीति पर अड़ी रहती है तो मुझे इस के लिए सरकार की नीति के ऊपर दुख: होगा। अतएव इसलिए मैं माननीय मित्र श्री नम्बियार के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

**श्री के० सी० सोधिया**: सरकारी नौकरियों में अनुशासन निरंतर कम हो रहा है। इसके विषय में काफी आलोचना हो रही है। सभी सरकारी कर्मचारियों को अपना काम भली प्रकार करना चाहिए। यदि किसी कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से किसी राजनीति में श्रद्धा है तो वह अपने घर पर उसका प्रयोग एवं उसके प्रति प्रेम प्रकट कर सकता है, अथवा उसका प्रदर्शन इस प्रकार से करे कि वह दूसरों के लिए बुरा उदाहरण न बने। सरकारी कर्मचारियों से हमें काम लेना चाहिए। अतएव ऐसी बातें जो कर्मचारियों में सरकार के हित के लिए भावनाएं जाग्रत करती हैं उन से देश का कल्याण हो सकता है। अतएव मैं इस प्रस्ताव के प्रतिकूल हूं।

**श्री बी० एस० मूर्ति** (एलूरू): सरकारी कर्मचारियों में किसी भी प्रकार की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। मज़दूर संघों में भाग लेना प्रत्येक कर्मचारी का मूल अधिकार है। सन १९४९ में २५ फरवरी को "अवश्य सेवा (हड़तालों का रोध)" रखा गया था; तीव्र विरोध के फलस्वरूप ५ मार्च १९४९ में इसे वापिस ले लिया गया। प्रधान मंत्री ने अपने विवरण में उस समय कहा था कि कुछ व्यक्तियों ने ऐसा कहा है कि मज़दूर संघों तथा हड़ताल के प्रति उनकी साधारण रुचि को हानि पहुंचाने का उद्देश्य सरकार का है। बहुत से देशों में सरकार तथा मालिकों का यही प्रयत्न रहता है कि मज़दूर हड़ताल करने का अधिकार का प्रयोग न करे। किन्तु राष्ट्रीय सुरक्षा नियमों की रक्षा करने वाली बात ने एक प्रकार से मज़दूरों के मूल अधिकारों पर प्रभाव डाला है। मेरे विचार से मजदूर संघों की वास्तविक कार्यप्रणाली में गैर-मज़दूर लोगों को कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए। किन्तु यह बात तो ठीक नहीं है कि कांग्रेस नेता तो मज़दूरों का नेतृत्व करते हैं किन्तु दूसरे दलों के लिए ऐसी घोषणा की जाती है कि वे गैरमज़दूर लोग अर्थात नेता इत्यादि को अपने यहां की कार्यवाही में भाग लेने के लिए न बुलावे।

प्रधान मन्त्री ने यह भी कहा है मज़दूरों की बहुत बड़ी संख्या इससे प्रभावित नहीं

है। जब अधिक संख्या प्रभावित नहीं है तो क्या आवश्यकता है कि फिर भी इन नियमों को रखा जाय। प्रधान मंत्री ने यह भी कहा था कि सरकार का प्रयत्न केवल यही नहीं है कि वह इन मज़दूरों की साधारण स्थिति सुधारे अपितु देश की सरकार में भी उनको उचित स्थान देना है।

**१० बजे प्रातःकाल**

योजना आयोग ने भी कहा है कि योजना को सफल बनाने में मज़दूर एक साधन है और विशेष रूप से आर्थिक प्रगति की प्राप्ति में उसका सहयोग नितान्त आवश्यक है। यदि मज़दूर इनना महत्वपूर्ण है तो राष्ट्रीय सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत जितने कर्मचारी पीड़ित हैं उन सभी को बरी कर दिया जाय और इन नियमों को एकदम उठा लिया जाय।

पीड़ित व्यक्ति सरकारी कर्मचारी हैं। इनके मामले में न तो कोई पंच निर्णय किया गया है और न कोई सान्त्वना दी गई है। इनके साथ न्याय होना चाहिए और उनको यह अधिकार मिल जाना चाहिए कि किसी व्यक्ति को दंड नहीं दिया जायगा। उनके साथ यह अन्याय है कि उन्हें यह भी नहीं बताया गया है कि किस कारण से उन्हें नौकरी से अलग किया

मज़दूर संघ आन्दोलन के सभी छोटे बड़े लोग इन नियमों को बड़ी सशंकित दृष्टि से देखते हैं और उनका विचार है कि इनको यथाशीघ्र रद्द कर देना चाहिए। उनके विचार से सरकारी नौकरों को आचरण को शासित करने वाले सेवा संबंधी नियम इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त हैं। खेद है कि सरकार उनकी इन भावनाओं को नहीं समझ पाई है।

मेरे विचार से इन सभी मामलों को जो लगभग ४०० हैं, एक न्यायिक न्यायाधिकरण के सुपुर्द कर देना चाहिए, तभी उचित न्याय संभव हो सकता है। मैं देशद्रोहियों का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं यह भी नहीं चाहता कि राष्ट्रीय सुरक्षा के परित्राण सम्बन्धी नियमों के नाम पर किसी को संविधान द्वारा प्रत्याभूत मूल अधिकारों से वंचित रखा जाये। संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के मामले की सुनवाई होनी चाहिए। पर यहां पर न तो कोई सुनवाई होती है, न स्पष्ट रूप से दोषारोप बतलाये जाते हैं और न कोई निर्णय सुनाया जाता है। उच्च पदाधिकारियों की प्रसन्नता और अप्रसन्नता पर ही सब कुछ निर्भर होता है। यह बात न्यायोचित नहीं है।

यह सोचना कुछ अजीब सी बात है कि ये ४०० व्यक्ति देश की प्रगति में रोड़ा अटका देंगे, या यह कि इनके कारण देश की सुरक्षा संकट में पड़ जायेगी और शासन व्यवस्था ठीक से नहीं चल पायेगी। केवल इन्हीं निराधार आशंकाओं के आधार पर राष्ट्रीय सुरक्षा के परित्राण संबंधी नियम बनाना बड़ी हास्यास्पद बात लगती है।

मैं आशा करता हूं कि हमारे विद्वान् और समझदार गृह कार्य मंत्री डा० काटजू हमारे दृष्टिकोण को समझने का प्रयत्न करेंगे। हम सरकार पर इस सम्बन्ध में अनुचित दबाव नहीं डालना चाहते। सारा देश और विशेषकर मज़दूर वर्ग इन नियमों के विरुद्ध है ताकि इस देश में एक स्थायी और स्वस्थ मज़दूर संघ आन्दोलन बन सके। आशा है गृहमंत्री इस पर विचार करेंगे।

**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** (मैसूर): मेरे विचार से ये नियम अत्यन्त क्रूर हैं।

[श्री एस० एम० गुरुपादस्वामी]

ये संविधान की भावना के प्रतिकूल हैं और संविधान द्वारा दिए गए कुछ मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं ।

ये नियम १९४९ में प्रख्यापित किए गये थे । इन नियमों में दिए गए उपबन्ध के अनुसार रेल, या डाक तथा तार अथवा प्रतिरक्षा का कोई भी कर्मचारी विध्वंसकारी कार्य में संलग्न होने के सन्देह मात्र के आधार पर नौकरी से निकाला जा सकता है । पर इन नियमों में ऐसे निकाले गए कर्मचारी की सुनवाई अथवा उसको किसी प्रकार की सफाई आदि का अवसर देने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है । सब कुछ पदाधिकारियों की इच्छा पर छोड़ दिया गया है । इसीलिए मैं कहता हूं कि ये नियम अत्यन्त क्रूर हैं । संविधान के अनुसार किसी भी नागरिक को न्यायिक जांच करवाने और बैधानिक रक्षा का मूल अधिकार प्राप्त है ।

ऐसे अनेक मामले हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि ये नियम सच्चे मजदूर संघियों की कार्यवाहियों का विध्वंस करने के उद्देश्य से बनाए गए हैं । मैं साम्यवादी नहीं हूं और न मैं साम्यवाद के पक्ष में बहस ही कर रहा हूं । लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसे क्रूर नियमों से विध्वंसकारी कार्यवाहियों को प्रोत्साहन ही अधिक मिलेगा ।

ऐसे भी अनेक मामले हैं जिन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सरकार इन नियमों को लागू करने में भी बड़ी लापरवाही से काम ले रही है, और तत्सम्बन्धी प्रक्रिया का भी उल्लंघन करती है । उदाहरणार्थ सम्बन्दम बनाम दक्षिण भारतीय रेलवे के महाप्रबन्धक त्रिचनापल्ली, का ही मामला लीजिए । इस मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि इन नियमों में दी गई प्रक्रिया का अधिकारियों ने अक्षरशः और उचित पालन नहीं किया था । इसी आधार पर उच्च न्यायालय ने प्रार्थी (निकाला गया कर्मचारी) को बहाल करने का आदेश दिया था । लेकिन अभी तक वह व्यक्ति बहाल नहीं किया गया है ।

इन नियमों के अनुसार काम पर से हटाने, मुअत्तिल करने आदि के मामलों की जांच एक सलाहकार समिति करती है । पर इस समिति के सदस्य विभागीय पदाधिकारी ही होते हैं । ये वही पदाधिकारी होते हैं जो कर्मचारियों को निकालते हैं । फिर उनसे न्याय की कैसे आशा की जा सकती है । अतः यह समिति बेकार ही होती है । इससे कर्मचारियों को किसी प्रकार की सहायता नहीं प्राप्त होती । इसके स्थान पर एक न्यायाधिकरण की व्यवस्था कहीं अच्छी और उचित रही होती । निवारक निरोध अधिनियम के सम्बन्ध में एक न्यायाधिकरण की व्यवस्था है ।

यही नहीं, इन नियमों में न्यायिक जांच की कोई भी व्यवस्था नहीं है । पीड़ित व्यक्ति उच्च न्यायालय के पास लेख के लिए जा सकता है । उसके लिए एकमात्र यही मार्ग खुला है, पर इससे व्यय बहुत होता है । इन सब बातों को देखते हुए, मेरा कहना यह है कि ये नियम अनावश्यक और अनुचित हैं । इनसे वह प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता जिसके लिए ये प्रख्यापित किए गए हैं । मेरे विचार से माननीय मंत्री को तुरन्त ये नियम वापस ले लेने चाहिए और नौकरी से निकाले गए अथवा अलग किये गए सारे कर्मचारियों को वहाल

कर देना चाहिए ताकि उनके परिवारों को और अधिक कष्ट न उठाने पड़ें। सरकार को इस सम्बन्ध में लोक-तंत्रात्मक एवं उदार दृष्टिकोण रखना चाहिए।

इन नियमों के फलस्वरूप देश के अनेक भागों में विशेष कर मैसूर में, मजदूर संघ की कार्यवाहियां कुचल दी गई हैं। बहुत से कार्यकर्ता किसी भी कार्यवाही में भाग लेने से डरते हैं क्यों कि उन्हें भय है कि कहीं उन पर बुरे कार्य अथवा विध्वंसात्मक कार्य में भाग लेने का सन्देह न किया जाये। वे इन नियमों से अत्यन्त भयभीत है। अतः जब तक ये नियम हटाये नहीं जायेंगे तब तक, इस देश में सच्ची मजदुर संघ की कार्यवाहियों के विकास के लिए कोई स्थान नहीं होगा। मजदूर वर्ग इन नियमों से बहुत भयभीत है और उनके हाथ पैर फूल गए हैं। मेरा विश्वास है कि यदि ये नियम निरसित कर दिये जायें तो मजदूर लोग सरकार के साथ पूर्ण सहयोग करेंगे और विध्वंसात्मक कार्यवाहियां कभी नहीं करेंगे। इनको निरसित करने के लिए कहने से मेरा तात्पर्य किसी भी प्रकार विध्वंसात्मक कार्यों को प्रोत्साहित करना नहीं है। यदि ऐसी कोई कार्यवाहियां हों तो आप उनका दमन अवश्य कीजिये। पर उसके लिए आपके पास अन्य नियम हैं; इन नियमों की कोई आवश्यकता नहीं हैं। इनके लिए कोई भी औचित्य नहीं है। अंग्रेज शासकों तक को इन नियमों की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। मैं यह आश्वासन देता हूं कि विध्वंसात्मक कार्यों की निन्दा करने तथा उनका दमन करने में हम सरकार को पूरा सहयोग देंगे। मंत्री महोदय को हम लोगों की मांग पर उचित ध्यान देना चाहिए और इस प्रस्ताव की भावना को समझने का प्रयत्न करना चाहिए।

**श्री के० के० देसाई (हालर)** : ये नियम विशेष परिस्थितियों से बाध्य हो कर बनाये गये थे। वर्ष १९४९ में देश में रेलवे में एक हड़ताल होने का भय था और उसके द्वारा सारी यातायात व्यवस्था छिन्न भिन्न की जाने वाली थी। कुछ स्वार्थी लोग विदेशों से प्रेरणा लेकर इस विध्वंसात्मक कार्य के द्वारा हमारी स्वतंत्रता को संकट में डालने का प्रयत्न कर रहे थे। बाद में एक समझौते के आधीन अखिल भारतीय रेल कर्मचारी संघ तथा राष्ट्रीय रेल कर्मचारी संघ ने हड़ताल की नोटिस वापस ले ली थी। पर उक्त स्वार्थी लोग फिर भी अपने कु प्रयत्नों में लगे हुए थे और वे प्रतिरक्षा संस्थापनों के, डाक विभागीय सेवाओं के, तथा अन्य कर्मचारियों को भड़का रहे थे। इसीलिए इन नियमों को बनाना पड़ा था। अब सरकार को यह देखना चाहिए कि क्या इन नियमों में संशोधन करने का समय आ गया है या नहीं। मेरे जो मित्र यह कहते हैं कि ये नियम सच्ची मजदूर संघ की कार्यवाहियों में हस्तक्षेप करते हैं वे केवल उस प्रकार की मजदूर-संघीय कार्यवाहियों की ओर इशारा करते हैं जो उनके राजनैतिक प्रयोजनों के लिए की जा रही हैं। यदि वे ईमानदारी से और सच्चे दिल से इस बात की घोषणा करा दें कि उनकी मजदूर संघ की कार्यवाहियां किसी विदेशी राष्ट्र से प्रेरणा नहीं लेती, तो यह उचित होगा कि सरकार बहुमत के हित में इन नियमों को संशोधित कर दे। एक मामूली सी घोषणा से काम नहीं चलेगा क्योंकि सरकार ऐसे नारों से बहकने

[श्री के० के० देसाई]

वाली नहीं हैं। देश में शांति और व्यवस्था बनाए रखने का महत्वपूर्ण भार सरकार के कंधों पर है। अतः जब तक उसे यह विश्वास न हो जाये कि देश में विदेशों से प्रेरणा लेकर विध्वंसात्मक कार्यवाहियां करने वाले लोग नहीं हैं तब तक वह इन नियमों को हटा नहीं सकती। जब तक ऐसे लोग रहें तब तक इन नियमों को वापस लेना अथवा उनको रद्द करना बड़ी भारी गलती होगी। मेरे विचार से ये नियम सच्ची मजदूर संघीय कार्यवाहियों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। मेरे इस कथन की पुष्टि तथ्यों के द्वारा हो सकती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से देश में मजदूर संघ आन्दोलन काफी बढ़ा है। इसके प्रमाण विद्यमान हैं।

जहां तक इस प्रस्ताव का सम्बन्ध है, मैं उसका विरोध करता हूं। लेकिन साथ ही साथ, मैं इस सम्बन्ध में माननीय गृह मंत्री से एक अपील करूंगा। यदि उनको यह विश्वास हो कि देश की सुरक्षा के लिये कोई भय नहीं है तो वह इन नियमों को इस प्रकार संशोधित कर सकते हैं, ताकि वे सच्ची मजदूर संघीय कार्यवाहियों में अथवा लोकतन्त्रात्मक आधार पर बने हुए राजनैतिक दल के कार्यों में हस्तक्षेप न करें।

निकाल दिए गये अथवा मुअत्तल किये गये रेलवे कर्मचारियों के मामलों की जांच के लिए नियुक्त की गई समिति से कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता क्योंकि उसमें जो लोग हैं वे ही मकदमा चलाने वाले और निर्णायक भी हैं। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह उन मामलों में फिर से स्वतन्त्र रूप से जांच करबाये, यदि उनकी शिकायतें सच्ची हों तो। जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा नियमों के संरक्षण का सम्बन्ध है मेरी यह निश्चित धारणा है कि उनका सर्वथा निराकरण करने का समय अभी नहीं है। परन्तु क्योंकि हम ने जनतन्त्र राज्य स्थापित कर लिया है और विरोधी प्रवृत्तियों के होते हुए भी सुरक्षा प्राप्त कर ली है इस लिए इन नियमों का सुधार आवश्यक हो गया है।

**श्री बोगावत** (अहमदनगर दक्षिण) : इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में मैं अनुभव करता हूं कि इन नियमों के निराकरण का अभी समय नहीं आया। अपने देश में विरोधी कार्य करने वाले तथा अराजकता फैलाने वाले दलों की कृतियों को भुलाया नहीं जा सकता। वे इस नव जात जन तन्त्र के लिए खतरे की निशानी हैं। बिहार जब अकाल पीड़ित था और वहां खाद्यान्न भेजना था तो हड़ताल के प्रयत्न किये जा रहे थे, ऐसे कई उदाहरण हैं। सरकारी कर्मचारियों में अनुशासन और निष्ठा की अत्याधिक आवश्यकता है। परन्तु जब सरकार को पता लगा कि बहुत आवश्यक विभागों अर्थात् डाक तथा तार, रक्षा और रेल में भी ऐसी कृतियां फैल रही हैं तो इन नियमों को बनाना आवश्यक हो गया। मेरे माननीय मित्र गुरुपादस्वामी ने कहा कि यद्यपि यह प्रस्ताव एक साम्यवादी ने प्रस्तुत किया है इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिये। परन्तु साम्यवादी अराजक कृतियों को हम भुला नहीं सकते। जब तक हमारे मित्र बाहर के देशों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं जब तक वे जनतन्त्र राज्य के सिद्धान्तों को स्वीकार नहीं करते, इन नियमों का होना आवश्यक है।

यदि हमारे साम्यवादी भाई विवेक को अपनायें और अपने कार्य शान्ति तथा अहिंसा के ढंग पर करें तो इन नियमों को न केवल सुधारा जा सकता है वरन इनका सर्वथा निराकरण किया जा सकता है ।

**डा० एस० पी० मुखर्जी** : में सभा से प्रार्थना करूंगा कि वे इस विषय पर एक दल के दृष्टिकोण से नहीं वरन निपेक्ष विचार करें । मुझे विश्वास है कि सभा के सब भाग कुछ मूलभूत सिद्धान्तों को स्वीकार करगे । हम ने यहां इस बात पर चर्चा करनी है कि ऐसे सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही कहां तक न्याय संगत है जिन पर यह आरोप लगाया गया है कि वे विरोधी कृतियों के अपराधी हैं, तथा यदि ऐसी कार्यवाही करनी है तो उस के लिए क्या न्याय संगत और उचित प्रणाली हो सकती है ।

यह सामूहिक आधार है और ऐसा होना चाहिये कि हमारे छोटे बड़े सब असैनिक कर्मचारी राज्य के प्रति सम्पूर्ण निष्ठा रखें, राज्य से अभिप्राय कोरे राजनैतिक दल नहीं है । दूसरे कर्मचारियों को वह जानकारी जनता तक नहीं पहुंचानी चाहिये जो वे सरकारी सामर्थ्य के आधार पर रखते हैं । तीसरे वे राजनैतिक दल बन्दी में भाग न लें । ये आवश्यक और श्लाघनीय सिद्धान्त हैं, जो मेरे विश्वास में प्रत्येक जनतन्त्रात्मक राज्य में विद्यमान हैं फिर प्रश्न उत्पन्न होता है कि हमें सरकारी कर्मचारियों को राजनैतिक विषयों में कहां तक अभिरुचि रखने की अनुज्ञा देनी चाहिये । वे मतदाता हैं और विभिन्न दलों की विचार धारा के समर्थक हैं । आज की सरकार को यह चिन्ता नहीं होनी चाहिये कि वे केवल कांग्रेस के समर्थक हों । प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को राज्य को विहित नीति का प्रवर्तन करना होता है । वे राज्य की नीतियों के प्रति स्वामि भक्ति का उल्लंघन नहीं कर सकते । परन्तु असैनिक कर्मचारियों सम्बन्धी साधारण नियमों की चर्चा नहीं कर रहे । उन भें अनुशासन के उल्लंघन के सम्बन्ध में कई उपबन्ध हैं और ऐसे मामले इन उपबन्धों के अन्तर्गत आ सकते हैं । परन्तु जैसा श्री खंडभाई देसाई ने बताया ये नियम विशेष समयों अर्थात रेल की हड़ताल इत्यादि के समयों पर प्रख्यापित किए गए थे । इन नियमो के अधीन संतोषजनक कार्य नहीं हुआ । आपकी प्रणाली क्या है ? आप कुछ संस्थाओं का नाम ले देते हैं, आप कह देते हैं कि यदि किसी पर ऐसी संस्थाओं से सम्बन्ध रखने अथवा सहानुभूति रखने का सन्देह किया गया तो यह समझा जायेगा कि वे विरोधी कृतियों में भाग लेते हैं । नियम में कहा गया है कि ऐसी परिस्थितियों के अधीन उस व्यक्ति को पदच्युत कर देना उचित है । मंत्रालय विभिन्न मंत्रालयों को ऐसी संस्थाओं की सूची प्रायः भेजती रहेगी और कर्मचारी को आरोप की सूचना देते हुए यह ध्यान रखा जायेगा कि उसे जानकारी का साधन ज्ञात न हो । इन नियमों से ज्ञात होता है कि हमारी जनतन्त्रात्मक सरकार किस 'लौह दीवार' के पीछे प्रशासन को चलाना चाहती है । ये संस्थाएं साम्यवादी दल, आर० सी० पी० आई०, आर० एस० पी० आई०, मुस्लिम नैशनल गार्ड, खाकसार, हैं और हाल में एक संशोधन द्वारा इन में फारवर्ड ब्लाक तथा मार्क्सवादी सम्मिलित किए गए हैं । इन संस्थाओं की स्थिति क्या है । क्या इन में किसी पर प्रतिबंध

[डा० एस० पी० मुखर्जी]

लगाया गया है ? इन संस्थाओं के बहुत से उम्मीदवार निर्वाचन में सफल होकर ससंद तथा विधान मंडलों में पहुंचे हैं। वे खुल्लम खुल्ला कार्य कर रही हैं।

कुछ समय पूर्व मैं ने आपको एक उदाहरण दिया था जिसे मैं स्वयम् जानता था। मैंने श्री पटेल से प्रार्थना की जिस पर जांच की गई और उस पदाधिकारी को दोबारा नौकरी पर लगाया गया।

इस प्रकार के कई मामले हुए हैं। यह कार्य प्रणाली ही गलत है। आपके सरकारी कर्मचारी व्यस्त हैं और भारत के नागरिक हैं। वे अवश्य एसी संस्थाओं के प्रति सहानुभूति रखते हैं जिन पर प्रतिबंध लगाया गया है। यदि आप छिपे ढंगों से कार्य करना चाहते हैं तो आप उन्हें पीठ पीछे से छुरा घोंप रहे हैं। यदि आप चाहते हैं तो इन संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाइये और फिर देखिए कि इसके क्या परिणाम निकलते हैं। परन्तु आप संस्थाओं को कार्य करने देते हैं और कहते हैं कि यदि कोई उन से सहानुभूति रखेगा तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा और उन्हें स्पष्टीकरण का अवसर भी नहीं देते तब यह राष्ट्रीय सुरक्षा का कार्य केवल धोखा है। हमें सारे विषय की पुनः जांच करके न्यायपूर्ण नियम बनाने चाहियें।

देहली के निर्वाचनों में क्या हुआ है ? कांग्रेस वक्ताओं ने सरकारी कर्मचारियों पर किस प्रकार दबाव डाला ? उन्हें कहा गया कि यदि उन्होंने कांग्रेस के विरुद्ध मत दिया तो उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। श्रीमती कृपलानी देहली के निर्वाचन में सफल रहीं थीं। उन्होंने बताया कि उच्च पदाधिकारियों के १५०० मतों में से जो पर्ची द्वारा डाले गए थे १०५० मत उन्हें पड़े। इस से सारे भारत के सरकारी कर्मचारियों के मत का पता चलता है कि वे वर्त्तमान सरकार के सम्बन्ध में क्या सोचते हैं। इस प्रकार उन की निष्ठा की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। केवल संदेह के आधार पर उन्हें दण्ड नहीं दिया जाना चाहिए। अभी दो दिन पूर्व मुझे एक युवक का अभ्यावेदन आया। वे आर० एस० एम० के सत्याग्रह में अपराधी ठहराया गया था। दो मास पश्चात् मुक्त होने पर उसे गड़गांव में नौकरी मिल गई। तत्पश्चात् साढ़े चार वर्ष के बाद उसे नौकरी से निकालने की सूचना दी गई। उस ने ज़िला कांग्रेस के प्रधान का प्रमाण पत्र भी दिया कि वह किसी राजनैतिक कार्य में भाग नहीं लेता। परन्तु फिर भी उस के परिवार को मुसीबत में डाल रखा है। इस प्रकार आप लोगों का शिकार करते हैं। यदि आप नौकरी से हटाना ही चाहते हैं तो उसे अभियोक्ताओं पर जिरह करने दीजिये और यदि वह अपराधी प्रमाणित हो तो आप जो चाहें कर सकते हैं।

मैं ऐसी सरकार का समर्थक हूं जिसके वस्तुतः विरोधी कृतियों को रोकने के लिए स्पष्ट और निश्चित नियम हों। यदि वे लोग सरकारी कर्मचारी होने की स्थिति का दुरुपयोग करें तो आप उन के विरुद्ध कार्यवाही कीजिए परन्तु इस के लिए कोई प्रणाली होनी चाहिए कोई न्यायाधिकरण होना चाहिए जिस के समक्ष मामले रखे जा सकें। इस लिए मैं गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इन ४०० मामलों की पुनः जांच करें। इन के लिए क्यों न एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त

किया जाए। सरकारी कर्मचारी देश की प्रशासन प्रणाली का मुख्य अंग हैं और आपको उन की स्वामी भक्ति पर निर्भर रहना चाहिए। यदि केवल कुछ राजनैतिक विचारधारा रखते हैं अथवा वास्तविक मजदूर संघ की कार्यवाहियों में भाग लेते हैं तो आप को उन का जीवन आपत्तिजनक नहीं बना देना चाहिए। विचार कीजिए कि यदि किसी समय हमारे स्थान बदल गए, आप यहां बैठे और हम आप के स्थानों पर तो आप अच्छे अभिसमय और परम्पराएं स्थापित नहीं कर रहे। ये आप के भाग्य बदल देने के लिए पर्याप्त होंगे। हम सच्चे जनतन्त्रवादी होते हुए ऐसे पग नहीं उठायेंगे परन्तु जो प्रणाली आप अपना रहे हैं वह न्यायोचित नहीं।

मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि इन सब विषयों में सब राजनैतिक दलों को मिल कर मूल भूत आधारों के लिए अपनी सहमति देनी चाहिए जिस से देश का प्रशासन कुशलतापूर्वक तथा भ्रष्टाचार के बिना चल सके। हमें ऐसे ढंग बनाने चाहिये जिन का सभा में और सभा से बाहर समर्थन करने के लिए हम बचन लें तब हम सच्चा जनतन्त्र राज्य स्थापित कर सकते हैं।

**डा० काटजू** : हम ने अभी इन नियमों की बहुसंख्या के बारे में बहुत कुछ सुना है। हमें आंकड़ों के सम्बन्ध में कुछ नहीं बताया गया। सभा को इन नियमों के मूल के सम्बन्ध में मेरे मित्र श्री देसाई से सूनने का लाभ प्राप्त हुआ है। हम ने इन नियमों की प्रकृति के सम्बन्ध में भी एक ऐसे व्यक्ति से सुना है जो इन नियमों के बनाने में सामूहिक उत्तरदायित्व रखता है।

**डा० एस० पी० मुखर्जी** : इसीलिए में इनमें परिवर्तन चाहता हूं।

**डा० काटजू** : .....१९४९ में। श्रीमान्, मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि क्योंकि मैं संक्षिप्त कहना चाहता हूं इसलिए किसी को विघ्न नहीं डालना चाहिए। अब वे नियम स्थिर है। मैं उन के सम्बन्ध में कहूंगा। परन्तु आंकड़े क्या है? मेरे माननीय मित्र ने कहा कि हजारों को इस का शिकार बनाया गया है। केन्द्रीय सरकार के सरकारी कर्मचारियों में से रेल कर्मचारियों को निकाल कर और डाक तथा तार के तथा असैनिक कर्मचारी सम्मिलित कर, ६,२६,०७० की संख्या है। यह लग भग सवा ६ लाख हैं। वर्ष १९५२ में इन नियमों के अधीन पीड़ित किए गए व्यक्तियों की संख्या ९ है, केवल ९ है। वह व्यक्ति अपराधी पाया गया था और उस को निकाल दिया जायेगा। वास्तव में, परिणाम शत प्रतिशत था। १९५१ में निम्नलिखित आंकड़े थे:

जिन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई — दस

सदन को समझना चाहिये कि ये ठीक दस थे।

नौकरियों से हटाये जाने के लिए जिन व्यक्तियों की सिफ़ारिश की गई — छः

जिन व्यक्तियों को अधिक चेतावनी देने की सिफ़ारिश की गई कि उन्हें भविष्य में अच्छा व्यवहार करना चाहिए—तीन

जिन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करना पूर्णत छोड़ दिया गया—एक

१९५० में निम्नलिखित आंकड़े थे:

जिन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई — सतरह

जिन व्यक्तियों को नौकरी में

[डा० काटजू]

रखने के लिए अयोग्य पाया गया—सात

जिन व्यक्तियों को केवल चेतावनी दी गई — तीन

जिन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही पूर्णत: समाप्त की गई—सात

इस प्रकार विचाराधीन तीन वर्षो में कलकत्ता के मेरे माननीय मित्र के अनुसार, नौकरी से निकाले गये व्यक्तियों की संख्या सात घन छ: धन एक थी जिनका योग चौदह होता है। अत: इन मामलों में हमें, वास्तव में, अनुदर्शन की भावना रखनी चाहिए।

**श्री नम्बियार :** आपके आंकड़ों में रेलें सम्मिलित नहीं हैं।

**डा० काटजू :** मैं रेलों पर आ रहा हूं। रेल कर्मचारियों की संख्या लग भग सवा नौ लाख है। हम सब जानते हैं कि देशवासी इन रेल कर्मचारियों के कितने ऋणी हैं। हम अभी भारतीय रेलों की शताब्दी मना रहे हैं, और मैं तथा आप वे आश्चर्यजनक कार्य देख रहे हैं जो इन रेल कर्मचारियों ने किया है। वास्तव में वे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के संरक्षक हैं —केवल आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षा ही नहीं अपितु कोयला खाद्यान्न आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं की यातायात में सुरक्षा के भी। १९५२ के वर्ष में, केवल आठ मामलों में, अधिक में नहीं, कार्यवाही की गई थी या आरम्भ हुई थी—मैं परिणाम नहीं जानता। परन्तु क्योंकि कुछ व्यक्ति गत वर्ष के मामलों से आ रहे थे इस लिए किसी ने भी १९५२ में नौकरी से अवकाश ग्रहण नहीं किया, और गत वर्ष के मामलों को मिलाकर, चौदह व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही समाप्त की गई। नई आरम्भ की गई कार्यवाहियों की संख्या आठ थी। १९५१ में, नई आरम्भ की गई कार्यवाहियों की संख्या ६२ थी। उन व्यक्तियों की संख्या जिन्हें अनिवार्यत: नौकरी से अवकाश प्राप्त कराया गया पिछले वर्ष के मामलों को मिलाकर, ७५, थी। जिन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही समाप्त की गई उन की संख्या ३८ थी।

यदि आप व्यक्तियों की पूर्ण संख्या लें जिनके विरुद्ध १९४९ से १९५२ तक, चार वर्षों में, कार्यवाही आरम्भ की गई थी तो यह संख्या ३६५ थी। सदन को स्मरण होगा कि ये नियम १९४९ में बनाये गये थे जब कि परिस्थितियां अलौकिक थी और इस लिए पिछले वर्ष की अपेक्षा बहुत बड़ी संख्या में व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही आरम्भ की गई, और फिर भी संख्या केवल ३६५ थी। इस पूर्ण संख्या में से ११३ के विरुद्ध कार्यवाही समाप्त कर दी गई। १७२ के विरुद्ध कार्यवाही उनके अवकाश प्राप्त करने पर समाप्त हो गई। मेरा विचार है कि कुछ व्यक्तियो को विरुद्ध मामले अभी अनिश्चित पड़े हैं। यदि आप कर्मचारियों की पूर्ण संख्या सवा नौ लाख की और तथा उन मामलों को और, जिन में कार्यवाही की गई, देखें तो कोई भी व्यक्ति न्याय अथवा औचित्य की दृष्टि से यह नहीं कह सकता कि यहां व्यक्तियों को नौकरी से निकाले जाने का अथवा उनके ऊपर 'डमोकिल' की ललकार लटकने तथा उन्हें अपोक बनाने का मामला था।

इन नियमों को राष्ट्रीय सुरक्षा नियमों का संरक्षक कहा जाता है। मैं पूर्ण दृढ़ता व स्पष्टतया के साथ सदन को यह बताता हूं कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, बिना इस विचार के कि वह क्या है, एक नागरिक है और नागरिक के रूप में संविधान उसे कुछ मूल अधिकारों की गारन्टी देता है

जिनमें मत प्रकट करने का अधिकार सम्मिलित है। मतदान गोपनीय है। वह जिस के पक्ष में चाहे अपना मत दे सकता है। परन्तु जब कोई नागरिक सरकारी कर्मचारी बनता है, उसे सेवा करनी पड़ती है—म यह नहीं कह रहा हूं कि उसे केवल सरकार का ही काय करना चाहिये, अपितु उसे देश-सेवा करनी चाहिए—और देश-सेवा का अर्थ है कि उसे विधियों का पालन अवश्य करना चाहिए। उसे अपने कार्यों द्वारा देश की सुरक्षा को अथवा देश की शान्ति को अवश्य ही डावांडोल नहीं बनाना चाहिए। उसे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे यह संदेह हो कि वह देश की विधि का उलंघन करने वाले व्यक्तियों की सहायता कर रहा है। क्या आपके कहने का अभिप्राय यह है कि यदि कोई राजनीतिक दल सत्याग्रह आन्दोलन अथवा जान बूझ कर विधि भंग करने के लिए आन्दोलन करने पर तुला हुआ है, और सरकारी कर्मचारी उस आन्दोलन को प्रोत्साहन दे रहे हैं अथवा आन्दोलनकारी हैं, तो क्या कोई भी तत्कालीन सरकार उन सरकारी कर्मचारियों को नौकरी में रखने की अनुमति दे सकती है।

**डा० एस० पी० मुखर्जी**: यह बात पुलिस के प्रतिवेदन के आधार पर नहीं अपितु स्वतन्त्र रूप से सिद्ध होनी चाहिए। प्रश्न तो यह है।

**डा० काटजू**: वह प्रश्न स्वतन्त्र प्रमाण का नहीं है क्योंकि मैं सदन को यह बता रहा हूं कि किस आधार पर नियम बनाये गये हैं। वे इस आधार पर बनाये गये थे कि इन व्यक्तियों पर विध्वंसकारी कार्यवाहियों में भाग लेन के लिए "सकारण संदेह" किया जाय। सारी बात "सकारण संदेह" पर आगे बढ़ती है क्योंकि कोई भी सरकार जोखिम नहीं दे सकती। यह महत्वपूर्ण बात है। आप कैसे कोई बात दृढ़तापूर्वक कह सकते हैं? श्रीमान्, मान लीजिये कि एक प्राधिकारी आपके अधीन कार्य करता है जिस पर से आप का विश्वास उठ गया है और आपको संदेह है कि वह सरकारी पत्र व्यवहार से रहस्य बता रहा है, तो क्या आप उसे नौकरी में रखेंगे? अब, उसे क्या हो सकता है? इन नियमों में केवल तीन यथाकथित दण्डों की व्यवस्था की गई है। मानो, यदि अपराध सिद्ध नहीं होता तो उसे फिर काम पर आने की अनुमति दी जा सकती है; केवल विशिष्ट श्रेणियों की नौकरी से वंचित किया जा सकता; अथवा वह नियमों के अनुसार ऐसी क्षतिपूर्ति पाकर, जिसका उसे अधिकार है, जैसे निवृत्ति-वेतन, उपदान तथा भविष्य निधि, नौकरी से अवकाश ग्रहण कर सकता है।

मेरे माननीय मित्र यह बतलाने का प्रयत्न कर रहे थे, जैसे कि कोई जांच पड़ताल, कुछ भी नहीं हुई है। परन्तु मैं आपको बताता हूं कि एक सरकारी कर्मचारी को, इन नियमों के अन्तर्गत, स्वतन्त्र न्यायाधिकरण के सन्तोष के लिए यह सिद्ध करने की प्रत्येक सुविधा दी जाती है कि उस पर किसी भी प्रकार का कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। वह अपने आपको संदेह-मुक्त करने की स्थिति में है। हमें न्यायाधिकरण की बनावट पर ध्यान देना चाहिए। मान लीजिये कि कोई सरकारी कर्मचारी डाक घर, या रेल कार्यालय, या किसी अन्य कार्यालय में काम करता है। न्यायाधिकरण के चार सदस्य होते हैं:

(१) उस मंत्रालय का एक प्रतिनिधि जिस से कर्मचारी सम्बद्ध है। मान लीजिये कि वह डाकिया है। तो, प्रतिनिधि संचारण मंत्रालय का होगा।

[डा० काटजू]

(२) विधि मत्रालय का एक प्रतिनिधि--विधि मंत्रालय के कर्मचारी से सर्वथा कोई सम्बन्ध नही है। इसका प्रतिनिधि तो एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे विधि का ज्ञान होता है।

(३) गृह-कार्य मंत्रालय का एक प्रतिनिधि सामान्यतः यह गृह-कार्य सचिव होंगे।

(४) गुप्त-सूचना विभाग के एक प्रतिनिधि।

इसमें ये चार व्यक्ति होंगे। सम्भवतः हम खुले रूप से, न्यायपूर्ण न्यायिक जांच नहीं करा सकते, क्योंकि हम राष्ट्रीय सुरक्षा सम्बन्धी मामलों के बारे में कार्यवाही करने जा रहे हैं। इन चार व्यक्तियों में जिस व्यक्ति को अभियोक्ता की स्थिति में रुचि हो सकती है, वह उस मंत्रालय का प्रतिनिधि होता है जिससे उस कर्मचारी का सम्बन्ध होता है। शेष के तीन को किन्चितमात्र रुचि नहीं होती है। गृह-कार्य सचिव को इसमें कोई भी रुचि नहीं होती कि क्या अभियुक्त अपने आचरण का स्पष्टिकरण करता है या नहीं अथवा उसे दण्ड मिलता है या नहीं। वह स्वयं इस अभियोजन को आरम्भ नहीं करते हैं।

**श्री के० के० बसु** (डायमन्ड हार्बर): गुप्त-सूचना विभाग के प्रतिनिधि के बारे में स्थिति क्या है?

**डा० काटजू**: शुद्ध रूप से यह एक मंत्रणा समिति है। आदेश स्वयं मंत्री द्वारा दिया जाता है तथा मैं कल्पना कर सकता हूं कि मंत्री महोदय बहुत न्यायपूर्ण ढंग से कार्यवाही करेंगे; यह स्वयं सब पत्रों को देखेंगे तथा यह फैसला करेंगे कि उस व्यक्ति को रखा जा सकता है या नहीं। इसमें वह सार्वजनिक हित को अपने सामने रखेंगे। नियम यह है।

दूसरी बात यह है कि तथाकथित दण्ड है क्या? वे उसे केवल यह कह देते हैं कि हमें आप में विश्वास नहीं है। प्रश्न यह नहीं कि आप किस दल विशेष से सम्बन्ध रखते हैं; प्रश्न यह है कि क्या राष्ट्रीय सुरक्षा को आप के हाथों कोई खतरा तो नहीं तथा क्या लोग यह तो नहीं कहते कि आप या तो विध्वंसक कामों में लगे हैं या उन कार्यों के प्रति सहानुभूति रखते हैं। उस व्यक्ति से वे कहते हैं: "आप जाइये"--इस में वे उसे कोई दण्ड नहीं देते--"आपको निवृत्ती वेतन, भविष्य निधि तथा नियमानुसार सभी उपदान मिलेंगे।" यदि किसी व्यक्ति को नियमों के अनुसार न चलने अथवा इस प्रकार के किसी आरोप या अनुचित आचरण या इस प्रकार के किसी और कारण से पदोच्युत कर दिया जाता है तो उससे यह व्यवहार किया जा सकता है तथा इन लाभों में उसे कोई लाभ नहीं मिलता। परन्तु इस विषय में उसे यह कहा जाता है: आप बहुत अच्छे हैं; परन्तु इतने अधिक अच्छे हैं कि आपका हमसे निर्वाह नहीं हो सकता कृपया आप हमसे अलग हो जाइये।

मेरा निवेदन है कि नियम न्यायपूर्ण हैं। उन्हें अनुच्छेद ३११ की संगति से बनाया गया है तथा वे सरकारी कर्मचारी तथा सरकार दोनों के प्रति न्याय करते हैं। जाँच चार बड़ उच्च अधिकारियों द्वारा की जाती है जिन में से तीन को--मैं कहूंगा कि चारों को--इस बात में कुछ रुचि नहीं होती है कि उस सरकारी कर्मचारी को जिसके विरुद्ध जांच हो रही

हो, पदोच्युत कर दिया जाय या नहीं। इसके बाद मंत्री महोदय स्वयं उस मामले का फ़ैसला करते हैं। क्या आप इस से भी अधिक सावधानी का विचार कर सकते हैं कि कोई अन्याय न होने पाए।

१९५२ के आंकड़ों से आप को पता चल जा.गा कि किसी व्यक्ति को मजदूर संघीय कार्यों के लिये निशाना बनाने या उन प्रवृत्तियों को बन्द कर देने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। जैसा कि मैंने कहा है, आठ मामले रेल कर्मचारियों के सम्बन्ध में हैं तथा एक किसी और के सम्बन्ध में। १९५२ में केवल ९ मामले ही हुए हैं।

दक्षिण-पूर्व कलकत्ता से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ मामलों की ओर निर्देश किया है। एक ओर कलकत्ता के माननीय सदस्य ने एक लम्बी सूची प्रस्तुत की है। इस से मुझे कुछ आश्चर्य हुआ है। निश्चय ही किसी भी सरकारी कर्मचारी को जिसे कोई शिकायत है, यहां पर मौजूद किसी सदस्य से मिलने का अधिकार है। वे मिलते भी हैं। परन्तु यह देखने की बात ह कि वे सभी सरकारी कर्मचारी जिन के विरुद्ध कम्यूनिस्ट पार्टी का सदस्य होने का अभियोग था, कम्यूनिस्ट पार्टी के कार्यवाहक नेता के पास ही गए। उन्हें ऐसा करने का अधिकार है।

**डा० एस० पी० मुखर्जी** : कुछ लोग मेरे पास भी आते है।

**डा० काटजू** : परन्तु उन्होंने इन व्यक्तियों की ओर निर्देश नहीं किया; इन की ओर तो प्रो० मुखर्जी ने निर्देश किया था।

प्रश्न यह है कि यदि किसी व्यक्ति का मामला ऐसा है जिसमें अन्याय किया गया है तो मुझे तनिक सन्देह नहीं है कि सम्बन्धित मंत्री बहुत प्रसन्नतापूर्वक उसकी जाँच करेंगे। व्यक्तिगत मामले को एक ओर रखते हुए हम उन की यहां चर्चा नहीं कर रहे हैं। संकल्प में यह कहा गया है कि इन नियमों को समाप्त कर दिया जाय।

**डा० एस० पी० मुखर्जी** : बिल्कुल ठीक।

**डा० काटजू** : तथा मेरे मित्र कम्यूनिस्ट पार्टी के कार्यवाहक नेता का कहना है: आप हमारी ओर देखिये, हम कितने अच्छे लोग हैं, हम आप से सहयोग करने को तैयार हैं, आप हमें परिस्थिति को सुधारने में सहायता दें। अब परिस्थिति सुधर कैसे सकती है? देश के उन कार्यकर्ताओं के मामले में जिन के प्रति मेरे माननीय मित्र की अध्यात्मक निष्ठा है, सवाल हटाने का नहीं, बल्कि मिटाने का है। आप जब लोगों को पसन्द नहीं करते तो आप उन्हें मिटा देते हैं। यह अलग बात है कि समाप्ति तक आप अपने विचार बदल लें, परन्तु अन्यथा नियम बहुत कठोर हैं। इस प्रसंग में ऐसा प्रश्न कोई नहीं उठता। यहां तो एक अभियोग-पत्र दिया जाता है, उस में वैयक्तिक उपस्थिति का अधिकार है तथा उस व्यक्ति से नम्रता का व्यवहार किया जाता है। वे कहते हैं "आप छुट्टी पर चले जायें।" बाद में मामले को कुछ ही सप्ताहों में, सम्भवतः दिनों में निपटा दिया जाता है। इस के पश्चात वे कहते हैं "हमें आप से संतोष नहीं है, आइये हम सद्भावना से अलग हो जायें। आप को निवृत्ति वेतन, उपदान तथा भविष्य निधि मिल सकती है"।

मेरे माननीय मित्र ने कहा है कि इन नियमों में परिवर्तन होने चाहियें। मेरा कहना यह है कि इन नियमों को कलकत्ता के माननीय सदस्य के परामर्श से यथासम्भव न्यायपूर्ण बनाया गया है।

**एक माननीय सदस्य** : क्या वह उस समय मंत्रालय म थ ?

**डा० एस० पी० मुखर्जी** : इसी कारण तो मैं उस काल के सभी दुष्कार्यों को जानता हूं।

**डा० काटजू** : उन सब से आप का सम्बन्ध होगा।

**डा० एस० पी० मुखर्जी** : आप मुझ से ।स्थति ो बदल क्यों नहीं लेते ?

**डा० काटजू** : श्रीमान्, मेरा कहना है कि नियमों में कुछ गलत बात नहीं है। उद्देश्य यह है कि जिस से सदन सहमत है अर्थात कि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में न पड़ने दिया जाय। राष्ट्रीय सुरक्षा पर चर्चा में आप भेद की बातो को प्रकट नहीं कर सकते। इस सम्बन्ध में खुले रूप से आप लोगों के सामन न्यायिक जांच का रूप नहीं दिया जा सकता। प्रश्न यह है कि क्या ऐसा कहने के पर्याप्त प्रमाण हैं कि इस व्यक्ति पर सरकारी कर्मचारी की स्थिति में विश्वास नहीं किया जा सकता। ोई व्यक्ति उसे ेल में नहीं डालेगा। परन्तु कल्पना कीजिये कि उसके साथी ऐसे लोग हैं या उसकी सहानुभूति एक ऐसे दल से है जो सत्याग्रह का अवैध दर्शिनयों के करने का, अवैध हड़तालों का, हथियारों के एकत्र करने का प्रचार करता है तथा इस सिद्धान्त का प्रचार करता है कि जो कोई किसान से लगान आदि माँगने आए उसे गोली से उड़ा दो। तो फिर क्या किया जाय। हम इन मामलों को जानते हैं। यह अलग प्रश्न है कि नीति में समय समय पर परिवर्तन होता रहे। किसी दिन कोई दल विशेष यह कह सकता है कि हम सत्याग्रह को बन्द करते हैं या पन्द्रह दिनों के लिए स्थगित करते है। परन्तु इससे उनकी स्थिति निश्चित नहीं हो सकती। प्रश्न यह है कि क्या आप किसी व्यक्ति को सरकारी कर्मचारी रहने देना पसंद करेंगे जिसकी सहानुभूति इस प्रकार के व्यक्तियों से है? यदि वह चाहता है तो उसे अधिकार है कि साधारण नागरिक के रूप में उस दल का सदस्य बने, उनके पक्ष में मत दे तथा उनकी ओर से चुनाव लड़े। कोई व्यक्ति उसे ऐसा करने से नहीं रोक सकता। परन्तु जिस क्षण वह सरकारी कर्मचारी बन जाता है तो देश के हितों को निरन्तर अधिकतम महत्त्व दिया जाना चाहिये।

कृपया याद रखिये कि इसमें कांग्रेसजनों या हिन्दू महासभाइयों की मंत्रणा समिति के बनाए जाने का प्रश्न नहीं है। इस मंत्रणा समिति में तो केवल सेवाओं से व्यक्ति लिये जाते हैं। हो सकता है कि इसमें गृह-कार्य मं ालय, विधि मंत्रालय तथा उस व्यक्ति विशेष के मंत्रालय के सचिव महोदय स्वयं भाग लें तथा उनके साथ केन्द्रीय गुप्त सूचना विभाग का प्रतिनिधि बैठे। वे सभी सेवाओं से लिए गए व्यक्ति हैं तथा यदि उन्हें संतोष हो.....

**डा० एस० पी० मुखर्जी** : किस आधार पर संतोष हो। क्या सी० आई० डी० की रिपोर्टो के आधार पर तथा बिना सभी व्योरों को जाने अथवा सूचना के अन्य साधनों के आधार पर ?

**डा० काटजू** : हमने इस बात पर निवारक निरोध विधेयक पर चर्चा के समय बहस की थी तथा बहुत विस्तार से। प्रश्न यह था कि क्या कानूनी प्रतिनिधित्व का अधिकार होना चाहिये या नहीं अथवा क्या किसी वकील के उपस्थित होने का उपबन्ध किया जाय या नहीं। उस अवसर पर मैंने इस सिद्धान्त को आपके सामने रखने का साहस किया है कि व्यक्तिगत

रूप से उपस्थित होने का अधिकार वकील के ज़रिये प्रतिनिधित्व करने से कहीं अच्छा है । इन चार व्यक्तियों की समिति के सामने वह व्यक्ति विशेष उपस्थित होकर अपने विरुद्ध मामले में अपना स्पष्टीकरण कर सकता है । वह व्यक्तिगत रूप से जांच सम्बन्धी सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकता है ।

**डा० एस० पी० मुखर्जी :** नियमों में यह व्यवस्था की गई है कि सभी ब्योरों को उसे नहीं बतलाया जायगा ।

**डा० काटजू :** जहां तक उस पर विश्वास हो सकता है, ये ब्योरे उसे बतलाए जायेंगे । मेरा निवेदन है कि जहां तक सेवाओं में से लिए गए व्यक्तियों के स्वतन्त्र अधिकरण का सम्बन्ध है तथा जांच का मामला ऐसा है जो बहुत भेद का है तो ऐसा विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि अन्याय नहीं किया जा सकता तथा कि सरकार को किसी व्यक्ति को किसी तरीके से दण्ड देने में रुचि है । आपको जो मामले मैंने वर्ष १९५२ के सम्बन्ध में बतलाये हैं, उन से प्रकट हो जाता है कि सरकार सेवाओं के इन कर्मचारियों पर विश्वास करेगी । बस ।

बैठने से पहले मैं एक दो मिनट तक मज़दूर संघीय कार्यों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । मैं इसे पूर्णतः नहीं समझता । आप को याद होगा कि पिछले अवसर पर मज़दूर संघीय कार्यों पर जो चर्चा हुई थी वह बिलकुल असंगत थी । उसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है । हम सब सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में कार्यवाही कर रहे हैं तथा जांच का विषय राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होने या न होने की सम्भावना का है । इसमें मजदूर संघीय कार्यों का कोई प्रश्न नहीं उठता । अतएव मेरा निवेदन है कि यह संकल्प बिलकुल अनावश्यक है । सामान्यतः मैं कहूंगा कि इसे वापस ले लिया जाय परन्तु मैं नहीं जानता कि मेरी आवाज पर ध्यान दिया जाएगा या नहीं । यह नहीं कहा जा सकता कि इन नियमों का दुरुपयोग किया जा रहा है और इस बात का भी कोई खतरा नहीं कि भविष्य में सरकार इन नियमों के अन्तर्गत कोई कड़ी कारवाई करेगी ।

अन्त में मैं यह कहूंगा कि यदि किसी माननीय सदस्य को शिकायत हो कि किसी विशेष मामले में अन्याय किया गया है, तो वे सम्बन्धित मंत्री को अभ्यावेदन कर सकते हैं । वे अवश्य उस मामले पर पुनर्विचार करेंगे ।

**श्री नम्बियार :** सब से पहले मैं, साम्यवादी दल की ओर से यह स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि यह दल न तो १९४९ में गड़बड़ पैदा करना चाहता था, और न आज करना चाहता है । हम ने कभी स्थिति खराब करने की कोशिश नहीं की । यह स्थिति तो पहले ही उत्पन्न हुई होती है । आज भी हम देख रहे हैं कि पोतघाटों, रक्षा संस्थाओं, रेलवे संस्थाओं और डाक विभाग में छंटनी की जा रही है । यदि ये सब कर्मचारी इकट्ठे हो कर यह कहने लगें कि उन्हें हड़ताल करने का अधिकार है और यदि कुछ राजनैतिक दल यह समझें कि उन्हें हड़ताल करने के लिए सहायता देना उचित है, तो क्या इसे राष्ट्र-विरोधी कार्रवाई कहा जा सकता ? क्या यह देश की सुरक्षा के हितों के विरुद्ध है

गृह मंत्री ने कहा है कि आखिर १० लाख कर्मचारियों में से केवल ३६५ के विरुद्ध कार्रवाई की गई है । मैं कहता

[श्री नम्बियार]

हूं कि यदि १०० या १,००० में से एक को भी साधारण प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना निकाल दिया जाये, तो यह अन्याय होगा। मैं चाहता हूं कि इन मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाये। यदि सरकार सीधा ही उन्हें बहाल करने के लिए तैयार नहीं है, तो कम से कम एक न्यायिक जांच की जाना चाहिए और उन के साथ न्याय किया जाना चाहिए, इस सम्बन्ध में मैं रेलवे मंत्री से विशेष रूप से अपील करूंगा, क्योंकि अधिकतर प्रभावित कर्मचारी रेलवे के हैं।

इस बात पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए कि क्या इन नियमों की वास्तव में कोई आवश्यकता है ? मंत्री महोदय ने कहा है कि १९५२ में इस प्रकार का केवल एक मामला था और १९५३ में कोई भी नहीं था। यदि ऐसी बात है, तो फिर आप को इस प्रकार की विधि की आवश्यकता क्या है। यदि आप यह समझते हैं कि आप लोगों को भयभीत करने के लिए इस प्रकार के अत्याचारी कानून रखना चाहते हैं, तो इस से आप की इच्छा पूरी न होगी।

विरोधी पक्ष के सदस्यों ने एकमत हो कर यह प्रार्थना की है कि इन मामलों पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। बहुत से स्वतंत्र सदस्य भी यही चाहते हैं। सभी इस बात पर सहमत हैं कि किसी अवकाश प्राप्त या सेवायुक्त न्यायाधीश को इन सामलों की जांच करनी चाहिए। यह कहना सत्य नहीं है कि ये लोग जिन्हें निकाला गया है साम्यवादी हैं। मैं आप के सामने सिद्ध कर सकता हूं कि इन ३६५ में से ६ से अधिक व्यक्ति साम्यवादी दल के सदस्य नहीं हैं। मैं जानता हूं कि मेरा संकल्प अस्वीकृत हो जायेगा किन्तु मैं पुनर्विचार के लिए फिर अपील करता हूं और सारा विरोधी पक्ष मेरा समर्थन करता है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संकल्प मतदान के लिए पुनः प्रस्तुत हुआ और अस्वीकृत हुआ।

---

## अस्पृश्यता सम्बन्धी विधान के बारे में संकल्प

**श्रीमती मिनीमाता** (बिलासपुर दुर्ग-रायपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"इस सदन की राय है कि इस उद्देश्य से कि अनुसूचित जातियां सामाजिक नागरिक तथा धार्मिक विषयों में उन्हीं अधिकारों का प्रभावी ढंग से उपभोग कर सकें जो अन्य लोगों को प्राप्त हैं। संसद् द्वारा तुरन्त ही एक ऐसा व्यापक विधान बनाया जाय जिसमें छूतछात बरतने पर दंड देने की व्यवस्था हो और जिसमें ऐसे अपराधों के मामले सुनने का अधिकार रखने वाले न्यायालयों द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया का तथा अपराधियों को दिये जाने वाले दंड का विशेष रूप से उल्लेख हो।"

उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन को यह मालूम है कि समाज मनुष्यों का समुदाय है। उत्तर मध्यम काल में समाज के मुखियों ने पेशे के आधार पर कुछ वर्ण बनाये थे परन्तु कालान्तर में यह पौधा एक बड़ा झाड़ बन गया। इस तरह आप मुझ से सहमत ज़रूर होंगे कि जाति विभाजन मनुष्यों के द्वारा बनायी हुई चीज़ है। इसके विस्तृत रूप धारण करने से भारत को भूत में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, वर्तमान में क्या क्या करनी पड़ रही हैं और उससे भारत को क्या क्या क्षति होती जा रही है यह आप

सब को मालूम है। स्वर्गीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने हम सब को एक साथ खाने, एक साथ रहने तथा मनुष्य से मनष्य को छूआछूत नहीं मानना चाहिए इस ओर बहुत कुछ किया और उन्हें कहां तक सफलता मिली इस सदन को ज्ञात है। उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह एक मां बाप के चार लड़के हैं ओर उनमें से किसी एक को केवल उसके किसी बात पर गौर न कर अलग कर देने से यदि सब को नहीं तो उसकी मां को अवश्य पीड़ा होती है। ठीक इसी तरह हमारे अन्य हिन्दू भाई भी हमें अलग रखेंगे तो भारत मां को पीड़ा होगी और इससे वह क्षीण होती जाती है। हम एक भारत मां के सपूत हैं और सबको अपनी मां की पीड़ा दूर करने का आयास जरूर करना चाहिये। मैं मानती हूं कि भारत के संविधान के भाग ३ धारा १७ पर छुआछूत निवारण संविधान तैयार किया गया परन्तु यह व्यवहारिक रूप में अमल में नहीं लाया जाता। जिस तरह एक चोर को चोरी करने के अपराध में किस प्रकार की अदालत में उसकी चर्चा होगी और उसे कितने आर्थिक तथा शारीरिक दंड दिया जाता है इसका उल्लेख पूर्ण रूप से भारतीय कानून ताजीरात हिंद में पाया जाता है। संसद् जानती है कि हमारे नये संविधान के पहले भारत के कुछ राज्यों में छुआछूत निवारण कानून बनाये जा चुके हैं और किन्हीं किन्हीं प्रांतों में संविधान आने के बाद में बनाये गये हैं। ये सब एक से नहीं हैं। यदि इसमें वे कुछ हेर फेर करें संशोधन के रूप में तो उच्च न्यायालयों में उसकी मान्यता शायद नहीं होगी। अर्थात भारत में एक विशेष विषय पर भिन्न भिन्न कानून बनाये गये हैं यह मेरी निगाहों से ठीक नहीं है। क्योंकि ये सब कानून वारंट केस नहीं हैं। इस कारण थानेदार इसको अमल में लाने में तनिक परवाह नहीं करते। इससे इस सदन से मेरा अनुरोध है कि इसके द्वारा एक विस्तृत कानून बनना चाहिये जो सारे देश में लागू होना चाहिये। ऐसे कानून को कौन अदालत सुनेगी और कितना शारीरिक तथा आर्थिक दंड अवहेलना करने वाले को मिलेगा इन सब बातों का उल्लेख हो, आखिर में अब तो यह काम शुरू होना चाहिये। इस कारण हमारे थानेदार को इस कानून को अपनाने के लिये विशेष हिदायतें देनी चाहिये तथा वारंट केस बनाने के लिये आदेश देने चाहिये। ऐसा विधान बनाने से राज्य के जरिये से बहुत सा काम हो जाता है, इसकी गवाही इतिहास देता है। अध्यक्ष महोदय के ध्यान को मैं इस सिलसिले में लाना चाहती हूं कि छूआछूत के बारे में कई जगह मर्डर केसेज़ हो रहे हैं और हरिजन काश्तकार अपने घर से डर के मारे नहीं निकलते हैं। हम हरिजनों को गर्मी के दिनों में कुएं से पानी भी नहीं भरने देते और पीने भी नहीं देते।

और भी कई कठिनाइयों को हम को सहन करना पड़ता है। क्या हम सदा के लिये ऐसे ही गिरे हुए रहेंगे या आगे हम को बढ़ने दिया जायेगा। हमारे विरोधी पार्टी वाले भाई देहातों में जाकर यह प्रोपेगैंडा करते हैं कि कांग्रेस सरकार तुम्हारे लिये क्या कर रही हैं और क्या करेगी। वह कहते हैं कि तुम सब लोग बहुमत देकर कांग्रेस को अधिकार देते हो, और वह तुम हरिजनों को सदा ही नीचा दिखा रही है। यह सब विरोधी लोग जाकर प्रोपेगैंडा करते हैं। इसलिए जनता बहुत दुखित है और हम हरिजन अपना दुःख सदा आपके सामने लाते हैं पर हमारी सरकार हमारी तरफ ध्यान नहीं देती है। इसलिए ज़रा ध्यान देकर इस रिजोल्यूशन को पास करके इसी सेशन में इसके अनुसार क़ानून पास करें।

हां, हम हरिजन एक भी कांग्रेस के खिलाफ नहीं हैं। पर हमारी दशा गिरती

[श्रीमती मिनीमाता]

ही जा रही है । सरकार के खिलाफ तो हम हरिजन हैं ी नहीं, सदा उनके बंधन में हैं । जैसा कहती है वैसा करते हैं । हम तो कांग्रेस सरकार को कामधेनु गया की तरह समझते हैं जिस को पकड़ कर हम हरिजन वैतरणी नदी पार करना चाहते हैं । पर कांग्रेस सरकार हमको बहुत गिराना चाहती हैं ।

[**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** अध्यक्ष-पद आसीन ]

**सभापति महोदया :** संकल्प प्रस्तुत हुआ ।

जो संशोधन भजे गय हैं, उन में से एक श्री एस० एन० दास और श्री राधा रमण के नाम स हैं । यह नियमानुकूल हैं ।

**श्री एस० एन० दास** (दरभंगा मध्य) मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

मूल संकल्प के स्थान पर निम्नलिखित आदिष्ट कर दिया जाय :

> "इस सदन की राय है कि इस उद्देश्य से कि अस्पृश्यता की प्रथा और इसके फलस्वरुप उत्पन्न होने वाली निर्योग्यताएं तत्काल दूर हो सके, शीघ्र ही एक ऐसी ब्यापक विधि बनायी जायें, जिस के द्वारा सब नागरिकों को समाज में समान स्थान प्राप्त हों और अपराधियों को शीघ्रता से दंड दिया जाय ।"

**सभापति महोदया :** श्री बी० एस० मूर्ति और श्री पी० एन० राजभोज के संशोधन अनियमित हैं ।

अब मैं श्री एस० एन० दास और श्री राधा रमण को बोलने के लिए कहूंगी ।

**श्री एस० एन० दास :** जो प्रस्ताव अभी सदन के सामने रखा गया है इस प्रस्ताव का महत्व इस सभा के सदस्यों से छिपा हुआ नहीं है और सरकार भी उस के महत्व से अपरिचित नहीं हैं । इस प्रस्ताव का आशय उन सभी विधान की धाराओं को कार्य रूप में लाने का है जिनके द्वारा संरक्षण या मौलिक अधिकार तथाकथित हरिजनों को दिये गये हैं । इस बात को इस संसद के सभी सदस्य मानते हैं कि हिन्दुस्तान में बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जिन्हें सामाजिक अधिकार सभी नागरिकों को मिलने चाहियें वे उनको प्राप्त नहीं हैं । जब से हम लोग आज़ाद हो गये और हमन अपने विधान का निर्माण कर लिया, उस समय से इस प्रश्न की ओर विशेष ध्यान दिया जाने लगा है, यद्यपि इससे पहले भी महात्मा गांधी के नेतृत्व में और उससे पहले भी हिन्दुस्तान में बहुत से सामाजिक सुधारक हुए हैं जिन्होंने इस विषय के महत्व की ओर हिन्दुस्तान की जनता का, विशेषकर तथा-कथित उच्च वर्ण के लोगों का ध्यान खींचा है । इस बात को हम सभी मानते हैं कि हिन्दुस्तान के अन्दर जो सामाजिक विषमता है उसकी जड़ में धर्म और जाति का स्थान है । हिन्दुस्तान के अंदर जो विभिन्न धर्म के मानने वाले हैं उनमें विभिन्न विचार और विभिन्न प्रकार की धारणाएं । लेकिन हिन्दू धर्म के अन्दर, किसी भी कारण से हो, इतिहास का पन्ना उलटने की जरूरत नहीं है, कि हिन्दुओं में सभी लोगों के साथ जैसा व्यवहार एक नागरिक को दूसरे नागरिक के साथ करना चाहिये वह सामाजिक

तौर पर नहीं है। विधान के द्वारा और हिन्दुस्तान के करोड़ों लोगों को बिना किसी भेद भाव के, हमने मतदान का अधिकार सबको दे दिया है। इससे हमारे देश में राजनीतिक न्याय क़ायम हो चुका है और यह कोई नहीं कह सकता कि राजनीतिक रूप से हिन्दुस्तान में कोई नीचा या ऊंचा है।

लेकिन बावजूद इस बात के कि विधान में हमने मान लिया है कि हम राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय हर भारत-वासी के लिए उपलब्ध करेंगे, फिर भी हम देखते हैं कि आज हिन्दुस्तान का जो समाज है, उस समाज में बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जिनको समान सामाजिक अधिकार नहीं मिले हुए हैं। इसीलिए आज यह प्रस्ताव जो माननीय सदस्या ने इस सदन के सामने रक्खा है, मैं समझता हूं कि उस प्रस्ताव का मुख्य मतलब यही है कि हिन्दुस्तान के अन्दर एक ऐसा कानून बनाया जाय जिससे कि देश में अस्पृश्यता न रहें और सभी नागरिकों को समान सामाजिक अधिकार और स्थान प्राप्त हो, ऐसा व्यापक क़ानून बनाना चाहिये जिससे हम वह चीजें लागू कर सकें जो हम करना चाहते हैं और उस क़ानून की अवहेलना करने वालों को उस क़ानून के द्वारा यथोचित सज़ा मिल सके, ताकि इस प्रकार की जो विषमता हमारे समाज के अन्दर है वह जल्द से जल्द दूर हो जाय। और यह बात भी ठीक है कि इस बारे में सरकार और हम संसद के जो सदस्य हैं उनमें कोई मत भेद नहीं है, लेकिन इतना मानना पड़ेगा कि बावजूद इस बात के कि हमने विधान में इस बात को मान लिया है, हम व्यवहारिक रूप में अपने जीवन और समाज के जीवन में उसको अमल मे नहीं ला सके हैं। इसलिये ज़रूरत इस बात की है कि एक ऐसा क़ानून बनाया जाय जो व्यापक तौर पर सभी राज्यों में एक समान लागू हो और जो राज्य सरकारें आज इसकी ओर पूरा ध्यान नहीं दे रही हैं। इस प्रकार का क़ानून बनने के बाद तमाम राज्य की सरकारें इस बात की ओर विशेष ध्यान दें। यह बात मैं मानता हूं कि देश की आज जैसी अवस्था है, उस अवस्था में सिर्फ क़ानून बनने से ही यह काम पूरी तौर पर होने वाला नहीं है। दोनों मोर्चों पर काम करने की ज़रूरत है। विधान बना कर या क़ानून बना कर बराबरी का अधिकार देकर उस पर ज़ोर देना एक मोर्चा है। दूसरा मोर्चा यह है कि देश में जितनी भी सामाजिक संस्थाएं अथवा नागरिक हैं जो विश्वास करते हैं कि समाज के अन्दर सब को बराबर अधिकार मिलने चाहियें और कुओं, तालाबों आदि का सब के द्वारा समान रूप से इस्तेमाल होना चाहिए, वह सामाजिक संस्थाओं के द्वारा या व्यक्तिगत रूप से अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में इसके लिए प्रयत्न करें और प्रचार करें ताकि यह जो कलंक हमारे देश के अन्दर लगा हुआ है, वह मिट जाय और संसार के दूसरे देशों में जो बदनामी होती है, उस से हम बच जायें। इस बात को भी हमें क़बूल करना पड़ेगा कि जब हमारे देश के प्रतिनिधि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं म जाते हैं और जब हम वर्ण और रंग की बुनियाद पर अफ़्रीका आदि देशों में भारतीयों के साथ जो भेदभाव की नीति वर्त्ती जाती है उस के विरुद्ध जब वे बोलने खड़े होते हैं, तो विदेशी प्रतिनिधि हमारे देश की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि आपके स्वयं हिन्दुस्तान में भी तो करोड़ों आदमी ऐसे बसते हैं जिन के साथ आज बराबरी का बर्त्ताव नहीं किया जाता और उस समय हमें उसका कुछ जवाब देते नहीं बन पड़ता

[श्री एस० एन० दास]

और हमारा सिर लज्जा और शर्म से झुक जाता है, यह वास्तव में हमारे लिए लज्जा और शर्म का विषय है। हमारे देश की सरकार को चलाने वाले जो हमारे कर्णधार हैं, वह भी इस बात को समझते हैं; फिर भी ज़रूरत इस बात की है कि जल्द अज़ जल्द एक ऐसा कानून बनाया जाय जिस के जरिये भारतीय संविधान में जो हमने मौलिक अधिकार व संरक्षण प्रदान किये हैं, उनको कार्य रूप में लांया जा सके। इसी बात को लेकर मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करने खड़ा हुआ हूं। मैंने जो संशोधन पेश किया है उस संशोधन की और सभानेत्री जी, मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं, इस प्रस्ताव में जो यह कहा गया है कि :

> "इस सदन की राय है कि इस उद्देश्य से कि अनुसूचित जातियां सामाजिक, नागरिक तथा धार्मिक विषयों में उन्हीं अधिकारों का प्रभावी ढंग से उपभोग कर सक .....

"Religious matters" अगर इस में से हटा दिया जाय तो मैं सारे सदन से इस बात की सिफारिश करूंगा कि इस प्रस्ताव को मंजूर करे और मुझे पूरी आशा है और विश्वास है कि इसको सरकार का भी समर्थन प्राप्त होगा। हिन्दू धर्म में वैसे तो इस बात का सिद्धान्त है कि हर हिन्दू धर्म के मानने वाले के साथ समान और बराबरी का बर्ताव किया जाना चाहिए, लेकिन जहां तक राज्य और संसद द्वारा कानून बनाने का सवाल है हम किसी धर्म के मानने वाले को मजबूर नहीं कर सकते हैं कि वह धर्म का किस तरह पालन करें, उनके धर्म के अन्दर हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, इसलिए इस प्रस्ताव में धर्म के मुताल्लिक जो बातें कही गयीं हैं, उनको हटा दिया जाय, तब मैं समझता हूं कि सरकार अथवा संसद को इसे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। हर एक धर्म का भिन्न भिन्न रूप और व्यवहार होता है और मैं समझता हूं कि संसद में किसी भी धर्म के मानने वाले चाहे वह गलत तरीके से ही उसे क्यों न मानते हों, उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इसीलिए मैं समझता हूं कि जैसा कि हमने विधान में यह मान लिया है कि हिन्दुस्तान में जितने भी लोग बसते हैं और यहां के नागरिक हैं, उन में किसी सामाजिक, राजनैतिक या आर्थिक बात को लेकर कोई भेदभाव नहीं किया जायगा, इसी को आधार मान कर हमें क़ानून बनाना चाहिए। शिक्षा संस्थाओं में तथाकथित हरिजनों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनकी सभी असुविधायें मिट गई हैं। मैं आपको बतलाऊं कि आज एक नहीं सैकड़ों गांव ऐसे मौजूद हैं जहां पर हरिजनों को कुएं का पानी इस्तेमाल करने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती है और जब इस कुप्रथा को बन्द करने के लिए बहुत आग्रह किया जाता है तो यह कहा जाता है कि हम गांव में हरिजनों के लिए अलग कुएं बनवा देगें। आज के दिन भी हिन्दुस्तान के करोड़ो आदमियों को उनके उचित और न्यायसंगत मानवोचित अधिकारों से वंचित रखना हमारे लिए बहुत कलंक की बात है। एक नहीं, दो नहीं सैकड़ों गांव हिन्दुस्तान में मिलेंगें जहां पर आज भी हरिजनों के लिए कुएं से पानी पीने का इन्तज़ाम नहीं है, सरकार की तरफ से अथवा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या म्यूनिसिपल कमेटियों की ओर से हर गांवों में कुए नहीं बने हुए हैं और वहां व्यक्तिगत लोग

स्वयं अपनी ओर से कुएं बनवाते हैं और फल-स्वरूप हर एक नागरिक को उन कुओं पर पूरा अधिकार नहीं होता है । इसलिए आज इस बात की बहुत जरूरत है कि उन स्थानों पर जहां सरकार द्वारा कुए बनवाये जायें, वहां सामाजिक संस्थायें इस बात का प्रचार करें कि जो मौलिक अधिकार सभी नागरिकों को विधान के अन्दर मिले हुए हैं उनका उपभोग सब नागरिक समान रूप से बिना किसी भेद भाव के करें। केन्द्रीय सरकार की रिपोर्ट को देखने से ज्ञात होता है कि केन्द्रीय सरकार ने कई बार इस संसद के सामने कहा है कि हम इस बात पर विचार कर रहे हैं, लेकिन मालूम नहीं सरकार कब तक उस पर विचार करती रहेगी, मैं यह बात मानता हूं कि विभिन्न राज्यों में इस हेतु कानून भी बनाये गये हैं जिनमें अस्पृश्यता को कानून अपराध ठहराया गया है, लेकिन अभी असुविधाओं को पूरे तौर पर नहीं दूर किया जा सका है, इसलिए इस बात की ज़रूरत है कि केन्द्रीय सरकार इस चीज़ को अपने हाथ में ले और एक आल इंडिया लेविल पर कानून बनाये और केन्द्रीय सरकार को यह काम अपने हाथ में लेना आवश्यक है ताकि यह काम सब जगह ठीक प्रकार से सम्पन्न किया जा सके। मैं समझता हूं कि मौलिक अधिकार जो हमने अपने विधान में तथाकथित हरिजन भाइयों के लिए रक्खें हैं, उनको कार्य रूप में परिणत करने के लिए अगर केन्द्रीय सरकार कोई कानून बनाय, तो उसका अच्छा असर देश पर पड़ने वाला है । इसलिए मैं इन बातों के साथ इस प्रस्ताव का अपने संशोधन के मुताबिक समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री इस प्रस्ताव को संशोधित रूप में स्वीकार करेंगे और जल्द से जल्द दसरे अधिवेशन में एक ऐसा विधयक इस सभा के सामने रक्खेंगे ताकि देश के अन्दर यह जो विषमता का कलंक है, वह दूर हो जाय और आज हमारे करोड़ों हरिजन भाइयों के दिल में जो यह ख्याल है कि तथाकथित उच्च वर्ण के लोग उनके साथ उचित व्यवहार नहीं करते हैं, यह ख्याल उनके दिल से दूर हो जाय और देश के सब लोग एक साथ मिलकर बराबरी के दर्जे पर चलकर देश की तरक्की और नवनिर्माण के कार्य में जुट जायें। इसी आशा और विश्वास के साथ में इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जो इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे।

**सभापति महोदया** : संशोधन प्रस्तुत हुआ।

मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगी। इस वाद-विवाद में बहुत से सदस्य भाग लेना चाहते हैं और मैं यथासंभव अधिक से अधिक सदस्यों को बोलने का अवसर देना चाहती हूं। अतः मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगी कि वे अपने भाषण थोड़े समय तक सीमित रखें।

**श्री बर्मन** (उत्तर बंगाल-रक्षित-अनुसूचित जातियां): यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है। इस लिए मेरा निवेदन है कि वाद-विवाद के नियमों का उल्लंघन न करते हुए, आप सब सदस्यों को बोलने की आज्ञा दें, ताकि हम सब पक्षों के विचार जान सकें।

**सभापति महोदया** : माननीय सदस्य पूरी तरह इस विवाद में भाग ले सकते हैं। मैं ने केवल इतना निवेदन किया है कि वे यथासंभव संक्षिप्त भाषण दें। श्री राज-भोज।

**श्री पी० एन० राजभोज** (शोलापुर-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया।

[श्री पी० एन० राजभोज]

मुझे आज यह देखकर बहुत प्रसन्नता और संतोष होता है कि एक कांग्रेसी हरिजन की तरफ़ से ऐसा प्रस्ताव आया, इस तरह का प्रस्ताव तो आज से बहुत पहले आना चाहिए था। आज हमारे विधान को बने हुए दो, तीन वर्ष व्यतीत हो गये, लेकिन यह नहीं मालूम कि उसमें जो हमारे लिए लिखा है, उस पर अमल कब होगा, सिर्फ रेजुलेशन पास कर देने से ही काम नहीं बनने वाला है, यह ठीक है कि यह ज़रूर पास होना चाहिए और हम लोगों ने भी कई बार सरकार का ध्यान दिलाया था, मिनिस्टर साहब के पास डेपुटेशन ले गये और उनसे मिले और कहा कि इस प्रकार का सरकार को कानून शीघ्र बनाना चाहिए। यह तो सत्य है कि इस देश में स्वतंत्रता आ गयी है, लेकिन हम लोगों को उस स्वतंत्रता का तनिक भी आभास नहीं होता और हम उसी तरह परतंत्रता में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, स्वतंत्रता आने के पश्चात् हमारी दशा में कोई अच्छा सुधार नहीं हुआ है और अछूतों की आज देहातों में हालत बिल्कुल जानवरों कुत्ते, बिल्ली जैसी है।

लोग कहते हैं कि कान्स्टिट्यूशन बन गया, एक दिन स्पीकर साहब ने मुझ से कहा कि हिन्दुस्तान से छूत छात का मामला चला गया, कान्स्टिट्यूशन बन गया। यह तो खाली बात की बात है। मैं कहना चाहता हूं कि जब तक इस के बारे में कोई कानून नहीं होता, जब तक इस के लिये क्रिमिनल अफेन्स नहीं बनाया जाता तब तक कांग्रेस और दूसरे लोगों का दिमाग़ ठीक नहीं होगा। तब तक हमारी उन्नति मुश्किल है। मैं तो कभी कभी बोलने के लिये खड़ा होता हूं। लेकिन तब भी जो स्वर्ण हिन्दू हैं, कांग्रेस के लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि मैं उन को महत्व नहीं देना चाहता, लेकिन वह कहते हैं कि राजभोज साहब हर वक्त पोलिटिकल प्रोपेगैन्डा करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह एक बीमारी है, जो तुम लोगों ने इतने हज़ारों वर्षों से अछूतों को दबाया, गिराया, उस पाप को धोने के लिये यह ज़रूरी है उस को बदला जाय। जब तक यह पाप ख़त्म नहीं होगा तब तक हम लोगों को इस के लिये लड़ना ही पड़ेगा। पंडित नेहरू भी कहते हैं कि साउथ अफ़्रीका में क्या हो रहा है, वहां के हिन्दुस्तानियों पर ज़ुल्म हो रहा है। लेकिन कहना यह है कि तुम हिन्दुस्तान को तो देखो, साउथ अफ़्रीका यहीं हो रहा है। आज आप लम्बी चौड़ी इन्टर्नेशनल बातें करते हैं, लेकिन इस देश में गांव-गांव में देहातों देहातों में आप को साउथ अफ़्रीका देखने को मिलेगा। आज हिन्दुस्तान के पांच छः करोड़ अछूतों की जो दशा है, उन की आर्थिक दशा, उन की सामाजिक दशा, और उन की राजनैतिक दशा हिन्दुस्तान में सब से खराब है। मैं आप को अपने बम्बई प्रान्त की एक मिसाल बताता हूं। एक गांव में एक तहसीलदार चला जाता है, और उस तहसीलदार ने वहां के एक कामगर से कहा कि तुम जहां कहीं मुझे मिलो, वहां नमस्कार करो। उस कामगार ने कहा कि जब आफ़िस में मैं ड्यूटी पर होऊंगा तब आप को ज़रूर नमस्कार करूंगा। कहने लगे, नहीं, नहीं, जहां मैं जाऊंगा वहां नमस्ते करना होगा। एक दिन तहसीलदार साहब गांव के बाहर पाखाने गये हुए थे वहां जा कर बैठे तो वह कामगार जो अछूत था वहां गया और नमस्कार किया। तहसीलदार साहब ने पूछा यहां क्यों आया, तो उस ने जवाब दिया कि आप ही ने तो कहा था कि जहां मिलना वहां नमस्कार करना। यह

तो हालत है और अन्य प्रकार की हालत हमारे बम्बई के देहातों में रहने वालों की। अछूत बिल्कुल गुलाम हैं और इस गुलामी को नष्ट करने के लिये कोई प्रोग्राम नहीं है। पंचवर्षीय योजना बन गई, करोड़ों रुपये की स्कीमें उस में बता दी गई। लेकिन अछूतों की आर्थिक दशा को सुधारने के लिये, अछूतों की छूआछूत को मिटाने के लिये कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं जिस से हम लोग हिन्दुस्तान में आजादी से रह सकें। यहां के सामाजिक जीवन में हम लोगों की स्थिति इतनी ख़राब है, इतनी गिरी हुई है कि महात्मा जी ने खुद मुझे एक खत में लिखा था अछूतों के बारे में कि चाहे मैं और अन्य स्वर्ण हिन्दू सेवा करते करते मर जायें लेकिन अछूतों की सेवायें कभी खत्म नहीं हो सकतीं। मेरे पास खत इस समय नहीं है, नहीं तो मैं पढ़ कर इस को सुनाता। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना जीवन उन्हीं के कार्य के लिये खर्च कर दिया, गांधी जी ने भी आवाज़ उठाई है। लेकिन मैं जानता हूं कि आवाज़ उठती है लेकिन उस पर अमल नहीं किया जाता है। हमारे अफ़सर सब तरह की बातें सुन लेते हैं लेकिन अमल में नहीं लाते। इस वास्ते मेरी प्रार्थना यह है कि जो अछूतों का आर्थिक सवाल है, उन के छूत छात का मामला है, उन को सुधारने के लिये कानून की आवश्यकता है। हम नहीं चाहते हैं कि वह लोग हमेशा अछूत बने रहें। हम लोगों का समानता का अधिकार है, जैसा कान्स्टिट्यूशन में लिखा है कि सब को बराबरी का अधिकार है, वह हम को मिलना चाहिये। हमारी नौकरी के बारे में, हमारी आर्थिक दशा के सुधारने के बारे में और हम लोग जो देहातों में बिल्कुल गिरी हुई स्थिति में हैं उन को उठाने के बारे में फौरन विचार होना चाहिये और इन सब को ठीक करने के लिये हमें फ्री लीगल एड मिलनी चाहिये।

**१२ प० म०**

देहातों में अछूतों की आर्थिक दशा इतनी खराब है कि उन को भर पेट अनाज नहीं मिलता, किसी के पास कपड़ा नहीं, किसी के पास मकान नहीं। दिल्ली में इतने फ़ारेनर्स आते हैं, वह लोग इस को देखेंगे तो कहेंगे कि यह देश आज़ाद है या अभी तक पराधीन है? मैं तो कहता हूं कि देश आज़ाद हो गया, ठीक हुआ, मैं इस से नाराज़ नहीं, लेकिन साथ ही हिन्दुस्तान में हम लोगों को भी स्वतंत्रता देने की पूरी तरह से कोशिश करनी चाहिये। स्वामी दयानन्द जी, स्वामी श्रद्धानन्द जी, म० फुले सावरकर, के० कोल्हापुर छत्रपति, बड़ौदा गायकवाड़ महाराजा और हमारी पार्टी के लीडरों ने कुछ न कुछ कोशिश की है और अब भी कर रहे हैं। लेकिन जब हमारी तरफ से आवाज उठती है, तमाम विरोधी पार्टी की तरफ से जब मांग की जाती है तो सरकार उस पर कुछ ध्यान नहीं देती। जब कभी हम कुछ कहते हैं तो वह होम डिपार्टमेंट के पास जाता है। उसके बाद सेक्रेटरी के पास जाता है और वहां से निगेटिव रिप्लाई आ जाता है। हम लोग मिनिस्टर स मिलते हैं तो वह कहते हैं कि बड़ा अच्छा काम है, हम इस को देखेंगे कि क्या किया जा सकता है। लेकिन सेक्रेटरी के पास जाता है तो उस का निगेटिव रिप्लाई ही मिलता है। नौकरियों के बारे में जब कलेक्टर्स, डिप्टी कलेक्टर्स, तहसीलदारों के पास जब हम जाते हैं तो वे ध्यान नहीं देते और भी कास्ट रेस्ट्रिक्शन रहते हैं। कोई सफेद टोपी वाला आ गया तो उसका काम जल्दी हो जायगा, लेकिन अगर कोई काला टोप वाला, सूट बूट में होगा तो कहेंगे कि

[श्री पी० एन० राजभोज]

अरे, आप तो अम्बेडकर पार्टी के आदमी हैं। (अन्तर्बाधायें) इस तरह के डिस्टिंशन्स जो हमारी अथारिटीज़ हैं उनके दिमाग में हैं। इसी लिए मैं कहता हूं कि वह देश के सच्चे नागरिक नहीं हैं। वह तो अपने देश के साथ बेईमानी करते हैं। जो सरकारी नौकर हैं उनके दिमाग में तो यह होना चाहिये कि अछूत लोग भी हमारे भाई हैं, हमारे देश के लोग हैं, इनका उद्धार विदृष्टियों से होना चाहिये। हम को सब प्रकार का छूत छात खत्म करना चाहिये। लेकिन आज कल यह है कि : रघुपति राघव राजा राम, बिरला टाटा सब एकहि नाम, सब को परमिट दे भगवान। यह हो रहा है क्या यही अछूतों का उद्धार हो रहा है। जब कोई बोलने के लिये खड़ा होता है लोगों को बड़ा गुस्सा आता है, कहते है कि राजभोज बड़ा खतरनाक है। यहां नान वायोलेन्स, नान वायोलेन्स की बहुत आवाज सुनाई पड़ती है, लेकिन अभी जब हमारी देवी जी बोलने के लिये खड़ी हुई तो एक सवर्ण हिन्दू आदमी धीरे से कहता है कि कांग्रेस के खिलाफ मत बोलो। अगर यही था तो यह रिजोल्यूशन क्यों लाने दिया ? जब कांग्रेस के खिलाफ रेजोल्यूशन लाये हो तो देवी जी तो बेचारी सदभावना से लाई है, पर आप क्यों उन को बोलने से रोकते हैं ? मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन उनके पास एक साहब बैठे हैं वह कहते हैं ऐसे बोलो। जब तुम्हारी ऐसी प्रवृत्ति है तब कैसे काम चल सकता है। जो हमारे नौजवान भाई हैं, जो हरिजन भाई हैं उन को अब पता हो गया है और अब तुम्हारे हाथ में वह नहीं रहेंगे। उन लोगों में एक ऐसी जागृति पैदा हो गई है कि आज तो आप के हाथ में ७२ हरिजन हैं, लेकिन पांच वर्ष अब खत्म होने वाले हैं, पांच वर्ष के बाद तुम लोगों को कोई नहीं पूछेगा। क्योंकि जितने तुम लोग आये हो वह हिन्दू के नाम से आये हो। डा० अम्बेडकर ने कान्स्टिट्यूशन बनाया, उसी अम्बेडकर को गिराने के लिये हिन्दू लोगों ने कोशिश की। रघुपति राघव राजा राम बोलने वाले लोग जो है, गांधी जी का नाम लेने वाले जो लोग हैं उन में बड़ी गन्दगी है। बगल में छुरी और मुह में राम है। यह हालत हो रही है, उनका दिल सच्चा नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम सच्चे दिल से काम करो। आज जिन हरिजनों को आप ने अपने साथ पकड़ रक्खा है, जो कांग्रेस के हरिजन हैं वही आवाज उठायेंगे। सभानेत्री जी, जब मैं बोलने लगता हूं तभी घंटी बज जाती है। यह क्या है ? मैं जानता हूं कि मैं माईनारिटी में हूं इस लिये यह किया जाता है, लेकिन अगर आप आज्ञा देंगी तो मैं कुछ सजेश्चन्स रक्खूंगा।

**सभापति महोदया** : आप अपना समय क्यों गवां रहे है ? दो तीन मिनट में सजेश्चन्स दे दीजिये।

**श्री पी० एन० राजभोज** : जब मैं बोलता हूं तो बहुत से मेम्बर बिल्ली की तरह चूं चूं करते हैं। मेरी प्रार्थना है सभापति महोदया कि मेरे कुछ पाइंट्स हैं...

**सभापति महोदया** : शान्ति, शान्ति। मेरे विचार में आप को माननीय सदस्य को बोलने देना चाहिय।

**श्री नामधारी** (फाजिल्का-सिरसा) : यदि माननीय सदस्य निर्बाध रूप से बोलना चाहते ह तो उन्हें इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिये।

**सभापति महोदया** : माननीय सदस्य कृपा करके ठीक ढंग से बोले ।

**श्री पी० एन० राजभोज** : यह जो नामधारी है यह एक बहुत बड़ा जमींदार है । क्या इस के भी दिल हैं ।

**श्री भागवत झा** (पूर्निया व संथाल परगना) : एक औचित्य प्रश्न के हेतु क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या माननीय सदस्य "तुम नहीं जानता हे" कह सकते हैं ?

**सभापति महोदया** : माननीय सदस्य को 'तुम' शब्द के स्थान पर 'आप' शब्द का प्रयोग करना चाहिये ।

**श्री पी० एन० राजभोज** : मेरी मातृभाषा हिन्दी नहीं है । मैं यह कह रहा था कि यह जो दाढ़ी वाले नामधारी साहब हैं वह एक जमींदार हैं जो कि हरिजनों की जड़ें काटने वाले हैं । यह अन्धेर नगरी और चौपट राज्य है । ऐसे लोग हरिजनों को बरबाद कर रहे हैं । मेरा कहना यह है कि जब तक हमारा शिड्यूल्ड कास्ट का अफसर नहीं होगा तब तक हमारा काम नहीं होगा । काका कालेलकर को शिड्यूल्ड कास्ट कमीशन का चेयरमैन बनाया गया है । शिडयूल्ड कास्ट वालों के लिये तो किसी शिडयूल्ड कास्ट के अफसर को रखना चाहिये था । आप उनकी आर्थिक कठिनाइयों को दूर कीजिये । उन को नौकरी दिलाने का प्रयत्न करना चाहिये । पबलिक सरविस कमीशन में एक शिडयूल्ड कास्ट का मेम्बर होना चाहिये । जब हम लोग कुछ बोलते हैं तो हिन्दू लोग कहते हैं कि हम उनके शास्त्रों के विरुद्ध बोलते हैं । हम लोगों को जब नौकरी देने की बात आती है तो अफसर लोग ऊपर नीचे देखते हैं और हमारे साथ अन्याय होता है । मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूं कि जब तक वह हमारे लिए प्रयत्न नहीं करेगी तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता । हम लोकतंत्र से काम करना चाहते हैं । अभी तक हम कम्युनिस्ट नहीं बने हैं । जब हम कम्युनिस्ट बन जायेंगे तो तुम लोगों को यहां बैठना मुश्किल हो जायगा । हम लोकतन्त्र को मानते हैं । लेकिन जो काम हो वह जल्दी होना चाहिये यह मेरी अपील है ।

**श्री पी० एल० बारूपाल** (गंगानगर-झुझनू-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : सभापति महोदया, सदन के सामने जो हरिजन अयोग्यता निवारण का प्रस्ताव है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । आज भारत को स्वतन्त्र हुए करीबन ६ साल हो गये हैं और जो हमारा संविधान बना है उसके अन्दर भी ऐसी व्यवस्था की गई है कि हरिजनों को बराबर का अधिकार दिया जाय । लेकिन हमें दुःख के साथ कहना पड़ता है कि वह कानून सिर्फ तिजोरियों के अन्दर पड़ा हुआ है । आज हमारी अवस्था में कोई फर्क नहीं पड़ा है । मैं आपको बताऊं कि आज हम इस स्वतंत्र भारत में एक नारकीय जीवन बिता रहे हैं न कुण्ड के कीड़ों का सा जीवन बिता रहे हैं । कहने के लिए तो हमारी सरकार बहुत कुछ कहती है, बड़े बड़े डिपार्टमेंट भी खोले हैं लेकिन जो पैसा उन डिपार्टमेंट्स पर खर्च होता है वह हरिजनों के पास नहीं पहुंचता है । जो अधिकारी हैं वह अपने बड़े बड़े टी० ए० बिल्स बना देते हैं और सारा रुपया उस में चला जाता है । केवल नाम के लिये यह कहा जाता है कि हम तुम्हारे लिए ये कर रहे हैं वह कर रहे हैं । कहने का मतलब यह है कि आज भी हमारी अवस्था ज्यों की त्यों बनी हुई है । मैं तो यहां तक कहने के लिए तैयार हूं कि पहले से खराब हो गई है । आज हमारे ऊपर गावों में वह जुल्म हो रहे हैं जो पहले से भी हालात कभी नहीं हुए थे ।

[श्री पी० एल० बारुपाल]

हरिजनों के अपने कुवें नहीं हैं। जब वह कुवों पर पानी भरने जाते हैं तो उन को उन के पास आने नहीं दिया जाता। उनको गडढों का पानी पीने को मिलता है। हरिजनों के कु ो के अन्दर जानवरों की हड्डियां डाल दी आती हैं। सारी बातें तो मैं आपको नहीं बता सकता। अभी २३ सितम्बर को मैं बीकानेर गया, एक सिनेमा में जो कि सरकारी हैं। वहां पर मैं अपने एक मित्र धर्मपाल जी एम० एल० ए० राजस्थान के साथ था हमने चाय का एक गिलास मांगा और जब चाय पी कर हम गिलास वापस देने लगे तो उन गिलासों को ठुकरा दिया गया। हम से कहा गया कि अगर तुम एम० पी० हो तो दिल्ली में हो वहां पर जो चाहे सो करना, यहां पर तो बीकानेर है। यहां पर यह व्यवस्था नहीं है। जब कि एक एम० पी० का यह हाल है तो छोटे लोगों का क्या हाल होता होगा यह आप अनुमान कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि हरिजनों को मन्दिरों व होटलों में नहीं जाने दिया जाता, पानी नहीं भरने दिया जाता, नाई उनकी हजामत नहीं बनाते, धोबी कपड़े नहीं धोते, कुओं पर और जो भी सामाजिक अधिकार है उससे हरिजन वंचित हैं। हरिजनों में उठने की भावना नहीं रही हैं, उनका जीवन मृतप्राय सा है, उनमें कोई ऐसी भावना नहीं है कि वह अपने आप को उठा सकें वह बुराइयों के शिकार होते जा रहे हैं। वह समाज से हमेशा दूर रहे हैं और समाज ने हमेशा उनका बहिष्कार किया है। अगर आप हमें सहूलियतें दे रहे हैं तो यह कोई हमारे साथ दया नहीं है। अगर कोई समाज किसी व्यक्ति को पंगु बना दे, उसके हाथ पैर तोड़ दे और फिर मरहम पट्टी करे तो यह दया नहीं है, यह तो पाप का प्रायश्चित है। हमको हिन्दू समाज ने हमेशा दबाया है और कुचला है। इसलिए अब वह जो भी सहूलियतें हमको दे वह थोड़ी हैं। हम को स्वतंत्र हुए पांच साल से ज्यादा हो चुके हैं। हम से कहा जाता है कि दस बरस के अन्दर सब के समान अधिकार हो जायेंगे। मैं नहीं समझ सकता कि पांच साल के अन्दर आप यह कैसे कर सकेंगे। पांच वर्ष से ज्यादा तो बीत गए हमारे जो बड़े बड़े कांग्रेस के भक्त बने हुए पूज्य बापू का गीत गाते हैं, और जो बड़े बड़े पदों पर हैं उनका भी हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है। वह भी हरिजनों के हाथ का पानी पीना पसन्द नहीं करते हैं। यह बड़ी लज्जा की बात है। ऐसे लोगों को तो संस्था से निकाल देना चाहिए। अगर सरकारी कर्मचारी हैं तो नौकरी से हटा दिये जायें। इसी प्रकार से हम हरिजनों की संख्या की बात है। अगर ईमानदारी से देखा जाय तो हिन्दुस्तान में हरिजनों की संख्या दस करोड़ से कम नहीं है। लेकिन बहुतों से कह दिया जाता है कि तुम शिड्यूल कास्ट में नहीं हो। इस तरह से उन की संख्या कम करके उनको वंचित किया जाता ह। इसका मतलब तो यह है कि यह एक चाल है और यह इसलिए चली जाती है कि उनके ऊपर ज्यादा पैसा न र्च करना पड़े। हरिजनों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे कि एक पत्थर की मूर्ति के आगे भोजन रख कर उठा लिया जाता है और उसको अंगूठा दिखा दिया जाता है। इस प्रकार हमारे नाम से यह भक्त फायदा उठाते हैं। आज हरिजनों के साथ यही बरताव हो

रहा है । अगर गवर्नमेंट को वास्तव में ईमानदारी से हरिजनों की उन्नति करनी है तो उन को शिड्यूल्ड कास्ट वालों के लिए एक केन्द्रीय कानून बनाना चाहिए और जो उसकी अवहेलना करे उसको सख्त सजा देनी चाहिए और जो कर्मचारी इस काम को करने में आना कानी करें उनको मुअत्तिल कर दिया जाय और सजा दी जाय । इसी प्रकार का कानून पास करें जो देशव्यापी हो । इसकी क्या धारायें होनी चाहिए यह दूसरे बोलने वाले बतायेंगे । मैं इतना और कहना चाहता हूं कि राजस्थान में बीकानेर व जोधपुर का ऐसा इलाका है कि जहां पर जो वलाई हैं, मेघ वाल भांभी वगैरह हैं वह सब चमार हैं लेकिन उनको शिड्युल्ड कास्ट का नहीं माना जाता । अगर उन को शिड्युल्ड कास्ट का गिना जायगा तो सरकार को उनके बच्चों की वज़ीफा देना पड़ेगा, उनके बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा और उनके लिए सीटें रिजर्व करनी पड़े और उनको सहूलियत देनी पड़े इसलिए इस काम में आनाकानी की जाती है । उन को नौकरियां नहीं दी जाती हैं । अगर वह बेचारे किसी की सिफारिश से या लड़ झगड़ कर पहुंच जाते हैं तो जो लोग ऊंचे अधिकारी होते हैं वह उनको तंग करते हैं और उनको अनेक यातनाये देते हैं और उनके विरुद्ध षड़यंत्र रचते हैं और उसको ऐसी मुश्किल में डाल देते हैं कि उस को तंग आ कर नौकरी छोड़ आना पड़ता है । सच्ची घटना है—एक हरिजन नौकरी करने गया। पहले तो उसको लिया नहीं गया और कहा गया कि तुम शिड्यूल्ड कास्ट का सरटीफिकेट लाओ । जब उसने सरटीफिकेट दिया तो नौकरी मिली । लेकिन उस से कहा गया कि तुम को इस जगह पर नहीं रखा जा सकता क्योंकि तुम हरिजन हो कोई तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पीता । जब उसने शिकायत की और उसकी जांच हुई तो उससे कहा गया कि तुम झूट मूठ यह कह दो कि ऐसी बात नहीं हुई । जब उस ने दस्तखत करने से इनकार कर दिया तो मारने के लिए पिस्तोल ले कर उस के सामने आया कि तुम को मार दूंगा । मैं तो इस का सबूत दे सकता हूं और बता सकता हूं कि कैसी यह बात है । लेकिन कुछ होता नहीं कौन सुनते हैं इस में आप परिवर्त्तन कीजिये समाज का हृदय बदलने की बात कही जाती है हिन्दू समाज के हृदय नहीं है । उनका हृदय पत्थर है । अगर हृदय होता तो कितनी सदियों से हरिजन आपकी सेवा करते आए हैं, आपने उन के लिये क्या किया । आप के बच्चे सरदी के दिनों में ऐश आराम करते हैं । आप के बच्चे गदेलों पर सोते रहते हैं । हमारे पास कोई अलार्म करने नहीं होता, कोई बिसल नहीं होती, कोई जगाने नहीं आता, पर ठिठरती हुई सरदी में हम और हमारी बहनें और माताएं उठती हैं और आपका मैला उठाने जाती हैं भला बताइये कि इस से ज्यादा क्या सेवाएं हो सकती हैं ।

तो सभापति महोदया, ऐसी हमारी हालत है । आप देखें कि जो परिश्रम करते हैं वह नीचे और जो मांग कर खाये निकम्मे ऐश आराम में पड़े सोते रहते हैं वह ऊंचे । जो अच्छा काम कर वह नीचा और जो बुरा काम करे वह ऊंचा । आप ही इस में इन्साफ कीजिये कि यह हमारे साथ क्या हो रहा है । तो मुझे कहना तो बहुत था । लेकिन मेरे दूसरे हरिजन भाई भी बहुत हैं, उनको भी बोलना है । इस प्रस्ताव में भी हमारे साथ एक चाल चली जा रही है कि इस को विदड्रा कर लिया जाय । पर यह नहीं होना चाहिये और आप इस प्रस्ताव को

[श्री पी० एन० राजभोज]

निर्विरोध पास करिएगा। अब मैं अधिक नहीं कहता। मुझे पूर्ण आशा है कि सदन इसे पास करेगा।

**श्री बी० एस० मूर्ति**: मैं एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। क्या सरकार सोचती है कि हरिजन समस्या को टाला जा सकता है? क्या वह भूल गई है कि महात्मा गांधी ने इस समस्या को हल करने के लिये अपने प्राणों तक की बाज़ी लगा दी थी? क्या वह इस देश में क्रान्ति चाहती है? क्या वह यह चाहती है कि हरिजन इस उदासीनता के विरुद्ध विद्रोह कर दें? आज प्रत्येक हरिजन के हृदय में ज्वालामुखी दहक रहा है और यह ज्वालामुखी किसी भी दिन फट सकता है। अतः आप इस समस्या पर पूरी गंभीरता के साथ विचार करें। संविधान में हमें जो आश्वासन दिये गये हैं उन्हें एक व्यापक विधान के द्वारा पूरा करें। आपने कहा था कि छूत-छात खत्म कर दी जायेगी। परन्तु इतना समय बीत गया है और कुछ भी नहीं हुआ है। आज जगह जगह हरिजनों के साथ जो छूत-छात बरती जा रही है, उससे उनमें और अधिक कटु भावना पैदा हो रही है।

प्रस्तुत संकल्प में एक साधारण सी प्रार्थना की गई है, यानी छूत-छात करने वालों को दंड करने के लिये एक व्यापक विधान बनाया जाये। आप ज़रा इस समस्या पर विचार कीजिये। यह केवल हरिजनों से ही सम्बन्ध नहीं रखती इसका सम्बन्ध पूरे देश की सुरक्षा, और उन्नति से है। शरणार्थियों के लिये सरकार बहुत कुछ करने को तैयार है परन्तु जब हरिजनों का प्रश्न उठता है तो वह उसे मजाक में उड़ा देती है। शायद आप हरिजनों को कोई महत्व नहीं देते। मेरा आप से निवेदन है कि आप हमारे साथ बुरा बर्त्ताव न करें। कभी हमारा समय भी अच्छा आयेगा और हमारी भी सरकार बनेगी। छूत-छात और जातीयता की भावना से भरा आज का समाज हमेशा कायम नहीं रह सकता। आपको आज जो सत्ता मिली हुई है उसका दुरुपयोग न करें और ग़रीब लोगों को और अधिक न सतायें।

मैं चाहता हूं कि सरकार अपने आश्वासनों को पूरा करने के लिये एक व्यापक विधान लाये। हरिजनों को अपने अधिकारों के बारे में लड़ने के लिये कानूनी सहायता दी जानी चाहिये। मद्रास में मन्दिरों में प्रवेश, और सामाजिक निर्योग्यताओं को दूर करने आदि के बारे में तीन क़ानून बनाये गये हैं परन्तु वे बेकार से ही हैं। इसलिये हमने वहां की सरकार पर हरिजनों को क़ानूनी सहायता देने के बारे में ज़ोर डाला। हरिजनों को स्कूलों, होटलों, सिनेमाघरों आदि में नहीं घुसने दिया जाता। इसलिये हमारा कहना है कि हमें केवल क़ानूनों की ज़रूरत नहीं; हम चाहते हैं कि उन्हें क़ानूनी सहायता भी दी जाये ताकि वे अपने अधिकारों के लिये लड़ सकें। इन शब्दों के साथ मैं संकल्प को स्वीकार करने की सिफ़ारिश करता हूं।

**श्री नामधारी**: मेरे विचार में किसी भी व्यक्ति के साथ मनुष्यता के विरुद्ध व्यवहार करना बहुत कड़ा पाप है।

हरिजनों का जहां तक सम्बन्ध है, मैं समझता हूं महात्मा जी ने इनके लिए जितना कार्य किया है, उतना किसी अन्य व्यक्ति ने नहीं। एक सच्चे कांग्रेसी

का यह कर्त्तव्य होना चाहिये कि वह बापू द्वारा दिखाये गये मार्ग का अनुसरण करे। मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं और सरकार से अपील करता हूं कि वह इस संकल्प को स्वीकार करे।

इसके साथ सा मैं अपने हरिजन भाईयों को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि वे उन लोगों से बचे रहें जो इस प्रश्न को लेकर केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। मैं अपने हरिजन मित्रों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम उन में और अपने में कोई भेद नहीं समझते। वे लोग जो यह कहते हैं कि हमने हरिजनों के लिये कुछ नहीं किया वास्तव में वो हैं जो हरिजनों को भड़का कर अपना मतलब हल करने में लगे हुए हैं। मैं हरिजनों को चेतावनी देना चाहता हूं कि वे ऐसे लोगों के जाल में न फंस जायें वरना यह उन्हीं के लिये अहितकर होगा।

जहां तक पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का संबंध है, मेरी राय में सरकार ने बुद्धिमत्ता से काम लिया है। यह अनुसूचित जाति आयोग नहीं है परन्तु फिर भी इसमें तीन सदस्य हैं। मेरे माननीय मित्र समझते होंगे कि यह पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग अनुसूचित जातियों से संबंधित आयोग नहीं है परन्तु फिर भी उसमें प्रत्येक जाति के प्रतिनिधि हैं।

अंत में, मैं अपने हरिजन भाइयों को फिर यह विश्वास दिलाता हूं कि उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। धर्म-निपेक्ष भारत में हर व्यक्ति को, चाहे वह हरिजन हो या कोई और मताधिकार दिया गया है। इसलिय हरिजनों के प्रति सौतेला व्यवहार होने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

**श्री नानादास :** कांग्रेस के लोग हमेशा की तरह इस बात की डींग हांकते हैं कि उन्होंने हरिजनों की बहुत सेवायें की हैं परन्तु मैं कहूंगा कि वे लोग जो कहते रहे हैं उसे कार्यरूप में कर नहीं रहे हैं। कांग्रेस अपना मतलब हल करने के लिये हमारे लोगों को अब तक भुलाव में रखती है। इस तरह की बातों से काम नहीं चल सकता। मैं पूछता हूं कि क्या इस सदन के सदस्य वास्तव में हरिजनों की सेवा करना चाहते हैं या वे केवल मौखिक सहानुभूति ही रखते हैं? क्या वजह है कि वे एक ऐसा क़ानून नहीं लाते जिससे हरिजनों की हालत सुधारी जा सके? यदि आप वास्तव में कुछ कहना चाहते हैं, तो सब से पहले आपको ऐसा क़ानून बनाना चाहिये जिससे हरिजनों की कठिनाइयां दूर हो सकें। मैं समझता था कि कांग्रेस सरकार सच्चे हृदय से हरिजनों की सेवा करना चाहती है परन्तु अब यह सिद्ध हो गया है कि वह लोगों को केवल झूठे आश्वासन देती रही है। हमारे लोग इस अन्याय को अधिक समय तक सहन नहीं कर सकेंगे। जैसा श्री बी० एस० मूर्ति ने कहा ज्वालामुखी में किसी भी दिन विस्फोट हो सकता है। अनुसूचित जातियों की भलाई का एकमात्र तरीका क्रांति ही दिखाई देता है।

हम ख़राब क़ानूनों से नहीं डरते; हमें तो डर उन ख़राब लोगों से है जो इन क़ानूनों को क्रियान्वित करते हैं। इस देश में क़ानूनों को क्रियान्वित करने वाले लोग यानी न्यायाधीश लोग अधिकतर सवर्ण हिन्दू हैं। एक जगह ब्राह्मणों का बोलवाला है। जब तक यह धर्मनिर्पेक्ष सरकार इस स्थिति में परिवर्तन नहीं करेगी तब तक हमारे लोगों की कोई

[श्री नानादास]

भलाई नहीं हो सकती। जब तक आप महत्वपूर्ण पदों पर हरिजनों को नियुक्त नहीं करेंगे तब तक यह समस्या हल नहीं हो सकती। मद्रास राज्य में ऐसा स्थायी नियम है कि सारी बेकार ज़मीनें हरिजनों को दी जायें। परन्तु चूंकि इन आदेशों को क्रियान्वित करने वाले लोग सवर्ण हिन्दू हैं। जो हरिजनों के खिलाफ़ हैं, इसलिए इनका पालन नहीं किया जा रहा है।

बहुत से राज्यों ने कई अधिनियम जैसे मन्दिर प्रवेश अधिनियम, नियोग्यता निवारण अधिनियम आदि बनाये हैं। कांग्रेस सरकार को इन सब बेकार की बातों को त्याग कर देना चाहिए। हमें मन्दिरों में प्रवेश करने के बारे में कोई चिन्ता नहीं। हमें अपने खाने की और पेट भरने की चिन्ता है। आप इसे दूर कीजिए; हमें कुछ नहीं चाहिए।

छूत-छात की यह समस्या उस समय तक हल नहीं हो सकती। जब तक आप अन्तर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन नहीं देते। कांग्रेस सरकार ने इन छः वर्षों में क्या किया है? कितने अन्तर्जातीय विवाह हुए हैं? यह ठीक है कि इस सदन में हिन्दू कोड विधेयक पेश किया गया है। परन्तु इस विधेयक का क्या हाल हो रहा है? इसके खिलाफ़ कौन है? धर्म कट्टर सवर्ण हिन्दू ही इस क़ानून के खिलाफ़ हैं। जब तक आप इन लोगों को नहीं दबाते और इनके विशेषाधिकार इनसे नहीं छीनते तब तक देश का उद्धार नहीं हो सकता।

**स्वामी रामानन्द शास्त्री** (जिला उन्नाव व जिला रायबरेली—पश्चिम व जिला हरदोई—दक्षिण पूर्व रक्षित अनुसूचित जातियां): माननीया स्थानापन्न अध्यक्ष महोदया, यद्यपि आज मुझे बोलना नहीं था लेकिन चूंकि यह शुभ अवसर है और आज बहुत दिनों के बाद में हम को यह देखने के लिए मिला है। आज हमारे भारत के मनुष्य करोड़ों की संख्या में मानवोचित अधिकारों से वंचित हैं और आज अस्पृश्यता निवारण के लिए जो प्रस्ताव आया है उसको हाउस बड़े हर्ष के साथ पास करने जा रहा है। मैं आपको वेद का प्रमाण देकर बतलाऊंगा कि यह चीज़ हमारी भारतीय संस्कृति के अन्दर बहुत प्राचीन नहीं हैं। हमारे बहुत से भाई धर्म की गवाही देते हैं और कहते हैं कि यह जाति पाति और यह छूत-छात वैदिक काल से है। अर्थववेद में एक मंत्र आता है: समानी प्रभा सहवो अन्नपोगः समाने योक्त्रे सहयो युनज्मि। सम्पञ्चोग्निं समर्यतारा नाभिमिवाभितः॥ अ० कां० ३—सू—३०—मं०—६

अथर्ववेद इस बात को कहता है कि संसार के मनुष्यों के लिए, प्रत्येक मनुष्य के लिए एक प्याऊ होना चाहिए। एक साथ मिल कर सब लोग रहें इस सृष्टि में प्रत्येक मानव मानवता के साथ बर्ताव करे।

संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्।
देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते॥

ऋग्वेद मंत्र १०—सू०—१९०

यह ऋग्वेद का मंत्र है। इसमें कहा गया है कि सब एक साथ मिल कर विचार करो, एक साथ मिल कर बैठो तुम्हारा एक मन हो, संसार में जितने भी मनुष्य हैं, इस भगवान् की, इस खुदा की सृष्टि में जितना भी मानव समाज है वह सब एक साथ मिल कर बैठे। यह प्राचीन काल में हमें मिलता है। लेकिन बीच के काल में एक ऐसे समाज के हाथ में हमारी सुरक्षा व्यवस्था की बागडोर आई जिन्होंने

इस बात को कहा कि ब्रह्म वाक्यं जनार्दन। पहले तो ब्राह्मणों ने यह सूत्र दिया। इस के बाद उन्होंने दूसरा सूत्र बताया। श्रवणाध्ययनार्थ प्रतिषेधात् स्मृतेश्च। अथशूद्राधिकार ९—सू—३८। शांकर भाष्य निर्णयसागर पृष्ठ १३६-१३८ तक देखो। 'अथास्य वेदेमुप श्रृण्वतस्त्रपुजतुम्यां श्रोत्रपरिपूरणमिति'। आगे 'वेदोच्चारणे जिह्वाच्छैदो धारणे शरीर-भेद इति'।

इसी सूत्र के आधार पर स्वामी शंकराचार्य ने जो संसार में अवतार माने जाते हैं, उन्होंने भी इस सूत्र की व्याख्या की वेदान्त दर्शन के अन्दर कि यदि शूद्र के कान में वेद पड़ जायें तो उनके कान के अन्दर सीसा डाला जाय और यदि वह वेद पढ़ जायें तो उनकी जिह्वा काट लेनी चाहिये।

अभी हमारे शास्त्री जी ने कहा है कि यह उदाहरण शंकराचार्य का नहीं है। मुझे इस बात का दुःख है कि वह खुद ही शंकराचार्य के वेदान्त को पढ़ते हैं और ऐसी बात कहते हैं। यदि इस सम्बन्ध में यहां पुस्तक वेदान्त की होती तो अभी बतला देता। इस समय मैं बहुत कहना नहीं चाहता, मनुस्मृति में, अध्याय ४—श्लोक ८—मनु जी ने भी यह कहा है: "न शूद्राय मतिं दद्यान् नोच्छेष्टं न हविष्कृतम्।" और इस प्रकार की बहूत सी बातें हैं। खैर।

वेद के अन्दर यह भी आया है: "यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जन्मेभ्यः। शुद्राय चाशुभाय चारणाय च। इत्यादि वेद मन्त्र सर्वे अमृतस्य पुत्राः।"

भगवान् कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अत्मज नौकर आदि, वेद पढ़ो। यह भी अक्सर कहा जाता है कि शूद्र यज्ञ कराने के अधिकारी नहीं हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि वेद में भी यह कहा गया है कि:

"तदस्य वाचः प्रथमं मंसीय येनासुरां अभि देवा असाम। उर्ज्जादि उत यज्ञियासः पंचजना मम होत्रं जुषध्वम्॥ ऋगवेद मं० १०—सुक्त ५३—४ मंत्र।

'व्याख्या पंचजना—गन्धर्वाः पितरो, देवा, असुरा रक्षासीत्येके चत्वारो वर्णः निषाद पंचम इत्योपमन्यवः।" जैसे यज्ञ इत्यादि कराने का अधिकार ब्राह्मण को है वैसे ही शूद्र तथा अति शूद्र, जो पांचवां अंग है, जो अस्पृश्य माना जाता है, वह भी वैदिक क्रियाओं में, अर्थात् यज्ञ आदि में सहयोग दे सकता है, लकड़ी और पानी आदि लाकर। इस लिये मैं कहना चाहता हूं कि अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाये तो ठीक है, यह हमारी प्राचीन चीज़ हे और आज स्वतन्त्र भारत में हम इसी प्राचीन चीज़ को लाना चाहते हैं। इस का सब से बड़ा श्रेय मैं स्वर्गीय पूजनीय और बन्दनीय महात्मा गांधी जी ो देता हूं। संसार में और भारतवर्ष में गुरु नानक और दूसरे बहुत बड़े बड़े महात्मा हुये हैं, उन्होंने भी इस छूआछूत को मिटाने के लिये लौकिक भाषा में बहुत से उपदेश दिये हैं, लेकिन उस को एक राष्ट्रीय रूप देना और उस के बाद स्वतन्त्र भारत में कानून इस चीज़ को हटाने का श्रेय इस बक्त की वर्तमान सरकार को ही है। यदि मैं देहात की वर्तमान स्थिति को आपके सामने रक्खूं तो बहुत समय लगेगा, और मुझे इस का अनुभव है कि सब लोग इस को जानते हैं। वास्तव में, शहरों के अन्दर तो काफी छूआछूत मिट गई है, लेकिन देहातों की स्थिति बहुत खराब है। इतनी ही खराब है जैसे हमारे वारूपाल जी ने कहा था और पिछले सेशन में मैंने भी कहा था।

[स्वामी रामानन्द शास्त्री]

हमारे कन्हैया लाल जी वाल्मीकि ने तो कहा था कि नाई उन की हजामत नहीं बनाता है। अब मैं अपना भी उदाहरण देना चाहता हूं दुर्भाग्य से कहिये या सौभाग्य से बचपन से मैंने वेद पढ़े हैं। मैं बीड़ी नहीं पीता, पान तक नहीं खाता, लेकिन जो आदमी हड्डी चाट जाते हैं और मांस के लोथड़े के लोथडे खा जाते हैं वह मुझ से छूत करते हैं। क्योंकि मैं एक अमुक जाती में पैदा हुआ हूँ। मैं तो उनकी छाया लेना भी पसन्द नहीं करता। यह रूढ़िवाद है जिस को बीच के काल में धर्म के ठेकेदार ब्राह्मणों ने पैदा किया है। उन्होंने इस प्रकार के अपने धर्म-ग्रन्थ लिखे हैं जिन के बारे मैं मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। बात यह है कि यह चीज़ एक पार्टी ने पैदा की और वह पार्टी भारतवर्ष को एक गर्त में ले गई और मानवता से परे ले गयी। मैं कुछ विशेष नहीं कहना चाहता हूं। मेरा सिर्फ एक मिनट रह गया है और उस एक मिनट में मुझे इतना ही कह देना है कि आप इसको हृदय से पास करें। तथा अमल में भी लावें। यह छूवाछूत गांवों में बहुत ज़्यादा है। आप को कड़ाई से काम लेना चाहिये। अगर आप केवल पुलिस पर छोड़ देंगे तो पुलिस रिश्वत लकर छोड़ देगी। मेरा मतलब तो यह ह कि भारतवर्ष में मनुष्य मनुष्य के साथ मानवता का बर्ताव करें और इस प्रकार जो यह हिन्दू जाति का कोढ़ है छूतछात के रूप में यह जो अस्पृश्यता रूपी महान् कलंक है उस को जब तक आप अविलम्ब नहीं हटायेंगे और जब तक आप इस कोढ़ को समाज रूपी शरीर से आपरेशन द्वारा शीघ्रता से नहीं हटायेंगे तब तक आप की पंचवर्षीय योजना भी सफल नहीं होगी। पंचवर्षीय योजना के लिये करोड़ों रुपया रखा गया है लेकिन इस छतछात को दूर करने के लिये इस से आधा रुपया भी नहीं रखा गया है। एक ओर हरिजन लोग करोड़ों की संख्या में बेकार हैं और दूसरी ओर आप अरबों रुपये की बड़ी बड़ी मशीनरी खरीद रहे हैं। इस चीज़ पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है इस से मुझे मालूम होता है कि कांग्रेस में भी कुछ पक्षपात है। मुझे आशा है कि सरकार इस चीज़ पर ध्यान देगी और जो बेकारी फैली हुई है और यह जो छूतछात का मसला है वह वास्तव में आर्थिक मसला है। यदि यह हमारा आर्थिक मसला हल हो जाता है तो हम छूतछात के मसले को भी हल कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान लेता हूं और अध्यक्षा महोदया को धन्यवाद देता हूं।

**श्री बहादुर सिंह** (फ़ीरोज़पुर—लुधियाना रक्षित—अनुसूचित जातियां) : इस प्रकार का संकल्प पारित करने से या क़ानून तक बना देने से कोई लाभ तहीं हो सकता जब तक हम उसे क्रियान्वित करने के लिये सच्चे हृदय से तैयार न हों। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार देश से छूतछात दूर करने के बारे में पूरी गम्भीरता से विचार नहीं कर रही हैं। यदि वह इस विषय में सच्चे दिल से कोई कार्य करना चाहती, तो अब तक वह कोई विधान प्रस्तुत कर सकती थी। परन्तु ऐसा नहीं हुआ जिस से प्रकट होता है कि वह अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े हुए वर्गों की उन्नति के प्रति अभी तक उदासीन हैं। निस्सन्देह, मैं इस संकल्प को पारित करने के पक्ष में हूं और हम आशा करते हैं कि सरकार एक दिन इसे क्रियान्वित करना ठीक

समझेगी क्योंकि, जैसा श्री मूर्त्ति ने कहा है, देश की स्थिति इस समय ज्वालामुखी के समान है जो किसी समय भी फट सकता है ।

हमारे देश में कुछ लोग ऐसे ह जिनके मस्तिष्क में छूतछात और जातिपाति की भावना कूटकूट कर भरी हुई है। सब से पहले इस भावना को दूर करने के लिये हमें कोई क़दम उठाना चाहिये । आज जगह जगह अनुसूचित जाति के लोगों के साथ बहुत अनुचित बर्ताव किया जा रहा है। मैं इस सम्बन्ध में अनेक उदाहरण दे सकता हूं परन्तु मैं सदन का अधिक समय लेना नहीं चाहता । मैं गृह मंत्री महोदय से केवल यह निवेदन करूंगा कि यह विधान शीघ्र से शीघ्र पारित किया जाये और इसे उचित रूप से क्रियान्वित किया जाये।

**श्री इलयापेरुमल** (कुडलूर–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : मैं प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करता हूं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्प है। यह केवल अनुसूचित जातियों के लिये ही नहीं किन्तु सम्पूर्ण देशवासियों के लिये महानपूर्ण है ।

मैं आपको कुछ उदाहरण बताऊंगा कि दक्षिण मद्रास में हिन्दू लोग अनुसूचित जाति के सदस्यों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं । वहां हरिजनों को कुओं अथवा तालाबों से पानी नहीं लेने दिया जाता है। कुछ गांवों में तो हरिजनो को कमीजों और जूतों तक का प्रयोग नहीं करने दिया जाता । कुछ गलियां ऐसी हैं जहां हिन्दुओं की ओर से हरिजनों को उन गलियो में जाने की निषेधाज्ञा है। हरिजनों ने इस आज्ञा को मानने से मना कर दिया। परिणामस्वरूप सवर्ण हिन्दुओं के द्वारा तिरुपति और सभाहन्ता नायक दो हरिजनों की हत्या कर दी गई । पुलिस पदाधिकारी द्वारा जांच की गई किन्तु एक भी व्यक्ति गवाही देने नहीं आया। अपराधी रिहा कर दिये गये क्योंकि यह निगृहणी मामला था। संविधान के सत्रहवें अनुच्छेद में कहा गया है कि अस्पृश्यता समाप्त कर दी गई है। किन्तु यह भारत में सब और परिलक्षित है। कुछ समय पूर्व संसद के कुछ सदस्य अनसूचित जाति के व्यक्तियों की दशाओं की जांच करने के लिये निलोथो नामक ग्राम में गये। वहां अनुसूचित की एक स्त्री ने हमें बताया कि उन्हे कूंए से पानी नहीं लेने दिया जाता है। सन् १९५० में वृधाचालय और कडलूर ताल्लकों में हरिजनों को पूरी बाहों के कमीज नहीं पहनने दिया जाता था। पुलियान-गुडी ग्राम में हरिजनों को स्मश्रु रखने की आज्ञा नहीं थी । सदन को उन समाचारों पर आश्चर्य होगा। मैं सदन का अधिक समय उन वर्णनों में नहीं लुंगा। अनुसूचित जातियों के सदस्यों की संख्या भारत की आबादी का छठा भाग है। उनके बच्चों को ग्राम में स्कूल जाने की अनुमति नहीं है। कानून बना देने का कोई अर्थ नहीं हैं यदि उन्हें व्यावहारिक रूप न दिया जाय। अतः मैं सदन के सब माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे प्रस्तुत संकलप का समर्थन करें। माननीय मंत्री जी से भी मेरी प्रार्थना है कि वे इस दिशा भें समस्त आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

**श्री वीरस्वामी (मयूरम रक्षित अनुसूचित जातियां)** : श्रीमती ! इस महत्वपूर्ण अवसर पर बोलने को अनुमति देने के लिये मैं आपका अत्यंत कृतज्ञ हूं । यह वस्तूतः दुर्भाग्य है कि भारत के प्रधान मंत्री अब्राहम लिकन अथवा स्टालिन अथवा माओं से तूंग अथवा कमाल पाशा या पेरिमा ई० वी रामास्वामी नहीं हैं। पंडित जवाहर लाल नेहरू विगत छह वर्षों से भारत के प्रधान मंत्री हैं और

[श्री वीरस्वामी]

सन्तारूढ़ कांग्रेस दल के भी वह अध्यक्ष रहे हैं। कांग्रेस पिछले ६५ वर्षों से भारत में विद्यमान है। किन्तु अब वह जीवित रहने के लिये वृद्ध हो गई है। जैसा कि मैं ने पहले कहा था कांग्रेस दल इस देश में ही नहीं किन्तु विश्व का सर्वाधिक प्रतिक्रियावादी दल है। इसमें ब्राह्मणों और उच्चकुलीन सवर्ण हिन्दुओं की प्रधानता रही है। और ये लोग अनुसूचित जातियों के कल्याण में कदापि रूचि नहीं रखते हैं। चूंकि अनुसूचित जातियों के आठ करोड व्यक्तियों के नेता डा० अम्बेडकर भारतीय संविधान आरूपण समिति के सभापति थे भारतीय संविधान अस्पृश्यता निवारणार्थ पर एक खंड है किन्तु उसका पालन वर्जित है। सरकार ने कभी यह नहीं देखा कि क्या समस्त देश में उस का पालन होता है। महात्मा गांधी ने सन् १९३८ में कहा था कि भारत के स्वतंत्र होते ही अस्पृश्यता समाप्त कर दी जायगी। गांधी जी ने कहा था कि यदि स्वतंत्रता का प्रादुर्भाव बारह बजे होगा तो एक बजे अस्पृश्यता का अंत कर दिया जायगा।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन]

यदि कांग्रेस वस्तुतः अस्पृश्यता के अंत में रुचि रखती है तो उसे समस्त जाति प्रथाओं की समाप्ति कर देनी चाहिये। ब्राह्मण अथवा अनुसूचित जातियां नहीं होनी चाहिए। विभाजन के पश्चात मुसलमान पाकिस्तान चले गये हैं किन्तु भारत के छः लाख गांवों में अभी ब्राह्मणनिस्तान है। वे अलग रहते हैं। भले ही पशु आदि उनके घर में घुस जायें किन्तु अनुसूचित जाति के व्यक्ति जो कि देश की रीढ़ के सदृश हैं वहां प्रवेश नहीं कर सकते। स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद भी यह अस्पृश्यता देश में क्यों है।

इसके बाद भूमि-व्यवस्था का सुधार होना आवश्यक है। अन्यथा अनुसूचित जातियों की समस्या हल नहीं हो सकती। अन्तर्जातीय विवाहों को बढ़ावा मिलना चाहियें। इसके लिये हमें विधि निर्माण करनी पड़ेगी क्योंकि अर्तजातीय विवाह बिना जाति प्रथा की समाप्ति असम्भव है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि कोई व्यक्ति अर्तजातीय विवाह नहीं करता है तो क्या उसे दण्ड दिया जायगा ?

**श्री वीरस्वामी** : हमें देशगत नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दण्ड देना चाहिए। श्री नानादास ने कहा कि हमें मंदिर प्रवेश में इतनी रुचि नहीं हैं जितनी आर्थिक सुधार में। मद्रास में कतिपय मंदिरों में मन्दिर प्रवेश प्रारम्भ किया गया था किन्तु ज्योंही मंत्रियों ने उद्घाटन समारोह कर पीठ मोड़ी कि उक्त मन्दिरों के कपाट अनुसूचित जाति के लिए पुनः बन्द कर दिए गए। यदि कांग्रेस दक्षिण में द्राविडियन के साथ मिलकर कार्य करे तो अस्पृश्यता शीघ्र ही विलीन हो सकती है।

देश में एक न एक दिन क्रांति का प्रादुर्भाव अवश्य है। क्रांति से मेरा अभिप्राय हिंसाजनक क्रांति नहीं है किन्तु मेरा तात्पर्य विचारों की क्रांति से है, कार्यों की क्रांति से है। सरकार से केवल मुझे यही कहना है कि उसे अनुसूचित जातियों की आर्थिक और सामाजिक दशाओं में सुधार करने के लिए कम से कम संविधान स्थित उपबंधों की पूर्ति तो करनी ही चाहिये।

**गृह कार्य उपमन्त्री ( श्री दातार )** : आपने बहुत ही विस्तृत भाषण सुना।

दुर्भाग्यवश विरोधी दल के वक्ताओं ने ऐसी बातें कही हैं जो सर्वथा असत्य और संसद की दृष्टि से अनुचित थीं। कांग्रेस पर उस तरह के आरोप लगाना कि उस ने अस्पृश्यता के निवारणार्थ कुछ नहीं किया है अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यह कथन बिल्कुल मिथ्या है कि कांग्रेस ने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया है। मैं कह सकता हूं कि सन् १९३६ से ही राज्यों में कांग्रेस के पास सत्ता आते ही कांग्रेस ने विभिन्न प्रांतों में सुवृद्धिकारी और वैधानिक व्यवस्था का सुधार कार्य किया। कितने ही राज्यों में आज ऐसे अधिनियम हैं जिनके अनुसार विरोधी पक्ष के सदस्यों द्वारा निर्दिष्ट रीति से ही इस समस्या को हल किया जा रहा है। बहुत से अधिनियम स्वीकृत किए गए हैं और उनके अनुसार अस्पृश्यता का अपराध निगृहणीय अपराध है। कुछ व्यक्तियों की धारणा है कि इस कार्य की गति धीमी है। सदियों से चली आई समस्या के विषय में धीमी गति होना अनिवार्य है। पिछले पांच सहस्त्र वर्षों से यह समस्या हमारे सामने चली आ रही है। भारत और मानवता धन्यवाद के पात्र हैं कि गांधी जी ने इस समस्या को लिया और हम उसे यथासंभव शीघ्र ही हल कर रहे हैं। अतः यह कहना उचित नहीं है कि केन्द्र अथवा प्रान्त इस दिशा में कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ असंबंधित वक्तव्य दिए गए और मैं उनका निर्देश यहां केवल इसीलिए करूंगा कि आशंकाएँ निर्मूल हो जायें। अपने भाषण के दौरान में माननीय सदस्य श्री राजभोज ने जो कुछ कहा वह बिल्कुल गलत है और उसका उससे कोई तात्पर्य नहीं है कि.....

**श्री पी० एन० राजभोज** : क्या बोला, मुझे बताइए।

**उपाध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति। मैं माननीय सदस्य को इस तरह अंतर्बाधा उपस्थित नहीं करने दूंगा। क्या माननीय मंत्री यह नहीं कह सकते हैं कि 'माननीय सदस्य ने यह कहा था तथा यह गलत है।' यदि माननीय सदस्य को इस में आपत्ति है तो मैं उनके नाम का ध्यान रखूंगा और उन्हें कभी बोलने के लिए नहीं कहूंगा।

**श्री पी० एन० राजभोज** : मैं बोला हूं और मुझे उसका जवाब मांगने का अधिकार है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : आपको अधिकार नहीं है।

**श्री दातार** : वर्तमान चर्चा में पिछड़ी जाति वर्ग आयोग का उल्लेख करना और उसके सभापति अथवा सदस्य अथवा किसी संसद सदस्य की न्यायविरुद्ध टीका करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आयोग के सभापति के रूप में काका कालेलकर को प्राप्त कर देश को अतीव प्रसन्नता है। मैं जानता हूं कि मेरे मित्र श्री नामधारी तथा अन्य व्यक्ति कहते हैं कि छांट बहुत अच्छी रही है। इसका अच्छा स्वागत किया जाता है तथा सविकसित जाति आयोग पहिले से ही अपना कार्य कर रहे हैं।

**श्री पी० एन० राजभोज** : काका कालेलकर ब्राह्मण है।

**श्री दातार** : वे पहिले से ही अपना कार्य कर रहे हैं जो कि अत्यन्त आशाप्रद है। अतः इन सदस्यों के लिए कांग्रेस के लिए इन को नीचा करना तथा चर्चा में असंगत व असम्बन्ध बातों का लाना ठीक नहीं है।

**श्री पी० एन० राजभोज** : नहीं।

**श्री दातार** : सदन को सूचना देते हुए हर्ष है कि सरकार इस संकल्प को श्री

[श्री दातार]

दास के संशोधन द्वारा संशोधित रूप में स्वीकार कर रही है। यह सत्य है कि यह संकल्प विस्तृत रूप में लिखा गया है। कुछ ऐसे उल्लेख हैं जिसका प्रस्तावकर्ता ने यथोचित स्पष्टीकरण नहीं किया है। अतः उचित अधिनियम बनाने के अधिकार को अपने पास रखते हुए, मैं संकल्प स्वीकार करता हूं और सदन को सूचित करता हूं कि यह संसद् तथा विभिन्न राज्य सरकारें इसी आधार पर अपना कार्य कर रही हैं।

यह कहा गया था ऐसा कोई अधिनियम नहीं है और जहां कहीं कोई अधिनियम है, वे उचित रूप में कार्यान्वित नहीं किए जाते। जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि अस्पृश्यता अधिनियम १९३७ के उपरान्त तीन राज्यों को छोड़कर जहां समस्या गम्भीर नहीं है, लगभग सभी राज्यों में पारित हो गये हैं।

**डा० एम० एम० दास** (वर्धवान–रक्षित अनुसूचित जातियां) : क्या प्रगति हुई है।

**श्री दातार** : मैं यह बता सकता हूं। आप मुझे बोलने दीजिए।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय यह कहना चाहते हैं, उन्हें कहने दीजिए।

**श्री दातार** : आसाम, पेप्सू, राजस्थान, मनीपुर तथा अण्डमान द्वीप समूह में अस्पृश्य व्यक्तियों की अयोग्यता सम्बन्धी कोई नियम नहीं है, और हमें सूचित किया गया है कि यह प्रश्न तनिक भी गम्भीर नहीं है।

**एक माननीय सदस्य** : मनीपुर में क्या है ?

**श्री दातार** : इन में से, आसाम, मनीपुर तथा अण्डमान द्वीप समूह ने सूचना दी है कि अस्पृश्यता का प्रश्न इन राज्यों में समस्या के रूप में तनिक भी नहीं है।

**एक माननीय सदस्य** : राजस्थान ?

**श्री दातार** : राजस्थान में यह है। उसे मैं अभी बताऊंगा। इन अधिनियमों केपरिणाम-स्वरूप, जो विभिन्न राज्यों में पारित हो चुके हैं, मैं सदन को सूचित कर दूं कि यह देखने के लिए उचित पग उठाये जा रहे हैं ....

**एक माननीय सदस्य** : नहीं, नहीं।

**श्री दातार** : उपबन्ध अधिनियम के दण्ड विषयक उपबन्ध - लागू किये जायें।

फिर हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिस्थिति का ध्यान रखना है। दुर्भाग्यवश यह सत्य है कि भारत में अस्पृश्यता ४००० या ५००० वर्ष तक की थी और इसके अनेकों अत्यन्त भयानक रूप हैं। परन्तु अस्पृश्यता को निजी प्रयत्न के द्वारा दूर करना है, और मेरा विचार है कि यह थोड़ी सी विधान द्वारा ही ठीक करनी होगी। सामाजिक सुधार करना है और विधान द्वारा लागू करना है परन्तु वह भी थोड़ी सी ही सीमा तक और जहां कहीं ऐसा करना आवश्यक है, वर्तमान जन-प्रिय सरकार ऐसा करने तथा कार्यवाही करने को तैयार हैं। वास्तव में इस सदन को सूचित कर दूं कि जहां तक प्रस्तावित अखिल-भारतीय विधान का संबन्ध है, सिद्धांत बनाने के लिए हम पहिले ही पग उठा चुके हैं। विधि मन्त्रालय का परामर्श लेने के पश्चात् हम विधेयक बनायेंगे और राज्यों की सरकारों को उनके विचार जानने के लिए भेजेंगे। इस मामले का राज्यों से अत्याधिक सम्बन्ध है क्योंकि अन्त में उन्हीं को यह कार्य करना है। अतः सूचना प्राप्त

करने तथा सारे राज्यों का परामर्श लेने के पश्चात् हम संसद् में, इस भव्य सदन में एक विधेयक प्रस्तुत करेंगे जिसमें, अखिल भारतीय आधार पर अस्पृश्यता को अधिनियम द्वारा दूर करने के समस्त अंगों का दण्ड विषयक तथा अन्य, का उल्लेख होगा। अतः सदन को सूचित करते हुए मुझे प्रसन्नता है कि हम इस संकल्प के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं।

**श्री पी० एन० राजभोज** : अगले वर्ष ?

**श्री दातार** : जहां तक समय का सम्बन्ध है, यह राज्य सरकारों के उस ढंग पर निर्भर है जिसमें वे हमें उत्तर भेजती हैं। मेरा विचार है कि हम यह इस वर्ष के अन्त तक कर लेंगे, यदि सम्भव हुआ तो जुलाई-अधिवेशन में ही ऐसा करेंगे। यदि नहीं तो कम से कम नवम्बर के अधिवेशन में हम यह विधेयक प्रस्तुत करेंगे और अपने मित्रों को यह दिखायेंगे कि जैसा कि भारतीय संविधान में कहा गया है कि अस्पृश्यता को पूर्णतः दूर करने के लिये सरकार अत्याधिक इच्छुक रही हैं। मैं स्वयं भी इस विधेयक को केवल प्रस्तुत करके और अधिनियमित करके ही सन्तुष्ट नहीं हो जाऊंगा। क्योंकि अन्ततोगत्वा हमें भारत के सभी नागरिकों के सहयोग की आवश्यकता है। हमारे इन अभागे भाइयों की कमियों का सामना करने के लिये कुछ उपबन्ध बनाये गये हैं। इन वैधानिक कमियों को दूर करना होगा। मैं सदन से यह अनुरोध करूंगा कि इस प्रश्न पर अत्यधिक सच्चाई के साथ विचार किया जाये। मैं अपने माननीय नवयुवक मित्र से कहूंगा कि वे अपन मन में से साम्प्रदायिक कड़वाहट को निकाल कर अछूतों की भलाई के लिये काम करें। अन्ततोगत्वा यह प्रश्न बिलकुल विवादास्पद नहीं है। यह एक ऐसा प्रश्न है जिस में आप और मैं दोनों मिल जुल कर काम करेंगे और हमारे इस सहयोग के फलस्वरूप अछूतों या अनुसूचित जातियों की सारी कमियां दूर हो जावेंगी और वे सब के समान हो जायेंगे।

जहां तक अन्तिम प्रश्न का सम्बन्ध है आप सब इस बात से सहमत होंगे कि कुछ समस्यायें सभी के लिये एक जैसी हैं। पिछड़े हुए वर्गों के आयोग का उल्लेख किया गया था। मुझे यह जान कर आश्चर्य हुआ कि पिछड़े हुए वर्गों के लोगों की संख्या भी १५ करोड़ है। यह हमारे लिये बड़ी लज्जा की बात है। अतः जब तक ३५ करोड़ भारतीय सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से एक स्तर पर नहीं आ जाते तब तक भारत का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। अतः मैं अनुसूचित जाति के सदस्यों और अनुसूचित जाति के कार्यकर्त्ताओं से यह निवेदन करूंगा कि वे इन अधिक महत्वपूर्ण पहलुओं की ओर भी ध्यान दें।

अतः आप सब के आशीर्वाद से हम इस विधेयक को शीघ्रता से इस सदन में आगे बढ़ना चाहते हैं और हमें आशा है कि इस का बहुत हितकारी प्रभाव पड़ेगा और इस से अनुसूचित जातियां सभी प्रकार से और के समान स्तर पर आजायेंगी।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं श्री दास का संशोधन सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। प्रश्न यह है कि :

मूल संकल्प के स्थान पर निम्नलिखित आदिष्ट कर दिया जाये :

[उपाध्यक्ष महोदय]

"इस सदन की राय है कि इस उद्देश्य से कि अस्पृश्यता की प्रथा और इस के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली निर्योग्यतायें तत्काल दूर हो सकें शीघ्र ही एक एसी व्यापक विधि बनायी जाये जिस के द्वारा सब नागरिकों को समाज म समान स्थान प्राप्त हो और अपराधियों को शीघ्रता से दण्ड दिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**उपाध्यक्ष महोदय :** यह मूल सकल्प के स्थान पर रख लिया गया। अब सदन की बैठक स्थगित होती है, कल ८-१५ पर पुनः होगी।

**इस के पश्चात् सदन की बैठक शनिवार १८ अप्रैल, १९५३ के सवा सात बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।**

———